राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का ११ वां दिवस { संख्या ६

बृहस्पतिवार, दिनांक १० दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर ४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, गृह, कृषि, सिंचाई, श्रम, यातायात, वन, सहकारी, खाद्य एवं रसद तथा विद्युत विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न रावराजा श्री सरदार सिंह।

उनियारा नगरपालिका का चुनाव

२५१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उनियारा म्युनिसिपैलिटी का चुनाव ड्यू था? अगर हां, तो कब से?

(२) क्या यह सही नहीं है कि उनियारा कस्बा की वोटर्स लिस्ट (१९५९) तैयार होकर पब्लिश हुई थी? क्या यह सही है कि वोटरों ने वोटर लिस्ट खरीद की थी? क्या यह सही है कि प्रकाशित प्रोग्रामानुसार सब कार्यवाही नियत समय पर रिटर्निंग ऑफिसर ने तकमील कराई थी और चिन्ह वितरित कर दिये थे तथा बैलट पेपर छप कर पोलिंग के पहले तैयार होकर आ गए थे? इस तमाम कार्यवाही में बोर्ड का कितना सर्फा हुआ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर पिछले सेशन में दिया जा चुका है कि चुनाव जल्दी कराये जायेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब प्रश्न पूछा जाता है तब जवाब दे देते हैं कि चुनाव जल्दी कराये जायेंगे। आप निश्चित तारीख बताइये।

श्री अध्यक्ष : अब कह दीजिए कि बहुत जल्दी करायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि रिजर्व सीट्स का कानून बन गया, उसके

Page No.2

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अनुसार रिजर्व सीट छोड़नी हैं। शिड्यूल ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमियों के लिए रिजर्व सीट्स हो जाने के बाद चुनाव जल्दी हो जायेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नया कानून बन गया, वह ठीक है। मेरा सवाल है कि जब वोटर लिस्ट तैयार हो गई, गजट में आ गई, बेलट पेपर आ गये, रिटर्निंग ऑफिसर पहुंच गये, तब चुनाव स्थगित क्यों कराये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब जल्दी चुनाव हो जायेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उसको स्थगित करने क्या कारण हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप डेट बता दीजिये, एक महीना, दो महीना या साल भर बाद चुनाव करायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिजर्व सीट्स का कानून बन गया है, उसके अनुसार रिजर्व सीट्स छोड़नी हैं, जिसकी तकमील हो रही है। उसके होते ही चुनाव हो जायेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : पहले चुनाव स्थगित होने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले सेशन में इसका जवाब आ चुका है, मुकम्मिल जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट डिस्पेन्सरी

२५२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लालसोट डिस्पेन्सरी में आजकल रोगियों की औसत उपस्थिति कितनी है तथा सन् १६५५–५६ व ५६–५७ में रोगियों की औसत उपस्थिति कितनी रहती थी ?

(२) क्या यह सच है कि वहां से योग्य डॉक्टरों का अति शीघ्र ट्रान्सफर कर दिया जाता है ?

(३) उक्त डिस्पेन्सरी को आज कल दवा का कोटा कितना मिलता है तथा सन् १६५५–५६ व ५६–५७ तथा ५७–५८ में कितना कोटा मिलता था ?

(४) क्या यह सच है कि योग्य डॉक्टर के अभाव से वहां मरीजों की संख्या कम हो गई है तथा इसी कारण दवाई कम मिलती है ?

(५) उक्त डिस्पेन्सरी को अभी तक 'ए' श्रेणी की डिस्पेन्सरी क्यों नहीं बनाया गया तथा सरकार कब तक उसे 'ए' श्रेणी में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) लालसोट डिस्पेन्सरी में १६५५ से अब तक रोगियों की उपस्थिति निम्न प्रकार रही है :

वर्ष	बाह्य रोगी	अन्तः रोगी
१६५५	२१४ . ६	८ . १
१६५६	२२८	१५

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

वर्ष	बाह्य रोगी	अन्तः रोगी
१६५७	२४१	६
१६५८	२१८	७
१६५६	१६५	२.३

अक्टूबर तक।

(२) जी नहीं।

(३) उक्त डिस्पेन्सरी के लिये ५५—५६ से अब तक दवा के लिए निम्नलिखित धन-राशि स्वीकृत की गई है:

१६५५—५६	१६०० रु०
१६५६—५७	१६०० रु०
१६५७—५८	२५०० रु०
१६५८—५६	२५०० रु०
१६५६—६०	४७०० रु०

(४) जी नहीं, मौजूदा डॉक्टर एम. बी. बी. एस है। रोगियों की संख्या कम होने का कारण लोगों में बीमारी कम होना है। १६५५—५६ से अब तक दी गई दवाओं की लागत निम्न प्रकार है जिससे सिद्ध है कि आगे के वर्षों में अधिक लागत की दवा दी गई है।

१६५५—५६	१७८६ . ६८
१६५६—५७	२४१६ . १२
१६५७—५८	२१८२ . ४१

इस वर्ष अब तक केवल ८७० रु० की औषधियां जिनकी अत्यन्त आवश्यकता थी दी जा चुकी हैं। शेष दवाओं के लिये ऑर्डर दिये जा चुके हैं, प्राप्त होने पर शीघ्र दे दी जावेंगी।

(५) लालसोट कस्बे की आबादी केवल ७५३६ है इसलिए स्थानीय डिस्पेन्सरी को प्रथम श्रेणी में उन्नत करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : लालसोट की आबादी आपने सात हजार बताई, जब कि जनसंख्या १ लाख के करीब है और १ लाख की जनसंख्या में एक अस्पताल है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर बीमार बहुत कम होते हैं इसलिये एक अस्पताल भी जरूरी नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : डॉक्टर ही वहां ऐसे हैं, इसलिये बीमार आते नहीं हैं। वहां पर एल. एम. बी. डॉक्टर है, एम. बी. बी. एस. डॉक्टर नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एम. बी. बी. एस. डॉक्टर है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : लोग दवा लेने के लिए जाते हैं तो उनसे कह देते हैं कि दूध पीओ, घी खाओ।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दवा तो इलाज के लिये होती है। दवा खाने के लिए नहीं है, दूध, घी खाना चाहिये।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वहां पर एम. बी. बी. एस. डॉक्टर होना चाहिये और अच्छे डॉक्टर को भेजना चाहिये। अभी

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

डॉक्टर आये थे उनको वहां से दो महीने में हटा दिया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डॉक्टर एम. बी. बी. एस. हैं, वे अच्छा काम करें, इसकी हिदायत कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसीलों की सड़कों का निर्माण कार्य

२५३. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) उदयपुर जिले की कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसीलों की किन किन सड़कों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया है ? कृपया सड़कों के नाम मय रकम के सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कों को प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी लिया गया था ?

(३) यदि हां, तो अब तक इन सड़कों का कार्य क्यों नहीं हुआ ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची प्रस्तुत है।

(२) प्रस्तुत सूची में केवल क्रमसंख्या १, २ व ४ वाली सड़कें प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई थीं।

(३) कार्य योजनानुसार चालू है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात : यह कार्य धीमी गति से क्यों हो रहा है ? पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने को आई, फिर भी कार्य अधूरा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : धीमी गति से कार्य नहीं हो रहा। मैंने कहा था कि पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा नहीं होना था, सेकिंड योजना के अन्त तक पूरा होने का है। जो शिड्यूल है कार्य का, वह कार्य के मुताबिक चल रहा है। न धीमी गति है और न तेज।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य खत्म होने को था वह नहीं हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी खत्म होने को है, वह बराबर हो जायेंगे।

श्री लक्ष्मण हीरात : अब तक नहीं हुआ तो तीसरी चौथी में होगा क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक वर्ष बाकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लूणकरणसर में पीने के पानी की व्यवस्था

२५४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य एवं जन चिकित्सा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजस्थान बनने के बाद कब से कस्बा लूणकरणसर के लोगों को पीने का

(श्री भीमसेन)

पानी रेल द्वारा बीकानेर से पहुंचाया जा रहा है और उसमें अब तक प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितना खर्चा किया जा चुका है ?

(२) क्या सरकार उक्त कस्बे के लिए अपने खर्चे से कोई योजना क्रियान्वित करने जा रही है ताकि सरकार को वार्षिक खर्चा भविष्य में न करना पड़े ? अगर हां, तो उस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का इरादा है ?

(३) उपरोक्त स्कीम का चालू खर्चा क्या होगा ? क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कीम का चालू खर्चा स्थानीय पंचायत वहन करने को तैयार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, पी० डब्लू० डी० से जानकारी की जाय।

श्री भीमसेन : कब तक जानकारी दे दी जायगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या २५५ ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अपनुस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

पुलिस विभाग में सब-इन्स्पेक्टर्स की नियुक्तियां

२५६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार प्रतिवर्ष पुलिस विभाग में नये सब-इन्स्पेक्टर की पोस्ट के उम्मीदवारों को लेने की संख्या निर्धारित करती है ? अगर हां, तो सन् १९५८ और ५६ में कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट वाइज नियुक्तियां करनी थीं ?

(२) उपरोक्त पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता निर्धारित कर रखी है ?

(३) क्या डिस्ट्रिक्ट टोंक में सन् १९५६ में पुलिस विभाग में सब-इन्स्पेक्टर के पदों की पूर्ति हेतु सिलेक्शन किया गया है ? अगर हां, तो कितने उम्मीदवारों का और उनकी क्या क्या योग्यताएं थीं व उनमें से कितने सिलेक्ट हुए ? सिलेक्टेड उम्मीदवारों की सूची देने की कृपा करें।

(४) क्या उपरोक्त सलेक्शन के लिए कोई बोर्ड नियुक्त है ? अगर हां, तो उसके कौन सदस्य हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) महा निरीक्षक कार्यालय प्रतिवर्ष सब-इन्स्पेक्टरों के रिक्त स्थान की गणना करता है। सन् १९५८ में ४ उम्मीदवार सब-इन्स्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए चुने गये थे और वर्तमान वर्ष के लिए ६ उम्मीदवार चुनने हैं। यह नियुक्ति राज्य स्तर पर की जाती है न कि जिला स्तर पर।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) सब-इन्स्पेक्टरों के चयन के लिए निम्नतम योग्यता मेट्रिकुलेशन है।

(३) जी नहीं। इस वर्ष के सलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार हो चुका है। परीक्षा-परिणाम घोषित नहीं हुआ है। जिला टोंक से आठ निम्नलिखित उम्मीदवार प्रस्तुत हुए थे:—

१. श्री हिदायतअली खां
२. श्री कादर मोहम्मद खां
३. श्री मोहम्मद इलियास खां
४. श्री मंगलसिंह
५. श्री आनन्दसिंह उदावत
६. श्री श्यामसुन्दर लाल
७. श्री वीरेन्द्रसिंह खांगरोट
८. श्री दुर्गादास राठौर

सलेक्शन स्टेट बेसिस पर किये जायेंगे और जिला बेसिस पर नहीं।

(४) सब-इन्स्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए चयन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें रेन्ज डी० आई० जी० पुलिस, जिलाधीश और सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस रेन्ज हैड क्वार्टर के सम्मिलित होते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह: किसी उम्मीदवार को सीधा सब-इन्स्पेक्टर्स ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है?

श्री रामकिशोर व्यास : सलेक्शन के बाद सीधा ही भेजा जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

देवली नगरपालिका का चुनाव

२५७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) देवली नगरपालिका के चुनाव करवाने की आज्ञा सरकार ने कब कब दी तथा बाद में चुनावों को कब कब स्थगित करवाया?

(२) चुनावों को स्थगित करवाने का क्या कारण था?

(३) क्या सरकार अब चुनाव अविलम्ब कराना उचित समझती है?

यदि हां, तो चुनाव कब तक हो जावेंगे?

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) राजस्थान सरकार ने देवली नगरपालिका का चुनाव कराने की कभी कोई आज्ञा प्रदान नहीं की, और न कोई स्थगित कराया है।

(२) ३०-१२-५७ से देवली के अजमेर जिले से टोंक जिले में आ जाने पर कलेक्टर टोंक ने ८. १. ५८ को चुनाव कराने के लिए प्रोग्राम प्रकाशित किया, लेकिन यह तहकीकात न होने से कि चुनाव अजमेर रूल्स के तहत हों अथवा राजस्थान रूल्स के, इस बात का निर्णय हो जाने तक चुनाव स्थगित रखे गये।

(३) जी हां। राजस्थान के नये म्युनिसिपल एक्ट के तहत चुनाव होंगे जो शीघ्र ही करवा दिये जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जब कि वहां की नगरपालिका के चुनाव कराने का निश्चय

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं किया जा सकता तो जो पहली नगर-पालिका काम कर रही थी उसको भंग क्यों किया गया। यदि उसको भंग किया गया तो जल्दी से जल्दी चुनाव कराने चाहिये थे, नहीं तो भंग नहीं करना चाहिये था। डेमोक्रेसी में इस तरह से चुने हुए लोगों को काम करने देना चाहिये था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भंग करने का सवाल नहीं, पीरियड खत्म हो गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : पीरियड खत्म होने के बाद जब दूसरी जगहों पर पीरियड एक्सटेन्ड करते हैं तो वहां भी पीरियड बढ़ाना चाहिये था या फौरन चुनाव कराने चाहिये थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने चुनाव के बारे में निवेदन किया कि राजस्थान में शामिल हो गया था तो राजस्थान के रूल्स लागू हो गये, तो अजमेर के रूल्स माफिक कराया जाय या राजस्थान के रूल्स के माफिक हो यह निश्चित नहीं किया जा सका। अब जल्दी करा दिया जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : अब राजस्थान पंचायत एक्ट के माफिक कब चुनाव हो जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिजर्व शीट का झगड़ा चल रहा है, सारे राजस्थान में झगड़ा चल रहा है कि कितनी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी है, वह अवेलेबल नहीं है इसलिये कलेक्टरों को लिखा है कि वे जानकारी करके करें।

श्री मुरलीधर व्यास : कब लिखा है, अब तक क्यों नहीं जानकारी की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २ बार सर्कुलर इश्यू कर दिये हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ५१ की मर्दुमशुमारी हुई उसके अनुसार फिगर्स तो सब जगह होने चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के अलग फिगर्स नहीं हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : देवली में पंचायत भी चल रही है और नगरपालिका भी चल रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों कैसे चल सकती हैं ?

श्री सरदारसिंह : रेजिडेन्सी एरिया था वहां म्युनिसिपैलिटी है और दूसरा जो हिस्सा है वहां पंचायत है, आपको मालूम नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : अजमेर में जब देवली था उस समय के फिगर्स नहीं हैं क्या कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने लोग वहां हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पिछली सेंसस में सेपरेट फिगर्स नहीं हैं, इसलिए रिजर्व शीट फिक्स करने में झगड़ा होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

Page No.8

बीकानेर जिला के वूल ग्रेडिंग सुपरवाइज़र्स का रेशनेलाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन

२५८. **श्री भीमसेन** (लुणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) बीकानेर जिले में वूल ग्रेडिंग सुपरवाइज़र्स कितने हैं व कब से कार्यकर रहे हैं ?

(२) रेशनेलाइज्ड पे स्केल कब लागू किया ? उपरोक्त सुपरवाइज़र्स में से किन किन का फिक्सेशन उपरोक्त स्केल में अब तक नहीं हुआ व क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि जिन सुपरवाइजर्स का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनके कागजात मुकम्मिल उपाध्यक्ष, भेड़ व ऊन विभाग के कार्यालय में काफ़ी अर्से पहले भेज दिये थे और वहां पर पेंडिंग हैं ? इसके लिये कौन ज़िम्मेदार है ?

उप-मंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) ७ हैं और सन् १९५३ से कार्य कर रहे हैं।

(२) १-४-५६ से लागू की गई। केवल श्री रतन लाल, सुपरवाइज़र की कार्यवाही चालू है।

(३) जी नहीं।

श्री भीमसेन : ये भेड़ ऊन विभाग में कागजात पहले कब आये ?

श्री दौलतराम सारण : १४-४-५८ को गये थे फिर कई बार गये हैं, कई बार आये हैं।

श्री भीमसेन : कितने अर्से तक डिपार्टमेंट में पड़े रहे ?

श्री दौलतराम सारण : १५ मई को यहां से भेज दिया और दुबारा आये १६-७-५८ को याददाहानी कराई।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): एक के जवाब में कहा कि फिक्सेशन बाकी है और ३ के जवाब में कहा कि 'जी नहीं' इसका क्या मतलब है ?

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब प्रश्न को पढ़ने से साफ हो जाएगा।

श्री पी. के. चौधरी : क्या पेंडिंग है, यह पूछा था।

श्री दौलतराम सारण : जल्दी कराने की ताकीद की जायगी।

श्री भीमसेन : क्यों नहीं किया जा रहा है अब तक ?

श्री दौलतराम सारण : कागजात में खामी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५९

नगरपालिका टोंक

२५९. **राजराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे : -- (१) टोंक म्युनिसिपैलिटी की कितनी आमदनी और कितना माहवारी खर्चा है ?

(२) इस म्युनिसिपैलिटी द्वारा क्या क्या टैक्स वसूल किये जाते हैं ?

Page No.9

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(३) क्या यह सही है कि म्युनिसिपैलिटी का टैक्स बाकी अर्से से बकाया पड़ा हुआ है? अगर हां, तो किन किन से तथा कब से ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता): (१) आय रु० १४, ६८७. ४८ नये पैसे माहवार तथा खर्च रु० १४, ६६०. ६ नये पैसे माहवार है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां। दुकान कर व घड़ी कर का बकाया सन् १९४४ से लगभग १००० व्यक्तियों की ओर चला रहा है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : ४४ की १ हजार बकाया चली आ रही है उसका क्या कारण है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ४४ की बकाया का रेकार्ड म्युनिसिपैलिटी के पास नहीं है इसलिये तय कर दिया कि ३ साल से ज्यादा की बकाया है वह माफ कर दी जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह: ऑर्डर आ गया है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ४-११-५६ को तय किया है ३ साल से ज्यादा की बकाया है वह माफ कर दी जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ३ साल से ज्यादा की बकाया का बाबत रेजोल्यूशन लिखा है म्युनिसिपैलिटी ने तो क्या सरकार के ने स्वीकृति दे दी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार के पास अभी तक आया नहीं है इसलिये सरकार ने अभी तक कुछ तय नहीं किया है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : एक हज़ार में बाकी है तो क्या नेताओं में बाकी है या दुकानदारों में बाकी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

औषधालय, भोपालगंज को वैद्य द्वारा पुस्तकों का अनधिकृत क्रय

९६० **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भोपालगंज औषधालय के लिये औषधालय के वैद्य, श्री छीतरमल ने लगभग ३००) रु० की पुस्तकें खरीदीं ?

(२) क्या इस खरीद से पूर्व नगरपालिका की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि इन पुस्तकों की आवश्यकता केवल श्री छीतरमल को ही थी ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : म्युनिसिपल आयुर्वेदिक औषधालय, भोपालगंज, भीलवाड़ा के लिये समय समय पर २३८ रु० ७ आने की पुस्तकें खरीदी गई हैं।

(२) इन पुस्तकों को खरीदने के पूर्व नगरपालिका ने समय समय पर स्वीकृति दी है तथा ये पुस्तकें नगरपालिका द्वारा मंगवाई जा कर दी गई हैं।

(३) पुस्तकों की आवश्यकता औषधालय के लिये होने से ये पुस्तकें समय समय पर मंगवाई गई हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : २ का जवाब नहीं दिया।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीभैरोंसिंह।

राजस्थान इन्डियन मेडिसन बोर्ड की स्थापना

२६१. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान इन्डियन मेडिसन बोर्ड की स्थापना कब हुई तथा स्थापना से अब तक इसके कौन कौन पदाधिकारी व सदस्य रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रक्खें, जिसमें उनकी योग्यता का भी उल्लेख हो।

(२) क्या सरकार इन्डियन मेडिसन बोर्ड के सचिव के पद को गजेटेड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने एक स्टेंडिंग बोर्ड की स्थापना की है ? यदि हां, तो इन्डियन मेडिसन बोर्ड के विद्यमान होते भी ऐसे बोर्ड की स्थापना की क्यों आवश्यकता हुई ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (१) मई १६५४ में हुई। सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, दोनों के निर्देश पत्र भिन्न भिन्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : गजेटेड ऑफिसर क्यों नहीं माना गया रजिस्ट्रार को ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह तो फाइनेन्स का मामला है, सरकार के सामने सिफारिश की है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह सिफारिश आपने कब की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने नहीं बोर्ड ने की है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री ने की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने फाइनेन्स को लिख दिया, एतराजात आये फिर दुबारा लिख दिया।

डा० बहादुरसिंह : यह बोर्ड इलेक्टेड है या नोमिनेटेड है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों तरह के प्रावधान इस एक्ट में हैं, दोनों तरह का है।

प्रश्न संख्या २६२, २६३, २६४

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

श्रम आयुक्त की विदेश यात्रा पर हुआ व्यय

२६५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.11

(श्री मूलचन्द डागा)

(१) राजस्थान के श्रम आयुक्त सन १९५९ में कब व कितने अर्से तक, किन-किन जगहों पर व किस-किस उद्देश्य से रहे ?

(२) क्या उनके विदेश जाने आने का जो कुल खर्चा हुआ है, उसमें राजस्थान सरकार को भी कुछ खर्चा करना पड़ा ? यदि हां, तो कितना ?

(३) इस देशाटन से क्या सफलता हुई ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) राजस्थान के श्रम आयुक्त श्री चन्द्रधर इस्सर ने दि० ३ जून, ५९ से २५ जून, ५९ तक जिनेवा में हुये ४३ वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सत्र में भाग लिया। आप सरकारी सलाहकार के रूप में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य थे।

(२) नहीं।

(३) इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का जो महत्व है उसकी चर्चा प्रश्न के उत्तर के रूप में नहीं आ सकती और यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही था। सफलता का कोई माप दण्ड नहीं बताया जा सकता है।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या उस समय का भी वेतन अलाउन्स देना पड़ा था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वेतन तो देना ही पड़ेगा, पर और खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का था।

श्री मूलचन्द डागा : कुल कितने महीने तक छुट्टी में रहे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सितम्बर में आये थे। ३ जून से गये थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

टोडा-निम्हेड़ा सड़क का निर्माण

२६६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या टोडा से वाया नासिरदा तक सड़क बनाने की सरकार की योजना है ?

(२) यदि हां, तो क्या उसकी सर्वे होकर धनराशि स्वीकृत हो चुकी है ? अगर हां, तो कितनी व उक्त सड़क कितने माइल्स लम्बी है ?

(३) यह कार्य कब तक सम्पूर्ण हो जाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी हां। वर्ष १९५९-६० में ७५,००० रु० तथा वर्ष १९६०-६१ में १,००,००० रु० रखा गया है।

१५ मील २ फर्लांग।

(३) तृतीय पंच वर्षीय योजना में।

प्रश्न संख्या २६७

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

मणियारी बांध, पाली

२६८. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पाली तहसील के मणियारी बांध का काम शुरू हो गया ? यदि नहीं हुआ तो क्या सरकार इस बांध का कार्य अगले तीन महीनों में शुरू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार को यह मालूम है कि इसके लिए सिंचाई विभाग के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने आज से एक साल पूर्व इस काम को शुरू करने का निश्चय कर लिया था ? यदि हां, तो फिर देरी क्यों हो रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१) काम अभी शुरू नहीं हुआ है परन्तु शीघ्र ही शुरू करने की तजवीज है।

(२) मणियारी बांध की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल माह मार्च ५६ में दी जाने के बाद टेक्निकल सेन्कशन व वर्षा के कारण काम शुरू नहीं हो सका। अब काम शुरू करने की तजवीज जारी है।

श्री मूलचन्द डागा : यह तजवीज तो कभी से जारी है। कब कार्यान्वित हो जावेगी।

श्री भीखाभाई : एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल तो हो चुकी है अब टेक्निकल सेंक्शन के बाद तुरन्त जारी हो जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : इसके लिये आपको यही कहते कहते १॥ साल तो हो गया है।

श्री भीखाभाई : जब तक टेक्निकल इंजीनियरों से जांच न करा लें तब तक समय तो जरूर लगता ही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रीभानसिंह।

अन्य विभागों से स्थानान्तरित व्यक्तियों की यातायात विभाग में नियुक्ति

२६६. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Transport please state:—

What is the total number of people appointed by the Transport Department by transfer from other departments ? Please give their names, original departmental posts and the posts on which they are now working in the Transport Department. Please give the information for the year 1957, 1958 and 1959 separately.

What were the reasons for these transfers.

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : 1. In 1957-5. In 1958-8. In 1959-13.

2. List is enclosed.

3. Instead of recruting fresh hands, hands already working in the departments were considered more suitable and hence such transfers were made.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री श्रीभानसिंह : How were they considered as suitable when they belong to other departments.

Page No.13

श्री नाथूराम मिर्धा : अदर डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छे हैं।

श्री श्रीमानसिंह : How could the department have the knowledge that these persons are suitable hands to work in the Transport Deptt while they are working in other departments.

श्री नाथूराम मिर्धा : उन लोगों ने स्वयं ने ट्रान्सफर के लिए एप्लाई किया था और उनमें से जिनको ठीक समझा उनको लिया गया और जिनका ठीक रेकॉर्ड था उनको बनाया गया।

श्री श्रीमानसिंह : क्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग अपने यहां वेकेन्सीज की इत्तला दी थी, कि आपके डिपार्टमेंट में जो फालतू या बेकार हैं या अपनी ट्रान्सफर कराना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन भेजी जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए न तो उनको इत्तला देने की जरूरत थी और न जरूरत है। सब लोग सतर्क हैं कि कहां कहां जगह खाली होती है और जहां पर जगह खाली होती है वे अपने आप एप्लाई कर देते हैं।

श्री श्रीमानसिंह : क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कितनी पोस्टें खाली थी? आपने कोई रिक्वीजिशन भेजी या नहीं अन्यथा उन्हीं आदमियों को कैसे मालूम पड़ा कि आपके दिमाग में जगह है। जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे उनको कैसे मालूम पड़ा कि आपके दिमाग में जगह खाली है?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो हर एक आदमी को मालूम होता है कि किस विभाग में जगह खाली है। जो लोग गवर्नमेंट के नौकर होते हैं, उनको भी मालूम होता है, दूसरों को भी मालूम रहता है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि अधिक स्थान उनमें से ऐसे हैं जो वेकेन्ट नहीं हैं और उनके लिए नई पोस्टें क्रीएट कराई गई हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है। ट्रान्सपोर्ट में नई पोस्टें क्रीएट नहीं कराई गई।

श्री श्रीमानसिंह : जो एल. डी. सी. और यू. डी. सी. दूसरे डिपार्टमेंटों में काम कर रहे थे उनको इन्स्पेक्टर बनाये गये। यह क्या क्राइटेरिया था जिसके अनुसार उनको इन्स्पेक्टरों में रखा गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : यू. डी. सी. का काम करने वाले लोगों को इन्स्पेक्टर एक को भी नहीं बनाया गया।

श्री श्रीमानसिंह : जो व्यक्ति एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ट्रान्सलेटर के पद पर काम कर रहा है उसको आपने इन्स्पेक्टर क्यों लिया?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कभी इन्स्पेक्टर नहीं लिया गया, यह गलत है। उसको वापिस भेज दिया गया।

श्री श्रीमानसिंह : There is one Shri Sukhram, Translator, Agriculture Deparment, in the list.

श्री नाथूराम मिर्धा : He has been removed from the Transport.

Page No.14

श्री श्रीभानसिंह : I am afraid, you should have given me a true picture of it.

श्री नाथूराम मिर्धा : How ? He has been removed.

श्री श्रीभानसिंह : If so, what were the reasons for his removal from the Transport Deptt.

श्री नाथूराम मिर्धा : Because he was not selected by the Public Service Commission.

श्री श्रीभानसिंह : If he was not selected by the P. S C., why did not the Government think to recruit through P. S. C. rather tnan to take him direct and then revert him.

श्री नाथूराम मिर्धा : He was not selected. And he worked only for a few months.

श्री श्रीभानसिंह : There is no question of few months. Why was he recruited ?

श्री भैरोंसिंह : एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के ट्रान्सलेटर को दो महीने के लिये नियुक्त किया गया था उसके पीछे क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो इन्स्पेक्टर की क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये वे थीं और उसने इस डिपार्टमेंट में एप्लाई किया। थोड़े दिनों के लिये उसको रख लिया फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको नहीं माना जब उसको लिखा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कई सब-इन्स्पेक्टरों को जिनको प्रमोशन दिया जा सकता था नहीं दिया जाकर, उनको चान्स नहीं देकर इनको चान्स दिया गया इस कारण से कर्मचारियों में असंतोष आया।

श्री नाथूराम मिर्धा : उस समय जितने सब-इन्स्पेक्टरों का प्रमोशन देने की आवश्यकता थी दिया गया। इसके अलावा उसको दो महीने के लिए रख लिया था। मगर जब हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट ने पी. एस. सी. को लिखा और पी. एस. सी. ने उसको नहीं माना तो उसको वापिस भेज दिया गया।

श्री श्रीभानसिंह : Can the Hon'ble Minister state the required qualifications of a Transport Inspector.

श्री नाथूराम मिर्धा : क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट भी हैं, इन्टर भी हैं और मेट्रिकुलेट भी हैं।

एक माननीय सदस्य : मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेट्रिकुलेट।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीभानसिंह : अभी और पूछना है।

जब आपने मि० शम्भूसिंह, यू. डी. सी. को पुलिस डिपार्टमेंट से लिया और आबूरोड पर किया तो क्या उसके लिए पी. एस. सी. के द्वारा उसको बुलाया गया था या और किसी जरिये से। जैसा कि आपने अपनी सूची में दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको बने हुए भी ७ या ८ साल का अर्सा हो गया है। उसने पुलिस से अपनी एप्लीकेशन दिलाई और वह आ गया। अब तो वह पी.एस.सी. से भी एप्रूव्ड है।

श्री श्रीभानसिंह : जब उसने एप्लीकेशन दी थी did he possess the required qualification to become a Transport Inspector and was the post advertised by the P.S.C.

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो क्वलिफाइड ही था तभी तो पी. एस. सी. ने उसे सलेक्ट किया।

श्री श्रीभानसिंह : आपने इसके लिए the generosity of the deptt. was added to him...

जिस समय पर उसने एप्लाई किया क्या कोई ऐसे सब-इन्स्पेक्टर प्रमोशन के लिए थे और उनको प्रमोशन दिया जा चुका था या जिनको देना था दिया गया और इसकी क्वालिफिकेशन को आपने पी. एस. सी. को रखी या आपने इनका डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ७, ८ वर्षों पहले की बात है। मुझे याद नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Minister should be very conversant. He has given in 1959...

१९५९ में उनके नाम दिए हैं। इसको ७, ८ साल पहले का कैसे मान लें। आप कुछ कह रहे हैं और लिस्ट कुछ बता रही है।

श्री अध्यक्ष : हर एक व्यक्ति का कैसे बता सकते हैं। निश्चित तौर से पूछते तो ये बता सकते थे।

श्री श्रीभानसिंह : Will the Hon'ble Minister state the qualifications of Shri Sukram when he was taken as Transport Inspector in the Transport Department ?

श्री अध्यक्ष : यह डिटेल्स निश्चित हैं तो आपको डाइरेक्ट प्रश्न पूछ लेना चाहिये था। एक, दो या तीन को। आपने जनरल प्रश्न पूछा है। हर एक का पास्ट रेकार्ड तो नहीं बता सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष इससे कोई पब्लिक पर्पज सर्व नहीं होता।

श्री श्रीभानसिंह : पब्लिक पर्पज सर्व होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अध्यक्ष महोदय को निवेदन कर रहा हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं भी अध्यक्ष महोदय को निवेदन कर रहा हूँ। आपका ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आप उसको रिक्रूट करते हैं जिसको आप फेवर करते है। इससे पब्लिक पर्पज सर्व नहीं होता तो क्या होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : वह तो आपकी लिस्ट बताती है। Your list is showing that U. D. Cs have been appointed as Transport Inspectors.

प्रश्न संख्या २७०

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री श्रीभानसिंह।

गेम्स वार्डन, सेन्चुरी आफिसर्स या रेन्जर्स के पदों के लिये विज्ञापन

२७१. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Forests please state:—

1. Did the Public Service Commission advertise for the posts of Gemes Warden, Sanctuary Officers or Rangers? If so, with what qualifications and for how many posts?

2. How many candidates appeared before the Commission from the department? On what posts they were working and what were their qualifications? Please give their names.

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : 1. Yes. 4 posts of Game Wardens and 2 posts of Rangers. The prescribed qualifications were:—

Game Wardens:-Graduate with special experience of three years on Game supervision and wild life. Game Rangers:-Intermediate with special experience of three years on Game supervision and wild Life.

5 for Game Wardens and 2 for Game Rangers. A statement containing the required information has been placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सतनाम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के ट्रक नं० आर. जे. आर. ८६८ का भीलवाड़ा शहर में गिरफ्तार किया जाना

२७२. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:–

(१) क्या यह सही है कि जिलाधीश, भीलवाड़ा के आदेश के अनुसार दिनांक ६–५–५६ की रात्रि को आर. जे. आर. ८६८ (सतनाम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी) को, जिसमें २०० लोहे के चद्दर ले जाये जा रहे थे, पुलिस ने भीलवाड़ा शहर में गिरफ्तार किया था?

(२) क्या यह सही है कि यह ट्रक पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया, तथा फिर कलेक्टर ने आदेश देकर पुलिस द्वारा निम्बाहेड़ा के पास उस ट्रक को जाते हुए दुबारा गिरफ्तार कराया?

(३) यह गिरफ्तारी क्यों की गई, और यह माल किसका था? इस गिरफ्तारी के बाद अब तक क्या कार्यवाही हुई?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं, ट्रक को केवल रोका गया था, कोई जब्ती वगैरह नहीं की गई।

(२) जी हां।

(३) ट्रक को जब्त किया गया क्योंकि टिन शीटों का भीलवाड़ा से बाहर भेजना एक्जीक्युटिव आज्ञा का उल्लंघन था। मुकदमा

(श्री भैरोंसिंह)

सिटी मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा की अदालत में दफा ५२३ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। यह मामला सब जुडिस है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न दो का उत्तर जरा आप और रिपीट कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जब एक दफा ट्रक को रोक कर फिर छोड़ दिया तो बाद में भीलवाड़ा से बाहर उसको पकड़ने की क्यों आवश्यकता हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर्स दिये थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पहली बार रोका जब डी० एम० ने आदेश दिये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : डी० एम० ने नहीं दिये थे।

श्री भैरोंसिंह : अच्छी तरह से इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय कर लें कि क्या डी० एम० के आर्डर्स से उसको रोका था या नहीं ? या मैं जो कहता हूँ उसको डिनाई कर दें कि ए० डी० एम० के आदेश से उस ट्रक को रोका था ?

श्री अध्यक्ष : ट्रक को रोकना तो माननीय मंत्री भी स्वीकार करते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : ए० डी० एम० के लिए आप कहते हैं वे ही अब डी० एम हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि ए० डी०एम० ने छोड़ दिया और वही ए० डी० एम० डी० एम० बने तो उसको पकड़वाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सप्लाई और मोटर विहीकल्स एक्ट के अनुसार ऑफेन्स नहीं था। चूंकि एक्ज़ीक्युटिव आदेश ऐसे थे कि टिन शीटें सिटी से बाहर न जाये इसलिये यह मामला कोर्ट में भेज दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : ए० डी० एम० ने ऑर्डर्स दिये थे तो इसलिये दिये थे कि ट्रक के अन्दर भीलवाड़ा से बाहर चद्दरें ले जाई जा रही हैं इसलिये रोकी जाय और उनको पुलिस द्वारा रोका गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई मेटिरियल ले जाना ऑफेन्स नहीं है कानूनी दृष्टि से, लेकिन चूंकि दुबारा बताया गया कि एक्जीक्युटिव आदेश इस तरह के हैं इसलिये दुबारा उसको पकड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

भरतपुर जिले में कम्पाउण्डर्स की भर्ती

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या गत दो तीन माह में भरतपुर जिले में कम्पाउन्डरों की भर्ती ट्रेनिंग हेतु की गई थी ?

(२) यदि हां, तो भर्ती करने के लिये विज्ञापन किन किन समाचार पत्रों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(डॉ० बहादुरसिंह)—

(३) क्या भर्ती करने के पूर्व योग्यताओं की भी घोषणा की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) भर्ती जिले के किस किस अधिकारी ने की ?

(५) क्या इस भर्ती के लिये एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज से भी सहायता ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) :
(१) जी हां।

(२) विज्ञापन किसी समाचार पत्र को नहीं दिया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी।

(३) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(४) भर्ती एक कमेटी द्वारा की गई थी जिसके अध्यक्ष डॉ० आर० एन० सचदेव तथा सदस्य डॉ० टी० जी० माथुर व डॉ० एस० एन० माथुर थे।

(५) जी नहीं। क्योंकि कम्पाउन्डरों की भर्ती प्रशिक्षण देकर उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को नौकर रखने की नीति है न कि एम्पलॉमेंट एक्सचेन्ज से प्राप्त नौकरी के उम्मीदवारों को नौकर रखने की।

डा० बहादुरसिंह : समाचार पत्रों को क्यों नहीं सूचना दी गई कि इस प्रकार भर्ती किये जावेंगे ?

श्री भीखाभाई : लोकल पेपर्स में दरअसल प्रकाशन होता है। ये थर्ड ग्रेड के कम्पाउण्डर्स होते हैं जिनके लिए स्कूलों को ही सूचित किया जाता है, डिप्टी इन्सपेक्टर्स के पास सूचना भेज दी गई थी। कम्पाउण्डर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रूरल एरिया में ट्रेनिंग सेन्टर्स खोल दिये ?

डा० बहादुरसिंह : मेरा प्रश्न खास तौर पर यह है कि पत्रों में इसकी सूचना न देने के कारण दूसरे लोगों को सूचना नहीं मिली।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेट्रिकुलेट को लेते हैं। इस समय भी मेरे पास पांच सौ, सात सौ एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है।

डा० बहादुरसिंह : विशेष बात यह है कि इसमें मनमानी की गई। जिसको चाहा रखा, जिसको न चाहा नहीं रखा। भर्ती करने ही थे तो पत्रों में यह सूचना निकालते कि फलां-फलां योग्यता के भर्ती किये जावेंगे। पत्रों को सूचना देनी चाहिये थी जिससे कि सब ही लड़कों को मालूम हो सकता था।

श्री भीखाभाई : इसके लिये सिलेक्शन कमेटी मुकर्रर है और जिनको सुटेबल समझा उसने उनको लिया।

डॉ० बहादुरसिंह : योग्यता रखी है मेट्रिकुलेट। आखिर कौन से सब्जेक्टस ?

श्री भीखाभाई : सब्जेक्ट्स के लिए कोई बन्दिश नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : अच्छे फर्स्ट क्लास लड़के चूंकि साइन्स लिये हुए नहीं थे इसलिए उनके प्रार्थना पत्र रिजेक्ट कर दिये गये।

श्री भीखाभाई : यह तो सिलेक्शन कमेटी का काम है। साइन्स के लड़कों ने भी प्रार्थना पत्र दिये होंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : जब तक पत्रों में सूचना न दें, इस प्रकार की भर्ती अवैध है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो बेस्ट केन्डीडेट्स सिलेक्शन में आये उनको सिलेक्शन कमेटी ने ले लिया।

डॉ० बहादुरसिंह : बेस्ट केन्डीडेट फर्स्ट या सेकिन्ड क्लास को माने, या तो साइन्स लेकर आवे या साइन्स बायोलोजी लेकर आवे, आखिर कोई योग्यता तो रखनी चाहिये थी, और सूचना तो देनी चाहिये थी।

श्री भीखाभाई : इस वक्त आधार नहीं था। मेट्रिकुलेट को ही लेना था।

कम्पाउन्डर्स की, जैसा कि आप सब ही जानते हैं, कमी थी इसलिए उनको लिया गया। वैसे तीन साल की ट्रेनिंग है और उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन्स हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि कमेटी की इच्छा हुई जिनको रखा, नहीं इच्छा हुई नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष : सिलेक्शन का यही मतलब होता है।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १ हजार प्रार्थना पत्र हों और बहुत कम जगह हों तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कमेटी अपोइन्ट करके सिलेक्शन कराया जाय इसके सिवाय क्या चारा रह जाता है

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : इस बोर्ड का कब निर्माण किया और कब यह घोषित किया कि इस प्रकार की क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये ?

श्री भीखाभाई : दरअसल कम्पाउन्डर्स की सर्वथा कमी है और उसको पूरा करने के लिए यह तय किया गया था। मार्च ५९ में सर्कुलर इश्यू किया गया था कि कम्पाउन्डर्स की भर्ती की जायगी और १६ सेन्टर्स रूरल एरिया में खोल दिये। लोकल डॉक्टर्स की छोटी कमेटी बनाई जाती है, वे सिलेक्ट करते हैं।

श्री मोतीलाल : जब विभागों में आदमी लेते हैं तो जो एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज को लिख देते हैं उनके द्वारा ही उनको सूचना देकर लेते हैं। एप्लीकेशन्स किनके पास पड़ी हैं, डाइरेक्टर्स के पास या मिनिस्टर के पास ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन, चार, बार बता दिया कि मार्च ५९ में डाइरेक्टर से सूचना निकाली गई कि कम्पाउन्डर्स को लेना है। इसके लिए कमेटी बिठा दी। स्कूलों में और डिप्टी इन्स्पेक्टर्स को लिख दिया कि लड़कों को भेज दें। जहां जिस प्रकार कमेटी ने उपयुक्त समझा, सिलेक्शन करके भेज दिया।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु): अध्यक्ष महोदय, आपके अन्तर्गत आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट भी चलता है और हमारे यादवों में जाश्मा गांव है वहां की नर्स को मावली ले गये और वहां कोई भी अभी तक नर्स नहीं भेजी गई ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : यहां कम्पाउन्डर्स का ही प्रश्न है।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिन जिन एम. एल एज़ को इस सम्बन्ध में शिकायत हो तो मुझे एक बार लिख कर भेज दें, मैं वहां भिजवा दूंगा।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं डिपार्टमेन्ट की कमी को बता रहा हूं। नौकरी पर लगी हुई थी और वहां पर तैनात थी उसको हटा कर मावली ले गये। कई औरतें मर गई, लोगों में असंतोष फैल रहा है, सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं। मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां नर्स भेजें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

बारां नगर में रेलवे स्टेशन के पास विकास विभाग के क्वार्टर्स का निर्माण

२७४. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बारां नगर में रेलवे स्टेशन के पास विकास क्वार्टर बनाने के लिये ६,००० रु० का ठेका दिया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त क्वार्टर का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के कुछ समय पश्चात् कार्य निश्चित रूप से बन्द कर कर दिया गया और ठेकेदार को १,८०० रु० पेमेन्ट कर दिया गया है ?

(३) यदि हां तो यह कार्य क्यों रोका गया तथा इससे हुई हानि की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) रेलवे स्टेशन के पास ३ विकास अधिकारी क्वार्टर बनाने का ठेका करीब ११,२७० रु० का दिया गया है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

करौली में प्रसूति-गृह के लिये भूमि की अवाप्ति

२७५. **श्री बृजेन्द्रपाल** [करौली— श्री अनोपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया] :

Will the Health Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that a maternity ward has been sanctioned by the Government at Karauli ?

(b) Has any land been acquired for it ?

(c) If so, when and how much ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

1. Maternity Ward has not been sanctioned but a proposal is under consideration.

2. That is also under consideration.

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

3. The question does not arise.

श्री अनोपसिंह : Is there any estimate or plan about it ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes, the plan. has been received and the estimates have been prepared.

श्री अनोपसिंह : How much estimate is there for the construction...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्चुअल फिगर्स नहीं है but the estimate has been received.

डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेन्ट आफिसर की नियुक्ति

२७६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Will the Labour Minister be pleased to state :—

1. Since January, 1959, how many applications were received for the post of Asstt./District Employment Officer and who were appointed on these posts ? A statement showing the names, qualifications and experience of all the candidates who had applied and were appointed, be placed on the table of the House.

2. When a notification was issued by the Rajasthan Public Service Commission inviting applications for the above posts and after that date how many posts were filled up departmentally till this date ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

1. Twelve applications were received by the Directorate of Employment after January, 1959 and upto the issue of the R. P. S. C. advertisement. Out of them, three persons were appointed as Assistant Employment Officers. The names and qualifications of the appointed candidates together with their date of appointment are given in the attached statement.

2. The R. P. S. C. issued the notification inviting applications for Assistant Employment Officer, District Employment Officer in August, '59. No appointments have been made departmentally after the issue of the R. P. S. C. notification.

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १२ केन्डीडेट्स में से ३ का ही सिलेक्शन किया उनकी क्या क्या योग्यता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: He is B. Com. and has 15 years experience.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इनका अपोइन्टमेन्ट इन्टरव्यू के बाद किया गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्टरव्यू नहीं लिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी के ६ की क्वालिफिकेशन क्या-क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक तो हमें शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी लेना था । जो

Page No.22

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आदमी लिया गया वह बेस्ट क्वालिफाइड था और हमारे ही विभाग में काम करता था। बाकी के आदमियों की लिस्ट दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी के ६ आदमी जो बचे उनमें में किसी का अपोइन्टमेंट क्यों नहीं किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनमें से हमें एक तो शिड्युल्ड कास्ट का लेना था इसलिए जो आदमी लिया गया उससे ज्यादा योग्य शिड्युल्ड कास्टस में नहीं मिल सकता था। और दूसरे आदमी भी ग्रेजुएट हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He has experience of U. D. C. You are appointing him as Employment Officer.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : He is B. Com. and is working as U. D. C. in the Secretariat. The other is also M. A. in Economics. He is also best qualified.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : १२ प्रार्थना-पत्र आये तो क्या इसके लिए एडवरटाइजमेंट किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टेम्प्रेरी अपोइन्टमेंट करना था।

श्री भैरोंसिंह : फिर भी आपके पास ये एप्लीकेशन्स कैसे आयीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एप्लीकेशन्स दे दी होंगी।

श्री भैरोंसिंह : जिन स्थानों पर नियुक्त किया गया, क्या वे नये क्रिएट किये गये या ये स्थान रिक्त हुये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिक्त हुए थे--कई आदमी छुट्टी पर चले गये थे एक दो का प्रमोशन हो गया।

श्री भैरोंसिंह : तो जो स्थान रिक्त हो गये थे उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजिशन क्यों नहीं भेजा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिक्वीजिशन तो भेज दिया गया है, पोस्ट्स खाली न पड़ी रहें और काम में हर्जा न हो, इसलिये नियुक्ति कर दी गई।

श्री भैरोंसिंह : इन स्थानों के रिक्त होने के छः महीने बाद रिक्वीजिशन भेजा गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : केजुअल वेकेन्सीज थीं।

श्री भैरोंसिंह : जब आपके यहा स्थान रिक्त हुये तो आपको नये केन्डीडेट्स से उनकी पूर्ति करनी थी। आपने उन स्थानों के लिए छः महीने बाद रिक्वीजिशन भेजा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगस्त में एप्लीकेशन्स इन्वाइट की हैं।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने चार वर्ष के बाद की होगी लेकिन ज्योंही स्थान रिक्त हुए उनको क्यों नहीं लिख भेजा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगस्त डेट थी, पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रार्थना पत्र आमन्त्रित कर लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन तीनों स्थानों के लिये रिक्वीजिशन भेजा गया, तो क्या तीनों स्थान एक साथ रिक्त हुये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो आपने पी० एस० सी० को एक साथ इसलिए लिख दिया कि तीनों स्थान रिक्त हो जायेंगे इसी बिना पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपसे निवेदन किया, एक रोज इत्तिला नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : तो इत्तला कब दी गई ? एडवरटाइजमेंट जो निकला है वह तो एक साथ निकला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये तीनों स्थान कितने दिन रिक्त रहे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा आपको स्थान खाली न रहे इसलिये डिपार्टमेंट्स से और दूसरे लोगों को लगा दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि तीनों आदमियों को हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से जिसको चाहा नियुक्त कर लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी न किसी आदमी को तो करना ही था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह बता सकी है कि जिन बारह की एप्लीकेशन्स आई उनमें से ये तीनों ही बैस्ट क्वालिफाइड थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार की नजर में ये ही बैस्ट आदमी थे। एक तो शिड्युल्ड कास्ट का आदमी था जो बैस्ट क्वालिफाइड था। दूसरा आदमी एम० ए० इकोनोमिक्स था। इस तरह से बैस्ट क्वालिफाइड आदमी थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उन प्रार्थनापत्रों में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सुपरिन्टेन्डेन्ट का भी प्रार्थना पत्र था जो आपके यू० डी० सी० से काफी क्वालीफाइड था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आपकी मर्जी का आदमी लिया जाय तो ठीक और हम अपनी मर्जी का लें तो आपको एतराज।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कृषि सहकारी फार्म्स, कोटा

२७७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) कोटा जिले में इस समय कितने कृषि सहकारी फार्म्स किस-किस नाम से चल रहे हैं ?

(२) इन सहकारी कृषि फार्म्स के अलग अलग कितने सदस्य हैं तथा अलग-अलग इनके पास कितनी भूमि है ?

(३) इन सहकारी कृषि फार्मों की ओर राज्य सरकार का कितना रुपया कब से बकाया है ?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) कोटा जिले में इस समय २१ कृषि सहकारी फार्म चल रहे हैं जिनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(२) इसकी सूचना संलग्न सूची, परिशिष्ट (क) के कालम ३ और ४ में दे दी गई है ।

(३) इसकी सूचना संलग्न सूची, परिशिष्ट (क) के कालम ५, ६ में दे दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : इनके पैसों की वसूली की क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री दौलतराम सारण : विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दौलतराम सारण : पैसे वसूल करने के लिए विभाग तत्पर है ।

पार्वती बान्ध का क्षतिग्रस्त कांकोर नाला

२७८. **डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) :** क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि पार्वती बांध का कांकोर नाला क्षतिग्रस्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी जांच कब की ? उक्त जांच की रिपोर्ट की प्रति सदन में प्रस्तुत की जावे ।

(२) जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१) पार्वती नहर का कांकोर नाला एकुमेडट माह दिसम्बर, १६५८ व फरवरी, १६५६ में क्षतिग्रस्त हुआ था और उसकी जांच माह फरवरी में शुरू कर दी थी जो अभी जारी है । जांच सम्पूर्ण होने पर सदन को उचित जानकारी दी जायगी ।

(२) जांच सम्पूर्ण होने पर दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सत्य है कि इस सप्ताह में यह तिबारा टूट गया है ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है । जांच करके उत्तर दे सकूंगा ।

डा० बहादुरसिंह : यह माननीय मन्त्रीजी को मालूम है कि रविवार को यह चौबारा टूटा है–एक बार ऑफिशियली और तीन बार नॉन ऑफिशियली ।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आप किस बात की जांच कर रहे हैं, क्षतिग्रस्त हुआ है इसकी या इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी किस पर बनती है, इसकी ?

श्री भीखाभाई : All the things together.

श्री पी० के० चौधरी : Have you established by your 'Janch' whether it has been damaged ?

श्री भीखाभाई : As I have already said, the enquiry has not been completed.

डा० बहादुरसिंह : इसकी वजह से जिन काश्तकारों का नुकसान हुआ फसल का, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी ?

श्री भीखाभाई : This is a separate Question.

डा० बहादुरसिंह : (ठीक तरह से उत्तर न सुन सकने के कारण) वेग सवाल नहीं है। वह टूट गया, यह निश्चित है। उससे लोगों की आगे की सिंचाई भी रुक गई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री पी० के० चौधरी : We want to know whether the Government is still aware whether it has been damaged or not? He is not giving a clear reply to it.

श्री अध्यक्ष : इसकी तो इन्क्वायरी हो रही है।

श्री पी० के० चौधरी : You can have a photograph and that will show whether it has been damaged or not.

डा० बहादुरसिंह : अब तिबारा टूटा है। इसकी जांच करेंगे या नहीं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आपको इसका जवाब दे दिया है।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : इसमें कई महीने तो लग ही जायेंगे ?

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी): पिछली साल भी सरकार ने एक नोटिस दिया था कि पार्वती बान्ध से पानी मिलेगा। परनाला टूट जाने से पार साल भी और इस साल भी पानी नहीं मिला। तो अब इससे जो किसानों को नुकसान हुआ वह कौन देगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : कायदे में जिसकी जिम्मेदारी होगी वह देगा।

श्री सूबेदारसिंह : कायदे में तो आपकी है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो देख सकते हैं।

श्री मोतीलाल : इसके टूटने से जो फूड प्रोडक्शन में कमी आई है, क्या सरकार उसको नहीं देखती।

श्री रामकिशोर व्यास : बड़ी बड़ी तामीरात भी टूट जाती हैं। भाखरा में भी खराबी हुई है।

श्री मोतीलाल : भाखरा तो बड़ी बात है। दिसम्बर ५८ में टूटा यह नाला जिसकी सूचना आपको फरवरी ५६ में मिली। दो महीने बाद तो आपको सूचना मिली और अब बात कर रहे है जांच की दिसम्बर ५६ में, एक साल बाद और वह भी पूरी नहीं करा पाये, न मरम्मत करा पाये। इससे जो फूड प्रोडक्शन में कमी हुई उसकी जिम्मेदारी

(श्री मोतीलाल)

इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की नहीं है तो फिर किसकी है ।

श्री रामकिशोर व्यास : पूरी जानकारी आपको नहीं है । वह टूटा इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी कान्ट्रेक्टर की है । कुछ ऑफिसर की भी है । उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे जा रहे हैं, नोटिस दिये हैं उनको । जिनकी गलती होगी उसको देखेंगे ।

सरकारी बसें

२७६. **श्री गोकुलचन्द जाटव** (लछमणगढ): क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कौन कौन से रूट पर अब तक सरकारी बसें चालू की गई हैं ?

(२) आगे कौन कौन से मार्गों पर और कब तक सरकारी बसें चालू की जावेंगी ?

(३) सरकारी बसें चलाने के लिए मार्गों के बारे में क्या मापदण्ड है, और उसे निर्धारित करने वाली ऑथोरिटी कौन है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) १. जयपुर-देहली, २. आबूरोड-माउन्ट आबू, ३. आबूरोड-आम्बाजी, ४. आबूरोड-पोशीना, ५. आबूरोड-दांता, ६. आबूरोड-मंडार पालडी-नाका, ७. आबूरोड-अनादरा, ८. माउन्ट-आबू दिलवाड़ा, ९. दिलवाड़ा-अचलगढ़, १०. सिरोही-सिरोही रोड, ११. सिरोही-आबूरोड, १२. सिरोही-सुमेरपुर शिवगंज, १३. सरूपगंज-बासा ।

(२) जयपुर-अजमेर, जयपुर-कोटा, जयपुर-ब्यावर, जयपुर-भरतपुर—आगरा, जोधपुर-सिरोही, जोधपुर-नागौर-बीकानेर, उदयपुर-अहमदाबाद वाया कांकरोली, कोटा-अजमेर ।

२. अभी तक तिथि निर्धारित नहीं हुई है ।

(३) सरकार ने पहले ए श्रेणी के कुछ मुख्य मार्गों पर ही सरकारी बसें चलाने का निर्णय किया है । मार्गों का निर्धारण सरकार द्वारा होता है ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : सरकारी बसें चलने पर क्या प्राइवेट बसें बन्द कर दी जायेंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : तो क्या प्राइवेट बस ओनर्स को कम्पेन्सेशन दिया जावेगा, यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सेपरेट रूट उनको नहीं प्रोवाइड किये जावेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक बन सका ।

श्री सूबेदार सिंह : जयपुर-भरतपुर बस को धौलपुर तक भी बढ़ाया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विचार करेंगे ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु) : नेशनेलाइज करना क्यों जरूरी समझा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जनता के हित में

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बाड़ी तहसील की सहकारी समितियों में जिला सहकारी बैंक भरतपुर की बकाया रकम

२८०. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) बाड़ी तहसील, उप जिला धौलपुर की कौन कौन सी सहकारी समितियों पर जिला सहकारी बैंक, भरतपुर तथा राज्य सरकार का कब से कितना कितना अब तक बकाया है ? सूची मय नामों के सदन में प्रस्तुत करें।

(२) उक्त सहकारी समितियों का रुपया किन किन मदों में लगा हुआ है ?।

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (१) इसका उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) के कालम २,३,४,५ और ६ में दिया हुआ है जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य सरकार का कोई ऋण बकाया नहीं है, केवल केन्द्रीय सहकारी बैंक भरतपुर का बकाया है।

(२) कृषि कार्य में जिनके लिए यह दिया गया था।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : महरोली बहुउद्देशीय सहकारी समिति को २२-६-५८ को १६,१०४) दिया गया, इसी तरह बाड़ी किसान बहुउद्देशीय सहकारी समिति को २०-७-५६ को १०,७१७ रुपया दिया गया। इनकी वसूली की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री दौलतराम सारण : बैंक का रुपया बकाया है। वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

डॉ० बहादुरसिंह : बैंक के अब तक न वसूल कर सकने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रयत्न तो किया होगा पर समिति ने दिया नहीं होगा। नोटिस दिया गया है, अब वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि चार कोऑपरेटिव सोसाइटियां, जिनके नाम गिनाऊं, महरोली बहुउद्देशीय....

श्री दौलतराम सारण : आप नम्बर बोल दीजिये।

डॉ० बहादुरसिंह : नम्बर २, ३, २८ पर इस प्रकार की सोसाइटियां हैं कि एक से कर्जा लेकर दूसरे का कर्जा चुका देते हैं और दूसरे का तीसरे से लेकर चुका देते हैं, तीसरा जब तकाजा करता है तो चौथे से लेकर चुका देते हैं। क्या इस प्रकार की जानकारी सरकार को है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। आप ही दे रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री दौलतराम सारण : हमें इससे क्या मतलब कि किससे पैसा लेकर किसको चुकाता है कोई।

Page No.28

डॉ० बहादुरसिंह : आप जाकर देखें कि ये महरोली, स्वामीपुरा, बहादुरपुर लालां-निहार, कोऑपरेटिव सोसाइटियां इस प्रकार की हैं कि एक दफा एक से कर्जा ले लेते हैं, तो दूसरे से फिर लेकर पहले को चुका देते हैं, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चौथे से लेकर चुका देते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): इससे आपको क्या एतराज है ? वे सहयोग से काम करते हैं।

डॉ बहादुरसिंह : इससे किसान लोगों को पैसा नहीं मिलता है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने यह प्रश्न नहीं किया। आपने जो सूचना चाही वह दे दी।

सड़क विकास योजना और सवाई माधोपुर जिले के निमित्त विशिष्ट धनराशि

श्री बृजेन्द्रपाल [करौली श्री अनोपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया] : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

1. What is the total grant for the twenty year Road Development Plan for Rajasthan ?

2. How much amount has been ear-marked under this plan for Sawai Madhopur District ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : 1. The question of grants to any State is not subject matter of the Twenty Year Road Development Plan.

2. Question does not arise.

प्रश्न संख्या २८३

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

आबू में अनुपयोज्य सरकारी बसों का प्रतिस्थापन (Replacement)

२८४. **श्री मोहब्बतसिंह** [सिरोही--श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) द्वारा पूछा गया] : Will the Minister for Transport be pleased to state :—

(1) Is it a fact that out of a fleet of twenty five buses with the State Transport at Abu Road, eight are lying in unserviceable condition as their spare parts are not available and moreover they have also completed their life mileage ?

(2) If so, what arrangements have been made to replace these unserviceable vehicles and to what effect an increase in the fleet to meet the public demand which is estimated to be about thirty buses ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : No. Out of the 25 buses handed over by Bombay State Road Transport Corporation, only seven are lying off road for want of repairs and replacement of parts. Parts are not available.

2. We have added six new buses.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

Page No.29

ग्राम पंचायत देवली (तहसील देसूरी) के सरपंच के विरुद्ध गबन सम्बन्धी काण्ड की विभागीय जांच

९६२. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील देसूरी के ग्राम देवली पंचायत के सरपंच श्री निहालचन्द के विरुद्ध १००० रुपये के गबन का विभागीय जांच का केस चल रहा है ? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि इसी सरपंच ने स्कूल सावलता व वाचनालय देवली के लिए ५००) बी. डी. ओ. व तहसील से उठाये, जिन्हें पंचायत कोष में जमा नहीं कराये ?

(३) क्या यह भी सही है कि जब पुलिस में इत्तला दी गई तो वही रकम डेढ़ साल बाद वापिस जमा करा दी गई ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। अभी तक जांच की कार्यवाही जारी है।

(२) जी हां, पंचायत कोष में जमा नहीं कराये।

(३) जी हां।

श्री अनोपसिंह : अभी तक जमा नहीं कराये थे। जांच की जा रही है इससे फायदा क्या हुआ। जब रकम उनके पास पड़ी है और काम पूरा नहीं हो रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है। पहला एक हजार का मामला है। दूसरे में ५००) का सवाल है। पांच सौ वाले में उत्तर दिया है 'पंचायत में जमा नहीं कराया है' पर नीचे उत्तर दिया है, जमा करा दिया है। जहां से लिया वहां जमा करा दिया। जब उनकी शिकायत हुई तो पुलिस में आकर जहां से लिया था वहां जमा करा दिया।

श्री अनोपसिंह : विभागीय जांच के लिये कौन व्यक्ति नियुक्त किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : वहां के विस्तार अधिकारी।

श्री अनोपसिंह : कितना अर्सा हो गया विभागीय जांच को ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो नहीं है। पर कुछ समय जरूर हुआ है।

श्री अनोपसिंह : आपको इसकी इत्तला कब मिली और कब से जांच शुरू हुई ?

श्री दौलतराम सारण : २८-१०-५८ को। इसके बाद जांच के लिये कहा गया।

श्री अनोपसिंह : ५८ के बाद ५६ आ गया। साल भर करीब-करीब निकल चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि साल भर में भी अगर जांच का नतीजा नहीं निकला तो फिर कब निकलेगा। मामूली सी चीज है।

श्री दौलतराम सारण : ताकीद की जावेगी।

(हंसी)

लघु सिंचाई योजना, सिवाना

२६३. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:-

(१) क्या सिवाना विकास क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के कोई प्रस्ताव सम्बन्धित ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर द्वारा भेजे गये ?

(२) यदि हां, तो इन प्रस्तावों में दर्ज कितनी योजनाओं का टेक्निकल सर्वे किया गया और किस-किस को ठीक समझा गया व किसको नहीं ?

(३) क्या इसी वर्ष के आरम्भ में फिर से इन प्रस्तावों की जांच की गई थी ? यदि हां, तो उस जांच के फलस्वरूप कौन सा प्रस्ताव क्रियान्वित किया जाना है और कब तक ?

(४) इन योजनाओं में किस पर कितना कितना खर्च होगा और काम कब से चालू होगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : सिवाना विकास क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के प्रस्ताव सम्बन्धित ब्लॉक द्वारा आये थे। वे निम्नलिखित हैं :—

(क) सुखरी नदी पर टीडस के पास बांध।

(ख) सेला बांध।

(ग) बालू का बन्दा राखी के पास।

(घ) बूंगूड़ा का नाल गुगरोट।

(ङ) खाकर लाई का बन्दा।

(च) नानारी बंदा गुंगरा रोड के पास।

(छ) गुड़ा जनाल।

(ज) बामसीन।

(२) उपरोक्त प्रस्तावों की प्रारम्भिक जांच के बाद सिर्फ बामसीन योजना को उपयुक्त समझा गया।

(३) जी हां। जांच के अनुसार सिर्फ बामसीन योजना के ही निकट भविष्य में क्रियान्वित होने की सम्भावना है।

(४) बामसीन योजना का सर्वे सम्पूर्ण होने पर ही उसको तुरन्त क्रियान्वित करने के बारे में बतलाया जा सकेगा।

अन्य योजनाओं के लिए प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनोपसिंह : इन योजना के ऊपर कितना रुपया खर्च किया जायेगा इसका भी तो आपके पास कोई तखमीना होगा ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं। इसमें अभी अर्ज किया है कि कितनी लागत होगी, क्या होगा, इसकी सारी जांच करना बाकी है।

श्री अनोपसिंह : उसमें कितनी पिलाई होगी इसकी प्रिलिमिनेरी सर्वे भी क्या आपके पास नहीं आई और क्या आपके पास कोई रिपोर्ट भी नहीं है ?

श्री भीखाभाई : साइट देखी है उससे मालूम हुआ कि सारा का सारा एरिया जो है वह सेन्डी कैचमेंट का है लेकिन यहां यह सम्भावना है कि एक बांध रोका जा सकता है। इतनी ही जांच हुई है कि जैसा मैंने उत्तर दिया था, भाग ४ में दिया है। कार्य कब कार्यान्वित किया जायेगा, यह बाद में बताया जायेगा।

Page No.31

श्री अनोपसिंह : दूसरे, बीकानेर में सर्वे हो चुका तो उसके बाद में क्या मालूम पड़ा कि जिसकी वजह से उसका कार्य आरम्भ नहीं किया गया। किस किस वजह से ड्रॉप किया गया?

श्री भीखाभाई : एक तो सेन्डी कैचमेंट एरिया है इसलिए रिजेक्ट हुआ। इसके अलावा जहां सम्भावना थी कि एक बांध बन सकता है उसका सर्वे हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अनोपसिंह।

ग्राम पंचायत गांगवा, परबतसर का चुनाव

२६४. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील परबतसर के ग्राम गांगवा में दिनांक २७-१२-५८ को पंचायत चुनाव कराया जाना घोषित हुआ था?

(२) क्या यह भी सही है कि गांगवा पंचायत के किसी भी वोर्ड में परसाराम नाम के व्यक्ति का निवास करना साबित नहीं होता फिर भी उस शख्स ने नामजदगी फार्म भरा?

(३) क्या यह सत्य है कि उसी चुनाव के सिलसिले में उक्त परसाराम ने बैलट बॉक्स आदि सरकारी सामान कुए में डाल दिया और चुनाव नहीं होने दिया?

(४) क्या यह भी सही है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस ने जांच करके दफा ३७६, ३८०, ४६१, ३५३, १४७ के तहत उसका चालान किया? अगर हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां, पुलिस द्वारा चालान होने पर इस वक्त इ० एम०, नांवा के इजलास में जेर तस्तीश है।

श्री अनोपसिंह : आपने जो भाग ३ के उतर में फर्माया 'जी हां' तो क्या बैलट बॉक्स कुए में डाल दिया था। उन्होंने जो कुछ कार्यवाही की उसके बाद में भी सरपंच बना हुआ है?

श्री दौलतराम सारण : मामला अदालत में चल रहा है इसलिए इसको सदन में नहीं उठाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

कल का एक प्रश्न है श्री मुरलीधर व्यास का उसका उत्तर आज दिया जाने को है।

प्रश्न संख्या २३७.

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत विकास कार्यों का पूरा होना

२३७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(श्री मुरलीधर व्यास)

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस वर्ष के निर्धारित विद्युत् विकास कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से कार्य बाकी हैं ?

(२) क्या ये कार्य निश्चित समय के भीतर पूरे हो जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जो जो कार्य पूरे हो चुके हैं और जिन जिन का काम चालू है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) कोशिश की जा रही है । जोधपुर, अलवर व भरतपुर का कार्य रिवाइज्ड फेजिंग के अनुसार १९६०–६१ में होने का है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : जो सूची सदन की मेज पर रखी है उसमें जो बीकानेर ग्रिड सब-स्टेशन के बारे में लिखा है उसका काम कितना बाकी रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब-स्टेशन के बारे में ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां । भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के अन्दर नम्बर ६ के अन्दर उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : कितना खर्च हुआ यह तो मालूम नहीं है । बाकी समय तो लिस्ट में लिख दिया गया है कि कब खत्म होंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने पूछा था कि कितना काम बकाया है ताकि कुछ अन्दाजा लगाया जा सके ?

श्री रामकिशोर व्यास : हर काम के आगे लिखा हुआ है कि ९० परसेन्ट कम्पलीट हो गया है, ८० परसेन्ट, ७० परसेन्ट काम पूरा हो चुका है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें परसेन्टेज नहीं दिया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : अब उसका अन्दाजा नहीं बैठता होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो बताया कि राजगढ़, बेहरा, नोहर के ऊपर ५ परसेन्ट वर्क कम्पलीट हुआ है और फिर ९५ परसेन्ट बाकी रहा तो उसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इक्विपमेंट वगैरह के आने में देरी हो गई होगी । एग्जेक्टली तो मैं नहीं बता सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : उसका खास कारण कोई इक्विपमेंट के नहीं आने का है या कोई दूसरा कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप अलग से किसी खास के लिए जानकारी चाहें तो दे सकता हूँ । वैसे डिटेल्स तो मैंने सब की दे दी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसलिये ही तो हमने लिस्ट मांगी है कि कितना काम हो गया है कितना बाकी है, और कब समाप्त जायगा ?

Page No.33

श्री रामकिशोर व्यास : वह भी लिख दिया है कि कब पूरे हो जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें नहीं लिखा है। ठीक है १६६०–६१ दिया है लेकिन खास तिथि पूरा होने की क्या थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिवाइज्ड प्रोग्राम में १६६०–६१ ही है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे गंगानगर से सूरतगढ़ के लिये 'Subject to availabitity of G. I. earth wire'—यह मिलेगा या नहीं। कहीं यह न हो कि नहीं मिले और सारा काम रुक जाये।

श्री रामकिशोर व्यास : वे तो ऑर्डर्स प्लेस कर चुके हैं फिर भी देरी हो सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो बहुत पुराने टाइम के ऑर्डर्स चल रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि देरी से काम आता है और आने पर ही काम होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२ मध्यान्ह

औद्योगिक परामर्शदातृ परिषद् के समक्ष दिये गये मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है :

"That this House now consider the breach of privilege committed by shri Mohan Lal Sukhadia, Chief Mintster, in making a statement announcing huge concessions to Industrialists in matters of far reaching importance before the State Industrial Advisory Council on 4 th of December, 1959, in preference to a statement on the floor of the House, more so by avoiding a reply to the question on the subject the same day in the House."

उपरोक्त प्रस्ताव में श्री अग्रवाल ने यह बताया है कि दिनांक ४ दिसम्बर, १६५६ को उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों में कमी किये जाने से संबंधित सदन में पूछे गये प्रश्नों का पूर्णतया उत्तर न दिया जाकर उसी दिन मुख्य मंत्री द्वारा औद्योगिक परामर्शदातृ परिषद् के समक्ष उद्योगों के लिए प्रस्तावित जिन रियायतों एवं सुविधाओं की घोषणा अपने वक्तव्य में की है इससे सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

इस सम्बन्ध में जांच करने पर यह ज्ञात हुआ है कि औद्योगिक परामर्शदातृ परिषद् का अधिवेशन दिनांक ५ दिसम्बर, १६५६ से आरम्भ हुआ था और माननीय मुख्य मंत्री ने उसी दिन अपना वक्तव्य दिया था।

इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ है कि दिनांक ४ दिसम्बर, १६५६ को उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों में कमी किये जाने के सम्बन्ध में दो प्रश्न सदन में पूछे गये थे और उन पर जो अनुपूरक प्रश्न किये गये उनका भी उत्तर माननीय गृह मंत्री द्वारा दिया गया था और उनके द्वारा जो

Page No.34

(श्री अध्यक्ष)

उत्तर सदन में दिये गये हैं उनको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वे किसी तरह से अपूर्ण थे। उन्होंने तो यहां तक अपने उत्तर में संकेत दिया था कि इस समय उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दर ३ आना फी यूनिट है किन्तु सरकार इस पर विचार कर रही है कि छोटे उद्योगों को बिजली रियायती दर पर दी जाये और एक दो दिन में यह निर्णय होने वाला है। उन्होंने यह भी सदन के समक्ष बतलाया था कि सरकार नये उद्योगों को बिजली सस्ते भाव पर देना चाहती है।

सदन में दिनांक ४ दिसम्बर, १९५९ को पूछे गये प्रश्नों का संबंध मुख्यतया उद्योगों को बिजली की दरों में रियायत दी जाने से था। किन्तु मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक ५ दिसम्बर १९५९ को परिषद् की बैठक में दिये गये वक्तव्य में बिजली की दरों में कमी किये जाने के अतिरिक्त उद्योगों को दी जाने वाली अन्य प्रस्तावित रियायतों एवं सुविधाओं का उल्लेख है जैसे बिक्रीकर एवं चुंगी कर में कुछ रियायत आदि। इससे स्पष्ट है कि राज्य की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रश्न सदन में पूछा नहीं गया जिसके उत्तर में परिषद् के समक्ष की गई घोषणाओं की पूर्व जानकारी सदन को दी जानी आवश्यक थी।

इस सिलसिले में मैं यह भी स्पष्ट कर दूँ कि इस प्रकार का सदन के बाहर वक्तव्य दिया जाना विशेषाधिकार के हनन की गणना में नहीं आता तथा उपरोक्त बातों से यह भी नहीं कहा जा सकता कि माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य से सदन की प्रतिष्ठा एवं उसके विशेषाधिकार को आघात पहुंचा है। अतः मैं उक्त प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

यहां पर मैं इतना अवश्य बतलाना चाहूँगा कि जब कभी सरकार द्वारा इस तरह के नीति सम्बन्ध कोई निर्णय लिए जायं और उस समय सदन की बैठकें चालू हों तो उन निर्णयों की सूचना सदन को सर्व प्रथम दी जानी चाहिये। मेरी समझ में यह एक स्वस्थ परम्परा होगी। इस विषय पर मैंने पहिले भी दिनांक १४ अप्रेल को जोर दिया था और अब मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इस परम्परा का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(१२-१०-म० प०)

विधायी कार्य

कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उसकी स्वीकृति

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापना करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारण)
क्लॉज ३, धारा ३० जी

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ३ का सेक्शन ३० जी बाकी रहा। उस पर कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये थे। अब उन पर माननीय राजस्व मंत्रीजी अपना उत्तर देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उत्तर तो मैं दे चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय, कल क्लॉज ३० जी में जो अमेंडमेंट्स पेश हुए, तो जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि क्लॉज ३० जी में जो कम्पेन्सेशन की धारा है उस कम्पेन्सेशन की धारा में जो बिल, जैसा कि पहले शुरू में पेश किया गया, उस बिल में कम्पेन्सेशन की रेट्स वही रखी गई है जो कि टिनेन्सी एक्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एक्विजिशन ऑफ खातेदारी राइट्स के लिए चाहे वह सब टिनेन्ट्स के हक में हों, चाहे टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के हक में हों। वैसे माननीय सदस्य, जो कम्पेन्सेशन इस रेट पर एक्वायर करने के लिए खातेदार को या खुदकाश्त होल्डर्स को देना पड़ेगा वह इसके लिए भी ठीक रह सकता था, मगर मैंने कुछ कारण ऐसे बतलाये कि वहां पर जमीन के इम्प्रूवमेंट करने में, सुधारने में, उनका हाथ रहा उनको फ्लेट रेट में उतना एडीक्वेट कम्पेन्सेशन नहीं है जितना खातेदार या खुदकाश्त होल्डर्स को है उसी लिहाज से वह उस कम्पेन्सेशन की क्लॉज में आज फिर उसमें इतना सा चेन्ज करना चाहता हूँ। जहां तक सलेक्ट कमेटी ने जो सुझाव पेश किया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ और वह सलेक्ट कमेटी का जो सुझाव है, उस पर सदन में बहस सुनने के बाद महसूस करता हूँ कि एग्रीकलचरल लैंड पर एक्विजिशन प्रोसीडिंग लागू करने और उसके ऊपर कम्पेन्सेशन करने में काफी दिन लगेंगे, और एक निश्चित समय के अन्दर हम इस कम्पेन्सेशन को पे करना चाहते हैं उसके अन्दर देर ज्यादा होगी इसलिए उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मगर उसके लिए दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जो ओरिजिनल बिल जिसके अन्दर वह कम्पेन्सेशन का प्रोविजन है उसको रिटेन किया जाय, और सिलेक्ट कमेटी की जो रिकमन्डेशन है उसको नामन्जूर की जाय। चूंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थोड़ी सी हार्डशिप हो सकती है जिनकी लैण्ड एक्वायर की जाय, और वह कम्पेन्सेशन बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट तो नहीं मगर कहना चाहिए कि कुछ पर्सेन्टेज इनएडिक्वेसी की उसमें आ सकती है। इस लिहाज से मैं सदन के सामने थोड़ा सा एमेन्डेड फोर्म रखता हूँ। अगर वह मन्जूर कर लिया जाय तो मेरे खयाल से ठीक रहेगा, और उसमें मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ :

"(3) The amount of compensation shall be determined by the Sub-Divisional Officer in the manner and in accordance with the principles laid down in sections 23, 24, 25, and 26 :

Provided that, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 23, the scale of such compensation shall be:—

(a) 30 times the sanctioned rent rate in respect of the first 25 acres of

(श्री दामोदरलाल व्यास)

land vesting in the State Government, under Section 30 E,

(b) 25 times the sanctioned rent rate in respect of the next 25 acres of such land, and

(c) 20 times the santioned rent rate in respect of the part remaining of such lands:.......''

तो उसमें फ्लेट रेट जो २५ या २० गुने की है उसमें फर्स्ट २५ एकड़ पर ३० टाइम्स रखी है, नैक्स्ट २५ एकड़ पर २५ टाइम्स रखो है और बाकी सब फ्लेट रेट पर २० टाइम्स रख दिया है। वह इम्प्रूव्ड फोर्म है जिससे कम्पेन्सेशन उन लोगों को मिल जायगा। मैं समझता हूँ कि अगर सदन आपकी आज्ञा से इसको मन्जूर करे तो यह अमेंडमेंट ज्यादा अच्छा होगा, और इसको आगे और पढ़ दूं : "Provided that where rent in respect of any such land has not been settled, the sanctioned rent rate, therefore, shall be taken to be the rent rate sanctioned during the last settlement for similar land in the neighbourhood." आपकी इजाजत से इसको पेश करता हूँ। या तो सदन इसको मन्जूर कर ले या ओरीजिनल बिल में जो फॉर्मूला है उसको रेस्टोर कर दें। इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जो संशोधन पेश किया है, हालांकि वह संशोधन सदन में जिस रूप से रखा जा रहा है उस रूप में सदन के माननीय सदस्यों को नहीं मिल पाया है, लेकिन उनके मौखिक भाषण से जो कुछ मैं सुन सका हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : आप अगर विरोध करते हैं तो मैं विड्रों करता हूँ। वह ओरीजिनल बिल का फार्मूला रेस्टोर कर लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : You fix up your mind on one principle.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बिलकुल फिक्स हूँ। मैंने सदन के सामने दो फॉर्मूलाज रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : You have the choice to select.

It is not for the House to make the choice. कोई एक फॉर्मूला रखिये। ऑल्टरनेटिव प्रोपोजल्स नहीं रखे जा सकते।

श्री अध्यक्ष : कोई भी रखें आप तो विरोध ही करेंगे। कल की बहस को सुनने के बाद दो फॉर्मूलाज बताये हैं।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है ? कौनसा फॉर्मुला एडॉप्ट कर रही है, वह बताइये।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have recommended two formulas. Now it is for the House to adopt any of these two.

After hearing me, if he really thinks that.........

श्री भैरोंसिंह : तो मुझे दुबारा बोलना पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट तो एक सिद्धान्त पर अपना डिसीजन लेकर हाउस को बतावे कि गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको बता दिया कि दो फॉर्मूलाज हैं–आप पसन्द कर लें।

श्री भैरोंसिंह : उनमें से पहले कोई भी मूव तो किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने मूव कर दिया है। मैंने दो फॉर्मूलाज हाउस के सामने रख दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : केवल एक फार्मुला मूव किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक दूसरा फार्मुला वही है जो ओरीजिनल बिल के अन्दर प्रोविजन है। उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसके ऊपर आपकी रूलिंग चाहूंगा कि इस सदन में दो ऑलटरनेटिव अमेंडमेंट्स मूव किये जा सकते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मेरा एमेंडमेंट नहीं है।

It is not my amendment. That is already a provision in the original Bill as introduced in the House; and there are amendments by atleast two Hon'ble Members that the original clause be retained instead of the one recommended by the Select Committee.

I say that either this amendment should be accepted or the original provision in the Bill be retained. It is now for the House to select.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : मि० स्पीकर सर, कल जो आपका अमेंडमेंट था उसको विड्रा करने के बाद सलेक्ट कमेटी की जो रिकमन्डेशन है वह रह जाती है। उसको भी अगर आप नहीं मानते हैं उसके बाद में....

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैंने कह दिया कि मैं नहीं मानता हूँ।

श्री अध्यक्ष : वह उन्होंने कह दिया कि स्वीकार नहीं है।

श्री मोतीलाल : तो दो ऑल्टरनेटिव नहीं रह सकते हैं। आपने अमेंडमेंट दिया है वह इस सदन को मालूम नहीं है कि क्या दिया? उसको ग्रहण करें तो क्या करें, और निश्चित रूप से कोई राय भी नहीं दे सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सदन में दो फॉर्मूलाज हैं। एक तो ...

श्री दामोदरलाल व्यास : एक ही है। आपको विरोध करना हो तो कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी जो अमेंडमेंट रखा है....

श्री भैरोंसिंह : अभी माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है वह संशोधन मैं ऐसा समझता हूँ कि, गवर्नमेंट की विचारधारा को सदन में प्रस्तुत करता है। हमारी सरकार की नीति, जिस प्रकार का

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

संशोधन माननीय राजस्व मंत्रीजी ने पेश किया है, उससे स्पष्ट होती है, और उस नीति के आधार पर जो संशोधन के रूप में सदन के सामने आया है, मैं यह कह सकता हूँ कि जो ओरीजिनल बिल के अन्दर था उससे हमारी सरकार सहमत नहीं है। और यदि उनसे सहमत होती तो, मैं समझता हूँ, ऑलटरनेटिव प्रपोजल लाने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार, केवल जो व्यवस्था ओरिजिनल बिल में थी, उसको सदन के सामने प्रस्तुत करती है और उसे प्रेस भी करती। मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में और लैंड रिफॉर्म्स के इतिहास में यदि सरकार की नीति का दिवालियापन सदन के सामने और पब्लिक के सामने आया है तो यह पहला मौका है और उसको लाने की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी न कहकर श्रेय कहूं तो यह सारा श्रेय माननीय राजस्व मंत्रीजी को है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि सरकार लैंड रिफॉर्म्स के बारे में और कम्पेन्सेशन देने के बारे में कोई नीति निर्धारित करती है या मखौल करती है। जिस तरह से सीलिंग के मामले में सरकारी रूप से सरकार ने विचार किया है, हर समय नई ओपीनियन, नये प्रपोजल्स, नये इश्यूज, नये अमेन्डमेंट्स, हर प्रकार से नवीनता लाने की चेष्टा की है। या तो यह समझा जाय कि सरकार की कोई लैंड रिफॉर्म्स की नीति नहीं है बल्कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के विम्स हैं जिसके कारण नये इश्यू फ्रेम करके सदन के सामने मसला रख देते हैं। ऐसा लगता है कि सदन के सामने उनके विम्स की इम्पोर्टेन्स है न कि असली इश्यू की। आज हमारे सामने असली इश्यू यह है कि जिनसे जमीन ले रहे है उनको क्या कम्पेन्सेशन दिया जाय। मैं समझता हूँ इस बात को लेकर राजस्व मंत्रीजी की तारीफ भी करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर बात में यह कहना कि सदन की इच्छा अगर ऐसी है तो सदन की इच्छानुसार मैं संशोधन में संशोधन कर लेता हूँ जिससे कि सदन की इच्छा पूर्ति हो सके। लेकिन मुझे जो आभास होता है वह सदन की इच्छा पूर्ति का नहीं होता बल्कि सदन की इच्छा की तो अवहेलना होती है और उनकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यदि वे अपनी इच्छाओं को सदन पर थोपना चाहते हैं तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सदन को अपनी इच्छा उन पर थोपनी चाहिये न कि उनकी इच्छा सदन पर थोपी जाय।

अध्यक्ष महोदय, सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में कम्पेन्सेशन का अलग से प्रावधान है और जो ओरिजिनल बिल सदन में पेश किया गया था उसमें भी अलग प्रावधान था, और सब में राजस्व मंत्रीजी मौजूद थे। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश करने वाले भी ये ही राजस्व मंत्री जी थे, ओरिजिनल बिल को प्रस्तुत करने वाले भी ये ही राजस्व मंत्री जी थे और जब यह बिल सलेक्ट कमेटी के सामने जाता है तब वहां भी कम्पेन्सेशन का अलग प्रावधान किया जाता है उसमें जिम्मेदारी से काम करने वाले भी ये ही राजस्व मंत्री जी थे। और उसके बाद इस हाउस में उनके दल के विप एक संशोधन देते हैं तो उस संशोधन को मूव करने का इन्सपिरेशन देते हैं उसमें भी राजस्व मंत्री जी हैं। तीन संशोधन उन्होंने पेश कर दिये। जब एक संशोधन पर विचार होता है तो सदन के बाहर जाते हैं और सलाह मशविरा करके दूसरा संशोधन पेश कर देते हैं और जब

Page No.39

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरे पर विचार होता है तो तीसरा ले आते हैं। अन्त में डिबेट चलते-चलते आज एक नया फार्मूला लाकर रख दिया। ऐसा लगता है कि हाउस की विशेज को अकोमोडेट करने की बात नहीं है, कम्पेन्सेशन जिनके पास जाता है उनको प्रसन्न करने की बात नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि मैं चाहूँ जिस तरह का काश्तकारों के लिए कानून बने। अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूँ कि आज राजस्व मंत्री होने के नाते बहुमत उनके साथ है इसलिए सब कुछ वे चाहेंगे जैसा हो सकता है। लेकिन जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है वे किसी भी समय राजस्व मन्त्री जी की तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन यदि उनको पता चलेगा कि किस तरह का सदन में सरकार का रुख रहा और किस तरह का रुख सदन ने प्रकट किया तो हो सकता है कि सदन के बाहर की जनता उन पर हंसेगी....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, अमेन्डमेंट पर बहस हो रही है या जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। What the Revenue Minister is doing what he has done or what the public will think, he need not worry about it. I am quite fit to take care of myself. The Hon'ble Member should speak only on the amendment. The debate should be regulated to the relevancy of the subject.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : परिस्थिति बड़ी विकट है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने बैक ग्राउन्ड रखा है जिस पर वे संशोधन लाये हैं। अब मैं उसके मेरिट्स पर आना चाहता हूँ। कल जिस समय सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार हो रहा था तो सदन में सबसे मोटा पॉइन्ट उपस्थित हुआ कि राजस्व मन्त्री जी ने जो संशोधन पेश किया है वह डिस्क्रिमिनेटरी है। उस पर काफी वाद-विवाद हुआ और उसके बाद में उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि वास्तव में यह डिस्क्रिमिनेटरी है और डिस्क्रिमिनेटरी होने के नाते उन्होंने अपने संशोधन को वापिस ले लिया। मैं समझता हूँ कल जिन्होंने भाषण दिया था उन्होंने यदि यह मतलब निकाला कि जिनसे जमीन ली जाती है उनको एडिक्वेट कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाय तो मैं यह कहूँगा, इस प्रकार मतलब निकालने वालों का भ्रम है या वे जानबूझकर गलती करते हैं। उस समय जो विवादग्रस्त बात थी वह यह थी कि सभी किसानों के साथ एक सा ट्रीटमेंट किया जाय, चाहे वे गंगानगर के रहने वाले हों, चाहे दूसरी जगह के रहने वाले हों। आप चाहते थे कि गंगानगर में मार्केट वैल्यू का ४० प्रतिशत दिया जाय और बाकी जगह रेन्ट रेट का २० गुना दिया जाय और बेसिस यह रखा जाय कि गंगानगर में जमीन पर्चेज की है इसलिये मार्केट रेट का ४० पर्सेन्ट दिया जाय और बाकी जगह रेन्ट रेट का २० टाइम्स दिया जाय। इसके बारे में सबने एक ही बात जाहिर की थी और वह यह कि कानून ऐसा बनना चाहिये जो डिस्क्रिमिनेटरी न हो। उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि गंगानगर में कम्पेन्सेशन देते समय इस बात का खयाल रखा जाय कि एडिक्वेट कम्पेन्सेशन मिलता है या नहीं। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा, कहा हो तो मुझे

(श्री भैरोंसिंह)

पता नहीं, लेकिन मैंने जितने भाषण सुने उनमें किसी ने ऐसा नहीं कहा....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : चन्दनमल जी का भाषण नहीं सुना होगा आपने ?

श्री भैरोंसिंह : कहा होगा तो वे बता देंगे ।

जिस तरह का फॉर्मूला राजस्व मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसका मतलब यह होगा कि जिस जमीन की कीमत कल वे अपने भाषण में बता रहे थे कि गंगानगर में काश्तकारों ने जमीन खरीदी थी महाराजा गंगासिंह जी के जमाने में, उस समय सरकारी रेट ७ हजार, ८ हजार या साढ़े दस हजार व बारह हजार तक थीं। उनको उसी तरह की कीमत देने का प्रावधान या व्यवस्था वे कल करना चाहते थे। कल राजस्व मंत्री जो एक मुरब्बा जमीन की कीमत १० हजार का ४० पर्सेन्ट देना चाहते थे और वे ही राजस्व मन्त्री जी एक बीघा जमीन की कीमत ७ आना के हिसाब से १ मुरब्बा जमीन की कीमत ७५० रुपये देना चाहते हैं। कैसा सुन्दर उनका लोजिक है और कैसा सुन्दर उनका विचार करने का दृष्टिकोण है और कैसी सुन्दर नीति है ! कल वे ७॥ हजार रुपये दे रहे थे और आज २४ घंटे बाद ही वे ७५० पर आ गये ! यदि यही सरकार की नीति है और लैंड रिफार्म्स की नीति भविष्य के लिये यही बनती है तो निश्चित रूप से यह नीति सरकार की नीति कही जा सकती है लेकिन यह किसानों के लिये घातक है। आज सरकार कहे कि हमने लैंड रिफॉर्म्स किये हैं, किसानों की बहतरी के लिए संशोधन रखे हैं और उनको तरजीह दी है। मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से आपने तरजीह दी लेकिन आज सरकार घातक कानून बनाकर किसान का शोषण करना चाहती है। मैं सरकार पर इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी, जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी के नाते, डाल सकता हूँ लेकिन यह राजस्व मंत्री जी का विम है जो किसानों का नुकसान करने पर तुले हुए हैं। हम अरबन एरिया में जमीन लेते हैं तो उसके लिए मार्केट रेट से कम्पेन्सेशन देने का कानून बनाते हैं और रूरल एरिया के लोगों के लिये इसे लागू नहीं करते हैं। राजस्व मंत्री जी ने सलेक्ट कमेटी में इस बात को स्वीकार किया था कि मार्केट वैल्यू जो एसेस होगी उसके हिसाब से कम्पेन्सेशन दिया जायेगा। उसी की हिमायत में कल भाषण दिया और आज उससे बदलते हैं तो हम उनकी किस बात पर विश्वास करें ? क्या हम यह विश्वास करें कि जो बात वे कहते हैं वह अमल में लायेंगे ? जब कभी सदन में किसी रूल्स को बनाने का एश्योरेन्स देते हैं, गवर्नमेंट को अधिकार देते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं होगा, इस बात का एश्योरेन्स देते हैं, माननीय राजस्व मन्त्री जी खड़े होकर भाषण देते हैं, उनका कल एक प्रकार का भाषण हुआ था, उनके उसी प्रकार के भाषण के अन्दर परिवर्तन, सामयिक परिवर्तन, जल्दी-जल्दी परिवर्तन आयें तो मैं कह सकता हूँ, सदन चाहे उसको स्वीकार करे या न करें, माननीय राजस्व मंत्री जी उसे स्वीकार करें या न करें, माननीय राजस्व मंत्रीजी के शब्दों में, भाषण में, किसी प्रकार से कोई विश्वास करता है तो वह भ्रम के कारण विश्वास रहता है, वास्तविकता के कारण नहीं रहता है। मैं निवेदन करूंगा

(श्री भैरोंसिंह)

कि आज यह कहें कि गंगानगर में एक मुरब्बा लिया जायेगा, उसका ७५० रुपये कम्पेन्सेशन दिया जायगा, तो मैं समझता हूँ कि गंगानगर के लोगों के साथ घोर अन्याय है। मैंने कल कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उसका मतलब वह नहीं हो सकता कि गंगानगर के लोगों को एक तरह से कम्पेन्सेशन दें और दूसरी जगह के लोगों को दूसरी तरह कम्पेन्सेशन दें। आज कोई कहता कि रेन्ट रेट का बेसिस हो सकता है, मार्केट रेट का बेसिस हो सकता है, दूसरी स्टेट्स ने जो कानून बनाये हैं, तो अधिक ने जो कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा है उसके अन्दर जमीन की वैल्यू निकालते हैं, उसका किसी ने दो गुना, किसी ने तीन गुना, किसी ने चार गुना देने का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूँ कि यह बेस्ट फार्मूला हो सकता है। जिस बेसिस के ऊपर आप स्टेन्डर्ड एकड़ असेस करने वाले हैं, जिसके आधार पर १० मन के आधार पर वैल्यूएशन करने वाले हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आप जमीन का एक्सटेन्ट तय करने वाले हैं, उसको आधार मान कर एक नेट वैल्यू का असेसमेंट करना चाहिये, उसके आधार पर नेट इन्कम का असेसमेंट किया जाय, उसके आधार पर जिनकी जमीन ली जाय, उसका कम्पेन्सेशन देने की सरकार व्यवस्था करे, तो मैं समझता हूँ कि इक्विटेबल और जस्ट नीति इस तरीके के सम्बन्ध में हो सकती है, वह तरीका सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है, सरकार के सामने एक तरीका आता है कि रेन्ट रेट्स के आधार पर देगी, जो कि उनके शब्दों में ठीक नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री जी के शब्दों की, जो उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किये थे, मैं याद दिलाना चाहूँगा। जिस समय लो सीलिंग, हाई सीलिंग, पर वाद-विवाद सदन में हो रहा था, कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि आपने शिड्यूल इसके साथ शामिल नहीं किया है, और उसके बाद आप लैंड के एक्सटेन्ट का असेसमेंट करने वाले हैं, किन्हीं माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि रेन्ट रेट्स को, लैंड रेवेन्यू को बेसिस मान कर लैंड का एक्सटेन्ट तय किया जाय, इस पर जिस समय राजस्व मंत्री जी का सारगर्भित भाषण हुआ था, उस समय उन्होंने सदन को तवज्जुह दिलाई थी कि चूंकि राजस्थान के अन्दर एक सी रेट्स नहीं थी, जयपुर में छः आने से ढाई रुपये तक, अलवर की रेट्स बताई थीं, सारे राजस्थान में जहां ज्यादा से ज्यादा डिफरेन्स मिल सकता है, उस प्रकार की रेट्स बताई थी और यह कहा था कि कई जगह सेटिलमेंट पुराना है, कई जगह नया हुआ है, कई जगह सेटिलमेंट रिवाइज हो चुका है, कई जगह ड्यू है, उस स्थिति में रेन्ट रेट को बेसिस मान कर लैंड का एक्सटेन्ट तय किया जाय कि सीलिंग में कितनी जमीन रखनी है, यह तय किया गया तो निश्चित रूप से पब्लिक के साथ सोशियल इन्जस्टिस करेंगे। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये राजस्व मन्त्री जी के शब्द हैं, जो उन्होंने दो दिन पहले इस सदन में कहे थे, उनको आज भूल गए और आज कहते हैं कि कम्पेन्सेशन का बेसिस रेन्ट रेट उनके मुख से निकला हुआ रेन्ट रेट, जिसमें वास्ट डिफरेन्स बताया था, उस रेन्ट रेट के आधार पर आज कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखते हैं। मैं कहूँगा कि सोशियल इनजस्टिस काश्तकारों के साथ करने जा रहे हैं, जिसको आप वहां स्वीकार करने के लिए

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

तैयार नहीं थे, उसको कम्पेन्सेशन के लिये स्वीकार करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो कम्पेन्सेशन का प्रश्न है, उसमें वह स्थिति पैदा होती है, जब कि एक आदमी से जो जमीन ले रहे हैं, वह जमीन उसके फायदे के लिये नहीं ले रहे हैं बल्कि दूसरे के फायदे के लिए ले रहे हैं, अगर उसके फायदे के लिये जमीन ली होती तो कोई कम्पेन्सेशन लेने देने का प्रश्न पैदा नहीं होता लेकिन हम जमीन ले रहे हैं, वह इसलिये कि एक आदमी से जमीन लेकर, उसको दूसरे को दें और जो लैंड की डिस्पेरिटी है, लैंड के पजेशन के बारे में डिस्पेरिटी है, उसको दूर करके प्रोडक्शन बढ़ा सकें और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के पोइन्ट ऑफ व्यू से एक से जमीन लेकर दूसरे लोगों को देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि एक आदमी से ले रहे हैं चूंकि संविधान के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि यदि किसी की कोई चीज लेते हैं, पब्लिक इन्ट्रेस्ट के अन्दर कोई चीज लेते हैं तो उसको रीजनेबल कम्पेन्सेशन देना चाहिये, यह प्रावधान रखा है। इस कारण राजस्व मन्त्री जी के सामने एक अड़चन है। अगर हमारे संविधान में इस प्रकार की बात नहीं होती जो राजस्थान का किसान चाहे राजस्थान में घूमें, चाहे दिल्ली में जाए, चाहे दिल्ली में जाकर कोई प्रदर्शन करे, राजस्थान के राजस्व मंत्री जी को खुश नहीं कर सकते थे। तो किस प्रकार का कम्पेन्सेशन मिले, इसके लिये संविधान में उनकी दृष्टि से एक अड़चन खड़ी कर दी, इसलिए कम्पेन्सेशन देने की बात करते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कौन से किसान की वकालत कर रहे हैं, यह बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : जिनके आप विरोध में हैं।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जिस किसान की वकालत कर रहे हैं, वह बता दीजिये। क्या आप खुद की कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं खुद की भी कर सकता हूँ। मैं भी किसान हूँ। मैं अपनी भी वकालत करूं, तो मैं कर सकता हूँ। मैं इसलिए वकालत कर रहा हूँ कि किसानों के विरुद्ध जो दृष्टिकोण है, वह समाप्त हो जाय।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती तो सरकार का इस प्रकार का दृष्टिकोण होता, यह अन्दाजा नहीं लग सकता था और सरकार कम्पेन्सेशन देने का कोई प्रावधान भी बनाती। जिस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी हाउस में तीन दिन से चल रही है, उस स्टेज पर यह कन्ट्रोवर्सी पैदा हो जाती तो राजस्व मंत्री जी खड़े होकर कह देते कि मैं कम्पेन्सेशन के प्रावधान को विड्रा करता हूं और किसान से बिना कम्पेन्सेशन के जमीन लेंगे और यह कह कर संशोधन की स्वीकृति करा लेते और इसे पास करवा कर चले जाते। लेकिन इस प्रकार की अड़चन पैदा हो गई, अब इसे कानून के रूप में किस प्रकार उपयोग में लाया जाय, यह प्रश्न पैदा हो गया। अध्यक्ष महोदय, हमें जो कम्पेन्सेशन देना है वह नॉमीनल

(श्री भैरोंसिंह)

कम्पेन्सेशन देना है। मैंने परसों कहा था कि नॉमीनल कम्पेन्सेशन देने की बात अगर संविधान बनाने वालों के मस्तिष्क में होती तो संविधान में कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान नहीं रखते क्योंकि मानवता के नाते जिसकी जो चीज लेते हैं, उसको मानवता के दृष्टिकोण से कुछ एवजाना देने की बात कर सकते हैं लेकिन सरकार के दृष्टिकोण में था, कि नॉमीनल कम्पेन्सेशन नहीं देना है, बल्कि एडीक्वेट और रीजनेबल कम्पेन्सेशन देना है, इसलिए मेन्डेटरी प्रोविजन रखना पड़ा, जिसके आधार पर कम्पेन्सेशन दिला सकें। अध्यक्ष महोदय, यह संविधान बनाने वालों की भावना है और जैसा कि कल भी प्रश्न आया था, उन भावनाओं का मूल्यांकन, उन भावनाओं का इम्प्लीमेन्टेशन हम मेजोरिटी के बेसिस पर कर लेंगे, संविधान की धाराओं की भावनाओं को क्रियात्मक रूप देने के सम्बन्ध में मेजोरिटी से निर्णय ले लें, तो मैं कह सकता हूं कि हम संविधान की भावनाओं के विपरीत आचरण करेंगे। अगर बहुमत के प्रश्न पर संविधान की भावनाओं के लिए निर्णय हो जाता, तो मैं समझता हूं कि संविधान की इतनी मोटी किताब न होकर केवल इसमें पांच छः आर्टिकल होते और उसमें लिख दिया होता कि स्टेट की लेजिस्लेचर बहुमत से जो निर्णय लेगी, वह जनता के लिए मान्य होगा और उस पर जनता अमल करेगी। यह उस स्थिति में होता जब कि जो मेन्डेटरी प्रोविजन रखा गया है, उस प्रकार नहीं रखा गया होता, उस समय राजस्थान में रेन्ट रेट का बेसिस नहीं हो सकता था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बराबर भाषण में कहते हैं कि सोशियल इन्जस्टिस नहीं होनी चाहिये, इक्वीटी के बेसिस पर कम्पेन्सेशन का निर्णय होना चाहिये, मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज भावना के वश इस प्रकार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कई माननीय सदस्य बिना कम्पेन्सेशन की बात करते हैं, वे थोड़ा बिना कम्पेन्सेशन के प्रश्न पर विचार करके देखें, यदि हमारा मकान ले लिया जाय, या हमारी कोई सम्पत्ति ले ली जाय, जायदाद के ऊपर कोई दूसरा अधिकार कर ले और उस पर कोई भी कम्पेन्सेशन न दिया जाय तो हमें कितना बुरा लगता है और इस सदन में यदि ऐसे कोई सदस्य हों जो भाषण में त्याग की बातें करते हैं, वह प्रत्यक्ष में सदन को शिक्षा दे दें कि मैंने अपने सारे धन को, मैंने अपनी सारी जायदाद को, मैंने अपनी सारी प्रोपर्टी को अपने सब कुछ को सरकार को समर्पित कर दिया है, सरकार को नहीं तो दुखी आदमियों को, गरीबों को समर्पित कर दिया है तो मैं समझता हूँ, उनके कहने में भाषण देने में और उसको कार्य रूप में परिणत करने में कोई अन्तर नहीं है। पर जहां अपना दुःख का विचार आये वहां दूसरी प्रकार के विचार, जहां सिद्धान्त आये वहां दूसरी बात, ये दोनों बातें किसी भी प्रकार से उचित नहीं होंगी।

इस दृष्टिकोण से मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनका यह लास्ट गन शॉट है। अब तक उनके जितने गन शॉट आये, सीलिंग के पोइन्ट पर, वह लास्ट गन शॉट है जो सीधा किसान की छाती में लगेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : But it will not be the last shot.

श्री भैरोंसिंह : It is last and last. यह जो गन शॉट है इसको किसान अपनी छाती में झेलेगा, इसको किसान भूलेगा नहीं जिसको यह गन शॉट लगेगा, जिसको यह गोली लगेगी, उस गोली लगने वाले किसान की भावना को पहिचानें। यदि माननीय राजस्व मंत्रीजी के जमीन होती और वे एग्रीकल्चरिस्ट होते और उन्होंने कोई मुरब्बे खरीदे हुए होते, या मालपुरा में जमीन खरीद कर उस पर काश्त करते होते तो काश्तकार का दिल क्या होता है, अपने प्रति वह उसकी आत्मा को पहिचान सकते थे, पर उनका दिल एक काश्तकार की हैसियत से बना हुआ दिल नहीं है। उनका दिल एक अच्छे वकील की हैसियत से बना हुआ दिल है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं असली काश्तकार के दिल को पहचानता हूं, नकली काश्तकार के दिल को, फर्जी काश्तकार के दिल को नहीं पहचानता।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : लैंडलैस टिनेन्ट के तो दिल होता ही नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : यह बात है, लैंडलैस टिनेन्ट्स सरदारशहर में हैं।

श्री चन्दनमल वैद : सारे राजस्थान में हैं।

श्री भैरोंसिंह : असली काश्तकार के दिल को पहचानने की बात कही कि असली काश्तकार का दिल वे पहचानते हैं और नकली काश्तकार का नहीं।

मुझे इस बात से खुशी है कि नकली और असली काश्तकार है, इस चीज को स्वीकार करते हैं। वे यदि असली और नकली काश्तकार को एक ही दृष्टि से कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं, दोनों को समान रूप से कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखते हैं, एक ही व्यू पोइन्ट दोनों के लिए लेना चाहते हैं तो उन्होंने जो दृष्टिकोण सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह अधूरा रहेगा। मैं समझता हूँ यह गम्भीर प्रश्न है। केवल राजस्थान ने ही लैंड रिफोर्म्स नहीं किए हैं, बाकी दूसरी स्टेट्स ने भी सीलिंग के कानून पास किये हैं और वहां प्रावधान हैं। इस बात पर हमारे यहां के सीलिंग कानून के लिये शाबासी दी जाय कि सबसे कम सीलिंग एरिया हमने रखा है, सबसे कम कम्पेन्सेशन इसमें हमने दिया है और बाकी की जो दूसरी स्टेट्स में कानून बने हैं, उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिवनेस इससे बताना चाहते हैं कि हमने लोगों की जमीनें मुफ्त में छीन ली है। यदि लोगों की जमीनें मुफ्त में छीनने की बात से प्रोग्रेसिवनेस बताना चाहते हैं तो यह अन्याय है। अन्याय के लिए कोई तारीफ कराना चाहे तो वह व्यक्तिगत तारीफ है। ऐसी मेरी मान्यता है और यही शब्द सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा कि राजस्व मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह किसानों के हित में नहीं है— जिन लोगों से जमीनें ली जायेंगी, उनके हित में नहीं है। जिन लोगों को जितनी कीमत मिलनी चाहिये थी, उतनी नहीं देकर अन्याय करने की बात कर रहे हैं। यह केवल गंगानगर की ही बात नहीं है, भरतपुर, अलवर और जयपुर की भी यही बात है। जहां २०० रुपया फी बीघा के हिसाब से, २५० रुपया फी बीघा के हिसाब से जमीनें मिलेंगी वहां छः

(श्री भैरोंसिंह)

आना, आठ आना की बीघा के हिसाब से कम्पेन्सेशन देने की बात करेंगे तो यह अन्याय होगा। ५८ से पहले किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ५००० रुपया जमीन की कीमत दी है और उसके लिये कहें कि कम्पेन्सेशन के अन्दर से कटौती करने का प्रावधान रखा है, यह अन्याय होगा। बदकिस्मती तो यह है कि २०० रुपया बीघा के हिसाब से जिसने जमीन खरीदी है उसको कम्पेन्सेशन ६ आना बीघा के हिसाब से मिलेगा। इस बड़ी हानि की पूर्ति इस तरह हो नहीं सकती। खरीददार को नुकसान होगा, देने वाले को नुकसान होगा। इसलिए सदन से निवेदन करता हूँ कि पार्टी के विप की परवाह नहीं करते हुए किसानों के हित को दृष्टि में रखते हुए राजस्व मंत्री जी के इस संशोधन का और जिस दूसरे संशोधन को स्वीकार करने का लालच सदन में रखा है उनका डट कर विरोध किया जाय। इस बात का डर नहीं रखें कि विप इश्यू होगा, पार्टी का अनुशासन भंग होगा। मैं सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि किसानों के हित में इसका डट कर विरोध करें।

श्री मोतीलाल : (डीडवाना) माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : अब बहस इस पर समाप्त की जाय तो अच्छा है—काफी बहस इस पर हो चुकी है।

श्री मोतीलाल : मेरा एक अमेंडमेंट है। मैं इतना ही कहूँगा कि जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के तहत जो कम्पेन्सेशन दिया है उससे भी कम कम्पेन्सेशन इसमें दिया जा रहा है। उसमें नेट इन्कम बेस कर जितना दिया है उतना भी दे दें तो काफी है। किसानों को कम से कम उतना तो मुआवजा मिल जाना चाहिए जितना कि जागीरदारों को दिया है।

डा० बहादुरसिंह : बहुत दे दिया है।

श्री मोतीलाल : माननीय अध्यक्ष,........

श्री अध्यक्ष : आपने कह तो दिया, अब क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल : मुझे इसी पर थोड़ा कहना है।

श्री अध्यक्ष : ५ मिनिट में खत्म करदें।

श्री मोतीलाल (डीडवाना): जितना लैंड रेवेन्यु है उसका ४० टाइम्स जागीरदारों को मिल गया है। जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देने में जागीर रिजम्पशन एक्ट में उनकी नेट इन्कम को बेस किया है और उस नेट इनकम का १२ टाइम्स से नीचे किसी को नहीं दिया है—टेन टाइम्स से फोर्टी टाइम्स तक दिया है। नेट इन्कम किसी की एक लाख है तो उसका टेन टाइम्स दिया है और उससे कम है तो ४० टाइम्स दिया है।

श्री सोहनलाल भटनागर : फोर्टी टाइम्स किन को दिया है, यह जरा बता दीजिये।

श्री मोतीलाल : मेन्टेनेन्स अलाउन्स और रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट वगैरह सब मिला कर फोर्टी टाइम्स है। माननीय सदस्य मुझे डिस्टर्ब न करें। मैंने जो कहा है

(श्री मोतीलाल)

मैथेमेटिक केल्कुलेशन से बिलकुल ठीक है। एक साधारण पढ़ा लिखा भी समझ सकता है। ग्रौस प्रोडक्शन के हिसाब से छठा हिस्सा लैंड रेवेन्यु किया है। उसका नेट प्रोडक्शन होता है तो १२ टाइम्स हुआ, उसके १२ टाइम्स को तीन गुना करते हैं तो ३६ गुना होगया। लैंड रेवेन्यू का तीन गुना दे रहे हैं और मैं कहूँगा कि जागीरदारों को कम्पेन्सेशन दिया था तो नेट इन्कम का रखा था, लैंड रेवेन्यू का नहीं। और इसके अलावा यदि किसी के खान है तो खान की इन्कम का ग्रेजिंग का, जंगल हैं तो लूंग पापड़ी की इन्कम सबको केल्कुलेट किया करते हैं। उस एक्ट के शेडूल २ में दिया हुआ है कि किस तरह से जागीरदार की इन्कम बेस करेंगे। तो इस तरह से किसानों की भी जितनी नेट इन्कम होती है उसका उतना ही गुना जितना कि जागीरदारों को दिया गया है, किसानों को भी दिया जाय। जागीरदारों को उनकी नेट इन्कम का टेन टाइम्स और ४० टाइम्स तक दिया है उसके साथ ही साथ रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी है। जो लोग स्टेटों के टाइम्स से भूमि के मालिक थे, पीढ़ियों से जमीनों के मालिक थे उनको इतना दिया और उसी स्टेट के अन्दर जिन किसानों को टिनेन्सी एक्ट के माफिक जमीनें मिली हैं, जिन्होंने जमीनों को इम्प्रूव किया है, उनको १० गुना की जगह तीन गुना देना चाहते हैं, यह कहां तक न्याय है? जबकि जागीरदारों से किसान बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो क्या माननीय राजस्व मन्त्रीजी के कानों में जागीरदारों की आवाज तो पहुंच गई और किसानों की आवाज नहीं पहुंची? क्या जागीरदारों की आवाज जोरदार थी? उनके डेप्यूटेशन जोरदार थे; उनके पास पैसा था और किसानों के पास पैसा नहीं—वे पेम्फलेट आदि नहीं निकला सकते, उनका डेप्यूटेशन कमजोर है इसलिये मैं यह कहूँगा कि आप किसी तरह का डिस्क्रीमिनेशन न रखें।

श्री अध्यक्ष : मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप बोलने के लिये कुछ समय निर्धारित करें। हमें थर्ड रीडिंग भी आज लेनी है।

श्री भैरोंसिंह : दो बजे तक का समय निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष : दो बजे तक का इस पर बहस के लिये समय रख देते हैं। फिर भी मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वे टु दी पोइन्ट बोलें।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज हम सबसे बड़ा लैंड रिफोर्म्स पर एक इम्पोरटेन्ट लैंड लेजिस्लेशन पास करने जा रहे हैं लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि गवर्नमेंट ही अभी तक इस मामले में अन-डिसाइडेड है। माननीय मन्त्री महोदय की तरफ से यह तय नहीं है कि वे कौनसा एमेन्डमेंट पेश करना चाहते हैं। इसलिये वे आल्टरनेटिव अमेन्डमेंट पास करने लिये रख रहे हैं। और जो स्टेटमेंट सिलेक्ट कमेटी में दिया वह उनको मन्जूर नहीं था हलाकि माननीय सदस्य ने कोई नोट ओफ डिसेन्ट उस पर नहीं दिया। उसके बाद आप यह कहते हैं कि........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह तो नहीं कहा कि नहीं था। मैंने कहा नहीं है। And I have every right to say that.

श्री पी० के० चौधरी : Yes, you have every right to say that, but it is all the more an indication that the Government is in a flux. Their mind is vascillating.

खाली आप एमेन्डमेंट पेश करते हैं और दो आलटरनेटिव एमेन्डमेंट पेश करते हैं और तीसरी बात यह है कि आप यह कहते हैं कि उस समय सलेक्ट कमेटी में आपका दिमाग था वह आज बदल गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतने इम्पोरटेन्ट लेजिस्लेशन को लाना चाहते हैं और सोशियल जस्टिस हम लाना चाहते हैं—Government must have a definite mind.

चाहे जो भी आप निर्णय करें, वह राइट हो या रोंग, वह सोशियली जस्टिस हो या अनजस्ट हो but it is expected of a Government that it must know its mind definitely. But I regret that the Government is very much undecided on the subject. They are vascillating. They have no mind of their own. It is regrettable, and if the Government of the State has to be run in this fashion, God knows what is in store for us. अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला यहां पर पेश किया है उसमें जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि एक बीघा जमीन के लिए काश्तकार को १० या २० गुना मिल सकता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर हम एक इम्पोर्टेन्ट लेजिस्लेटिव मेजर को ला रहे हैं और सोशियल जस्टिस के नाम पर ला रहे हैं लेकिन इस it is not to expropriate the agriculturist. एग्रीकल्चरिस्ट को एक्सप्रोप्रिएट करने के लिये नहीं ला रहे हैं। सोशियल जस्टिस लाने के लिये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिये यह ला रहे हैं—and not to expropriate the agriculturist. जब हमने जागीरदारों से जमीन ली थी उस वक्त हमारा यह नारा था कि to expropriate the expropriators, to expropriate the exploiters. Expropriators उसको expropriate करने के उसूल पर हमने जागीरदारी को एबोलिश किया था and there we have given much more compensation that what the Revenue Minister is now proposing for the agriculturists.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो समाजवाद है Marx was the father of socialism और उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था to expropriate the expropriators and not to expropriate the agriculturists—a man who earns his bread by the sweet of his brow उसको expropriate करने का नहीं था। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं it means that the Revenue Minister or the Government is pretending to be more marxist than the Marx himself, when we adopt this formula. तो मेरा यह निवेदन है कि You are going to adopt a definite step and that is a step for social justice and if social justice has to be brought about, and if people's private property has to be acquired—I am prepared for it—then the private property should be abolished everywhere and it should be for the whole society and

(श्री पी० के० चौधरी)

not for a handful of the people. If all other people are allowed their private property, if we cannot acquire a mill without giving full compensation, then we have no right to take land from agriculturists without paying them adequate compensation, a reasonable amount which they spent in acquiring that land. It is not that all the agriculturists have acquired land by hereditary rights. It is not that they acquired that land like jagirdars in grants. It is not like that. The people from whom we are going to take that land, they purchased this land and we have to pay them adequate compensation, not merely saying that we shall pay them 10 times rent rates which ranges from Rs. -/4/- to Rs, 1/- when you are taking property worth Rs. 400/-. So we are running the Government, we are maintaining the rights of the people—of all the citizens, so we should not play with the rights of some of them. Our step should not give rise to social injustice.

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कम्पेन्सेशन हमने जागीरदारों को दिया है उस कम्पेन्सेशन से the present rate of compensation is much less. This should not be. नहीं होना चाहिये The Article 31 reads :

" (1) No person shall be deprived of his property save by authority of law.

(2) No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given;"

Now the principles which you are going to propose for paying compensation, they must be equitable, and not discriminatory. But your rent rates are not based on any reasonable grounds or any equitable standards, so that would be discrimination. Similar land, whose productivity may be the same will get different compensation in different places.

A particular piece of land in Jaipur which gives an income of Rs. 200/-, its rent rate may be Rs. 1/- and the similar piece of land in other place may have a rent rate of Rs. -/4/- only. So there is element of discrimination in the principles which you are going to fix. Then this principle will not be valid.

The income of Rs. 3000/- per annum has been taken as the basis for fixing of ceilings. Then all the property which gives an income of Rs 3000/- whether in urban or rural areas, must be acquired and not that of an agriculturist alone.

(श्री पी० के० चौधरी)

We are prepared for it. I am prepared to accept that. But here you are acquiring the property of an agriculturist and you are not prepared to pay him even reasonable compensation. There is no objection about fixing the ceiling, but the compensation should be adequate. So the Government must first decide its mind They should not have a vascilating mind. If they acquire property in the rural sector, they must adopt the same policy for the urban sector too.

(१ म० प०)

श्री **श्रीभानसिंह** (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसके कुछ हिस्से से तो मैं सहमत हूँ और कुछ से नहीं। जो रेन्ट रेट का आधार कम्पेन्सेशन देने का रखा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ और जो स्लाइडिंग स्केल का आधार रखा है उससे सहमत हूँ। इससे पूर्व कि मैं अपने आॅग्युमेंट्स दूं, मैं इतना जरूर कह देना चाहूँगा कि मेरे पूर्ववक्ता माननीय सदस्य बोल रहे थे और माननीय जनसंघ के लीडर भी बोल रहे थे—उन्होंने, एक चार्ज कहा जाय, उसको जो वाई वे ऑफ क्रिटिसिज्म यह लगाया, कि गवर्नमेन्ट या माननीय मन्त्री महोदय इन्डिसाइसिव है और कोई भी जो सदन के सामने अमेन्डमेन्ट आना चाहिये वह डिसाइडेड होना चाहिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में मैं समझ नहीं सका कि उनकी दृष्टि से क्या आधार है डेमोक्रेसी का ? कोई विट्टी आॅर्गुमेंट से चीज़ बदली जाय, सदन की राय ली जाय तो उसको इन्डिसाइसिवनैस कहा जाय या कोई माननीय मंत्री महोदय या कोई माननीय सदस्य यहां सदन में ओपन माइन्डेडनैस से बैठें उसको यह कहा जाय कि यह एक वेन्कन्सी है, ओफ थॉट्स हैं या विम्स हैं। हम स्ट्रांग लैंग्वेज़ यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक स्ट्रांग लैंग्वेज का यही है कि स्ट्रांग लैंग्वेज यूज़ करके यहां सदन को बतायें कि हमारे पास उनके अमेन्डमेन्ट्स, आॅर्गुमेंट्स को रिफ्यूट करने के लिए कोई आॅर्गुमेन्ट्स नहीं हैं सिवाय यह कह देने कि वेन्केन्सी है या इन्डिसाइसिवनैस है। एक माननीय सदस्य, लीडर ऑफ जनसंघ की ओर से ऐसी लैंग्वेज़ शोभा नहीं देती। चाहे मैं उस अमेन्डमेन्ट या सिद्धान्त से सहमत नहीं हूँ, लेकिन यदि कोई माननीय मंत्री हाउस की विशेज को स्वीकार करते हैं, ओपन माइन्ड से यहां सदन में बैठते हैं, आखिर डेमोक्रेसी में हाउस एक टाकेटिव डेमोक्रेसी के ही रूप में तो है, बातों से, आॅर्गुमेन्ट्स से अपने विचार यहां सदन के सामने रखे जाते हैं, उनको माने या न माने या उनको अकोमोडेशन मिले या नहीं मिले लेकिन उसको इन्डिसाइसिवनैस कह दें और अकोमोडेशन नहीं देते हैं तो यह कह दें कि विरोधी दल की बातों को आदर नहीं देते। इस प्रकार की जो बातें कही गई हैं वे तथ्यों से परे हैं और यहां कान्टेक्स यह बताता है कि उन्होंने अभी तक वेटी आॅग्युमेन्ट्स नहीं दिये कि यह उनको एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है। दूसरा यह बताया जाय कि उन्होंने जो आॅग्युमेन्ट्स दिये कि राजस्थान में लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं और डिसाइसिवनेस नहीं है और जोरदार शब्दों में कहा जा

(श्री श्रीमानसिंह)

सकता है कि बिटरनैस होगी तो वे भूल जाते हैं कि इस बिल का जो मेन रिसोर्सेज़ का हार्ट था वह था एरिया ऑफ सीलिंग। उसके लिए संशोधन रखे गये, हर पहलू और हर तरह से उसको क्रिटिसाइज किया किन्तु गवर्नमेन्ट ने उस पर यील्ड नहीं किया। इसके लिए दूसरे दूसरे प्रपोजल्स भी थे लेकिन एरिया ऑफ सीलिंग का जहां तक प्रश्न था, गवर्नमेन्ट ने उस पर यील्ड नहीं किया। वह बिल का हार्ट था यह तो मियर कम्पेन्सेशन का प्रश्न है और ओपन माइन्डेडनैस इसलिए है कि माननीय सदस्य के शब्दों में ही इसको जस्टिस और इक्विटी से कम्पेयर करें। मंत्री महोदय भी ओपन माइन्डेड हैं। सीलिंग से जहां तक कन्सर्न है, गवर्नमेंट ने वहां किसी को अकमोडेट नहीं किया। जब कम्पेन्सेशन का प्रश्न आता है तो उसके लिए चेन्ज्ड फॉर्मूला रखा गया। क्यों चेन्ज किया गया ? कल प्रश्न उठा था गंगानगर के लिए और यह कहा गया था कि यह फेवरेबल है वहां पर और दूसरी जगह डिस्क्रिमिनेटरी है। उसको चेन्ज किया गया। पहला ऑर्ग्युमेन्ट था मार्केट वैल्यू का जिसको एक्सेप्ट नहीं किया, रेन्ट रेट का अमेन्डमेन्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया और चेन्जड फार्मूले को भी एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए स्लाइडिंग स्केल पर आये और उसी पर सदन को आज विचार करना है। जैसा मैंने कहा कि मैं स्लाइडिंग स्केल के फेवर में हूं। लेकिन लैंड रेंट के बेसिस पर मैं एग्री नहीं करता। क्यों ? खुद माननीय मंत्री महोदय को अपने भाषण पर भी विचार करना पड़ेगा जिसमें उन्होंने लैंड रेन्ट फिक्स करने के लिए कहा था कि ये इनइक्वीटेबल है, डिस्क्रिमिनेटरी हैं, अनजस्ट हैं और जगह जगह वेरी करती हैं। जब लैंड रेन्ट राजस्थान में किसी जगह भी फिक्स्ड नहीं हैं और हर जगह वेरी करती है तो वह क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर सकते। हो सकता है कि इससे कम कम्पेन्सेशन देना पड़े, हो सकता है कि इससे स्टेट एक्सचैकर पर कम बर्डन आवे। लेकिन हमारे यहां तो प्रोब्लम वही है। दूसरी तरफ हजारों राइट्स एक्वायर करने के लिए यह हमारे सामने उदाहरण है कि फेबुलस कम्पेन्सेशन दिया और उसका कितने सालों तक एक्सचैकर पर बर्डन रहेगा —वह है जागीरदारी राइट्स का प्रश्न, अभी जमींदारों को तो देना ही शुरू नहीं किया है। मीयर राइट्स के लिए इतना कम्पेन्सेशन दिया और यहां पर प्रोपर्टी एक्वायर करें और जब एक्वायर करते हैं तो उसकी स्केल निर्धारित करनी पड़ेगी। फुल वैल्यू जैसा माननीय सदस्य ने कहा वे तो इम्पोसिबल हैं, एक प्रोपर्टी की फुल वेल्यू नहीं दी जा सकती, हमारा एक्सचैकर इस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस हद तक उसकी वैल्यू कायम की जा सकती है कि उसको एक्सचैकर भी स्वीकार कर ले। आज गवर्नमेन्ट की एक रोंग पॉलिसी है जिससे हमारे एक्सचैकर पर अननेसेसरी बर्डन आ रहा है। एक तरफ भाखरा प्रोजेक्ट में पॉलिसी एडोप्ट की, वहां लैंडलैस को ऑक्शन से या किसी तरह जमीन बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि यदि प्रोजेक्ट में जमीन सेल करते हैं तो एक्सचैकर में पैसा आता है और दूसरी तरफ लैंडलैस को फ्री गिफ्ट देते हैं। इससे दूसरी तरफ एक्सचैकर पर बर्डन को बुला रहे हैं। मैंने आपको यह

(श्री श्रीभानसिंह)

सुझाव दिया कि सेल्फ सपोर्टेड बनावें । आप कोऑपरेटिव बैंक को पैसा दे दीजिये । उनसे लेकर वे ज़मीन खरीदें । फ्री गिफ्ट से आप एन्टरप्राइज़ इन्क्रीज़ नहीं कर सकते, इनीशिएटिव प्रोडक्शन का है वह इन्क्रीज़ नहीं कर सकते । जो इकॉनोमिक होल्डिंग पर्चेज़ नहीं कर सकते उनको इस तरह से करिये और जो अनइकॉनोमिक होल्डिंग पर्चेज़ कर सकते हैं उनको कम कर दीजिये । लेकिन यह एलीमेंट उसमें जरूर रखिये जिससे कि उसमें उनका स्टेक रहे और जब उनका स्टेक रहेगा और वे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करेंगे तो वे प्रोडक्शन को बढ़ा सकेंगे और इससे स्टेट एक्सचैकर पर भी बर्डन नहीं आता है। लेकिन उस सुझाव को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप चाहें उसको भाखरा में ज़मीन दे सकते हैं, आप उसको चम्बल में जमीन दे सकते हैं और आप उसको जवाई प्रोजेक्ट में ज़मीन दे सकते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि आप लैंडलैस अनइकॉनोमिक होल्डर्स को जमीन बेचिये मत, उनको फाइनेन्स करिये । इस सिद्धान्त को नहीं मानते हैं तो स्टेट एक्सचैकर पर जो इस प्रकार के रिफॉर्म्स से बर्डन आने वाला है उसको सहन करने के लिये तैयार रहिये। सोशियल रिफॉर्म्स से जो भी कॉन्सीक्वेन्सेज होने वाले हैं उनको बीअर करने के लिये तैयार रहिये या फिर halt with the Social reforms इन्इक्विलिटी वगैरह रहने दीजिये और सिर्फ प्लानिंग मेटीरियल का ही ध्यान रखिये । मगर जब सोशियल रिफॉर्म्स करते हैं तो सोशियल रिफॉर्म्स के जो कॉन्सिक्वेन्सेज़ होने वाले हैं उनको मत भूल जाइये- फ़ुल माउथ लीजिये अप टू सर्टेन मेजर, अप टू सर्टेन रैस्पेक्ट लीजिये ।

अब हमें यह देखना है कि स्लाइडिंग स्केल के प्रिन्सिपल को स्वीकार करते हैं तो उसमें हमें देखना है कि जस्टिस कहां हुई । जोधपुर के अन्दर बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिसकी रेन्ट रेट ढाई तीन रुपया है । वहां पर काश्तकारों को ज़मीन बेची जाय तो वहां की मार्केट वैल्यू ढाई तीन रुपया नहीं आने वाली है और उनको कम्पेन्सेशन मिलेगा बदला हुआ । वहां की भूमि को ढाई तीन रुपया बीघा भी बहुत हिस्से में खरीदने को कोई तैयार नहीं है वैसी हालत में वहां हम रेन्ट रेट को कम्पेन्सेशन का आधार मानते हैं तो उनको कम्पेन्सेशन ज्यादा मिल गया ।

इसी तरह भरतपुर, अलवर वगैरह के हिस्से को लेते हैं तो वहां पर २५, ४० साल पहले का सेटलमेन्ट चला आ रहा है वहां पर कहीं पर चार आना, कहीं पर आठ आना और कहीं रुपया-इससे ज़्यादा कहीं है नहीं । इधर गंगानगर के किसान को ले लीजिये जैसा कि ऑर्ग्युमेंट दिया गया कि उन्होंने वहां पर ज़मीन खरीदी है, काफी पैसा देकर खरीदी है—एक मुरब्बे की कीमत दस हज़ार रुपया तक देनी पड़ी है । उसकी कॉस्ट की ३० टाइम्स लगाई है जिसके मुताबिक जिस मुरब्बे को १० हज़ार में खरीदा उसकी ३० टाइम्स रेन्ट रेट के अनुसार कम्पेन्सेट किया । इस तरह से डिफ्रेन्ट जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार रेन्ट रेट्स हैं । सोशियल रिफॉर्म्स के अन्दर कम्पेनसेशन मीयर एक्वीज़िशन ऑफ राइट्स के लिये कम्पेयर करते हैं । और इसी कनक्लूज़न से गाइड होते हैं यह एलीमेन्टरी कॉन्फिस्केशन है--मैं यह नहीं

Page No.52

(श्री श्रीमानसिंह)

कहता कि हमारा दृष्टिकोण मार्क्सवादी हो लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की नीति का प्रश्न है, यह हमारी पार्टी का नीति के विरुद्ध है। हमारी नीति कॉन्फिस्केशन की नहीं और न समाजवाद की ही नीति कॉन्फिस्केशन की है। वैसी हालत में हमें एडीक्वेट कम्पेन्सेशन वर्क आउट करना होगा और वह स्केल क्या हो सकती है नेट इन्कम की। यह कैसे वर्क आउट हो इस बारे में मेरे से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य भी एग्री करेंगे। नेट इन्कम जो अगर कोई हायर बताते हैं उसको कम ज़मीन लेनी पड़ेगी और जो अगर कम बताते हैं तो उनको कम्पेन्सेशन ज्यादा दे दीजिये। एक चोइस करनी पड़ेगी। आखिर क्या चाहते हैं–हायर कम्पेन्सेशन चाहते हैं या ज्यादा लैन्ड रखना चाहते हैं? और नेट इन्कम की वर्क आउट का बेसिस वही रखिये जैसा कि स्टेन्डर्ड एकड़ का रखा है। इसके लिये आपके पास सेटलमेन्ट डिपार्टमैन्ट है-उसके साधन आपको प्राप्त हैं। कौन सा एरिया कौन क्रोप पैदा करता है इसको जिस तरफ से सीलिंग पर्पज के लिये रिड्यूस करेंगे उसी तरह से रिड्यूस कर लीजिये। ज्यादा से ज्यादा एक मुरब्बे की नेट इन्कम आयगी ३६०० वर्क आउट होगी। इस प्रकार जिस मुरब्बे की ३६०० इन्कम आती है तो उसको हम १,५०० रुपया देकर कम्पेन्सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पचास प्रतिशत ६० प्रतिशत या चालीस प्रतिशत नेट इन्कम के कर सकते है इससे हमारे एक्सचैकर पर भी ज्यादा बोझ नहीं आयेगा। या हाफ दी नेट इन्कम दे दीजिये, फुल नेट इन्कम मत दीजिये। नेट इन्कम का आधा कम्पेन्सेशन नहीं कर सकते या दस रुपये का ४० रुपया कम्पेन्सेट करते हैं तो यह जस्टिस, इक्विटी के सिद्धान्त पर नहीं बल्कि यह कॉन्फिस्केशन के सिद्धान्त पर आधारित है।

हमने रेन्ट रेट को एडोप्ट की, यह हमारा बेसिस ही रोंग है। इसमें हम स्लाइडिंग स्केल को जस्टिफाइ नहीं कर सकते। स्लाइडिंग स्केल का ऐसा बेसिस होना चाहिये जो फिक्स हुआ करे। नेट इन्कम का बेसिस हमने जागीरदारी एबोलिशन में माना है। जहां तक मेरा खयाल है–जहां हम राइट्स एक्वायर करने के लिये नेट इन्कम को बेसिस मानते हैं और यहां प्रोपर्टी एक्वायर करने के लिये नहीं मानते हैं-आप आन्ध्र के बिल को एडोप्ट कर लीजिये-उसको भी रहने दीजिये, आप देहली के मोडल बिल को एडोप्ट क्यों नहीं करते। उसमें तो सारी भारत सरकार की पोलिसी रिफ्लेक्टेड है। जिसमें प्लानिंग कमीशन का मोड रिफ्लेक्टेड है उसको आप क्यों नहीं एडोप्ट करते-इतनी चीजें हैं। आप जहां प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी, प्रिन्सिपल ऑफ जस्टिस मानते हैं मगर रेन्ट रेट्स जो हमारे यहां डिस्क्रिमीनेटरी है उस आधार पर कम्पेन्सेशन वर्क आउट होगा तो वह कॉन्फिस्केटरी होगा। यह मेरा निवेदन है।

अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने एक दृष्टिकोण सीलिंग में कभी नहीं रखा। हमारे यहां एक पर्सेन्ट या दो पर्सेन्ट ऐसे लैन्ड लार्ड्स हैं जो एक प्रकार से एबसेन्टी लैण्ड लार्ड्स हैं। इसके अलावा बीस पर्सेन्ट ऐसे भी हैं जिनकी काश्त करना एक होबी है। वैसी हालत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम कम्पेन्सेशन को इतना प्रोफिटेबल रखें जिससे जितने भी आदमी जिनको हम जेन्टल-

Page No.53

(श्री श्रीभानसिंह)

मेन फ़ार्मर कह सकते हैं जो लैन्ड पर एज ए बर्डन छाये हुए हैं उनको रूट आउट कर सकें। वे चाहें तो लैन्ड पर वर्क कर लें या रेट ऑफ़ कम्पेन्सेशन अच्छा ले लें। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये लोग या तो कम्पेन्सेशन अच्छा ले लेंगे या ज़मीन पर काम करने लगेंगे। इससे जो आदमी काश्त करना नहीं चाहता उसको ज़मीन से रिलीव करने के लिये लुकेटिव कम्पेन्सेशन रखना चाहिये। इसमें क्या होगा-आपके पास ज़मीन आ जायेगी। और वह कम्पेन्सेशन का रुपया लेकर इन्डस्ट्रीज़ खोल सकता है और कोई बिजनेस कर सकता है। इसलिये हायर रेट ऑफ़ कम्पेन्सेशन रखना जरूरी है जिससे जो आदमी वर्क करना चाहेगा वह अपने आपको लैन्ड पर सेटल कर लेगा और जो न करना चाहे वह वन्स फोर ऑल फिल्ड से गुड बाई, गुडलक कर दे और अर्बन एरिया में जाकर रहे। इसलिये मेरा निवेदन है कि रेन्ट रेट को बदलिये और दूसरी तरह से साइन्टिफ़िक तरीके से स्लाइडिंग स्केल को एडजस्ट कर लीजिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री रामचन्द्र (हनुमानगढ़) : आज हमारे सामने कम्पेन्सेसन देने का फॉर्मूला क्या बनाया जावे-इस पर अमेंडमेन्ट आया है। उस पर अभी दो तीन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

अभी तीन-चार रोज़ पहले माननीय मन्त्री महोदय ने स्टेन्डर्ड एकड़ राजस्थान के लिये अपनाया तो उस दिन हमें बतलाया गया था कि राजस्थान में पहले जो अलग २ रियासतें थीं उनके अलग अलग लैंड लॉज़ थे और अलग अलग ही सबमें रेंट रेट्स थीं। यह भी बतलाया गया कि बारानी का रेन्ट रेट तीन पैसा फी बीघा से पांच रुपया तक है और चाही का ४॥) से लेकर ४०% तक है। अलग रियासतें होने के कारण अलग अलग कानून थे। इसलिये कहीं तीन पैसा बीघा था तो कहीं चार आने तो कहीं पांच रुपया। कोई इक्विटेबल बेसिस पर ये रेटें निर्धारित नहीं थीं। इसके लिये अपनी सहूलियत और आमदनी के लिहाज़ से उन रियासतों ने अपनी अपनी रेटें तय कर ली थीं।

अब हमको विचार करना है कि इस रेन्ट रेट बेसिस पर क्या राजस्थान में हम इक्विटेबल और एडीक्वेट कम्पेन्सेशन हर जगह पर दे सकते हैं। जिस ज़मीन का तीन पैसे हैं बारानी का, उसको अगर तीस गुना देंगे तो ९० पैसा हुआ,-एक रुपया भी पूरा नहीं हुआ और जहां पर पांच रुपया बारानी का है वहां पर १५०) देंगे। तो वहां का किसान जहां पर ५) रेन्ट रेट है बारानी को ले नहीं सकेगा और जहां पर तीन पैसा है वह एक रुपया क्यों लेगा? यानि हमने कम्पेन्सेशन दिया जागीरदारों को, और अब सोच रहे हैं जमींदारों को देने की बात। जागीरदारों को उनकी नेट इन्कम का ८ गुना स्लाइडिंग स्केल पर दिया। इसके अलावा छोटों को रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट भी दी। तो इससे आप अन्दाजा लगाइये कि जो ज़मीन उनके कब्जे की नहीं थी, जो जमीन दूसरे काश्तकारों के कब्जे की थी, वे हमेशा से उस पर काश्त करते आये थे, पर चूंकि उनकी जागीर में आ गया था इसलिये एक्वायर करने के लिये और उसके सही मालिक को दिलाने के लिये ८ गुना तक कम्पेन्सेशन

(श्री रामचन्द्र)

एन्युअल (सालाना) इन्कम पर दिया। पर आज आपके कानून के हिसाब से आप उन भूमि के सही स्वामियों से ज़मीन छीनेंगे और कहेंगे कि हम इसका इस हिसाब से कम्पेन्सेशन देंगे। हमने एक कानून बनाया और समाजवादी समाज की स्थापना के लिहाज से चाहते हैं कि हम लोगों में ज्यादा से ज्यादा जमीन बांटें। पर इसके साथ साथ यह भी होना चाहिये कि संविधान के मुताबिक हम इसका एडीक्वेट, जस्ट और इक्विटेबल कम्पेन्सेशन दें और इस रेंट रेट बेसिस पर मेरी ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में यह लागू नहीं की जा सकती क्योंकि-जैसे मैं अर्ज करूं-बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि हमारे यहां भाखरा का जितना इलाका है उसमें छः आने बीघे से ज्यादा रेन्ट रेट नहीं है। इसका तीस गुना ११।) एक बीघा के हुए। यह रेट काफी कम पड़ती है। आज जितनी रजिस्ट्रियां रोजाना सैंकड़ों की तादाद में वहां हो रही हैं उनको आप देख लें। वहां रेट मिलेगी पांच सौ से एक हजार फी बीघा तक। तो आप पांच सौ से हजार की कीमत की चीज़ का ११।) रुपया दें यह उचित न्याय होगा ? नहीं होगा। आप रुपये का आठ आना भी नहीं देना चाहते ? १००) का एक रुपया भी नहीं देना चाहते ? यह कैसा इन्साफ होगा ?

दूसरी तरफ जयपुर डिविज़न में ज़्यादातर चाही की जमीन है। उनमें दस रुपया से २५) रुपया फी बीघा को रेन्ट रेट है। यहां की जमीन उसके मुकाबले में इतनी कीमती नहीं है। तो जहां जमीन पचास या सौ रुपये फी बीघा की होगी इसके बदले में देंगे आप ७५०) और जो चीज सात सौ की है उसके बदले में देंगे १०) रुपया। तो सोचें कि क्या यह एडीक्वेट कम्पेन्सेशन है ? कैसे इस पर देख करेंगे और कैसे इसे इक्विटेबल कहेंगे ?

इसलिये हमको जो भी कोई कानून बनाना है, गम्भीरता से पूरा उसके प्रोस और कोंस को सोचकर बनाना चाहिये। अभी अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई थी कि गवर्नमेन्ट अपने विचारों में दृढ़ नहीं है। मैं इसको नहीं मानता। जो बात आपके सामने आती है और हमारे सदन के माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह इस तरह से हो, अपनी हालत अलग अलग तरह से बताते हैं, तो जनतन्त्र का सिद्धान्त है कि जो बहुमत राय रखता है उसको मानना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय की इस बात की कद्र करेंगे कि उनके विचार चाहे कुछ हों, पर जब उन्होंने अपने सदन की राय जानी तो अपने विचार बदल दिये। तो यह तो सिद्धान्त की चीज है। इसको बुरा नहीं मानते। पर इसके साथ साथ यह देखना है कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, जिसका कम से कम एक करोड़ किसानों पर असर पड़ने वाला है उसको हम ऐसा न बना बैठें—भावना के आवेश में आकर या दूसरे कारणों से—कि जो सीलिंग का बिल हम एकाध को छोड़कर हिन्दुस्तान में पहले पहल हम बनाने जा रहे हैं जिसका असर दूसरों पर भी पड़ने वाला है, उसको हम गलत बना दें। इसलिये आप राजस्थान के किसान को ही नहीं देखें, वरन् हमें भारत के २५ करोड़ किसानों को देखना है जिन पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है नेचरली। हम दूसरों की अच्छाइयां लेने की

(श्री रामचन्द्र)

कोशिश करते हैं तो हमारा यह बिल भी जब एक्ट के रूप में आवेगा तो दूसरी रियासतें इसको भी देखेंगी, इसका उन पर भी असर पड़ेगा। इसलिये उनका ध्यान रखकर भी हमें इस कानून को बनाना है जो दूसरों के लिये भी आदर्श हो। हम नहीं चाहते कि हम पिछड़ जावें। आगे जाने के बदले असलियत से उससे दूर हो जावें।

मैंने बताया था--अभी सरकारी कीमतें हमारे यहां गंगानगर इलाके में १०॥ हजार, १२॥ हजार फी २५ बीघा है। भाखरा नहर की पांच हजार से १० हजार फी २५ बीघा है वहां भी भूमिहीन किसानों को मुफ्त में ज़मीन नहीं मिलती। भूमिहीन किसानों को अलॉट करते हैं उन्हीं कीमतों पर दे रहे हैं। बाजार की कीमत उनसे बहुत ज़्यादा है। जो सरकार अपनी भूमि अलॉट करती है उसकी केटेगरी बना दी है। हल्की ज़मीन पांच हजार से साढ़े सात हजार में २५ बीघा और अच्छी जमीन दस हजार तक जाती है। मैंने जो बातचीत की माननीय मन्त्री महोदय से और दूसरों से भी, तो उनके दिमाग में एक चीज़ है कि हम राजस्थान सरकार के एक्सचैकर पर इतना बोझा इस बात से डालना नहीं चाहते कि हम दब जावें। मैं मानता हूँ कि कन्सोलिडेटेड फण्ड पर इतना बोझा न आने पावे ताकि हमारी आगे की उन्नति जारी रहे, रुक न जावे। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कोई बर्डन पड़ता हो। मैंने बिहार के आंकड़े पढ़े हैं। उस पर जो सरप्लस भूमि आवेगी उसकी कीमत मालिकों को देंगे। १२ सौ फी एकड़ से छः सौ फी एकड़ तक कीमत रक्खी है। जिस कीमत पर दूसरों की जमीन लेंगे, उसी कीमत पर इन्स्टॉलमेन्ट बेसिस पर भूमिहीन किसानों को या गरीब किसानों को अलॉट करेंगे और यह सिद्धान्त हमारे यहां पर भी है। आज भी हमारे यहां जमीन अलॉट करते हैं कीमतों पर।

कल जब बहस चल रही थी तो बहुत से लोग नाराज थे कि गंगानगर के साथ यह क्यों पक्षपात किया है उनके हक में। लेकिन उनको पता नहीं हमारी हालत, जैसा कल भी मैंने अर्ज किया था कि हमारे यहां आज भी दस हजार फी मुरब्बा भूमिहीन किसानों से लिया जाता है, जहां आपको मुफ्त में दी जाती है।

श्रीमती सतवन्तकौर (करणपुर) : १२, ११ हजार दिये जाते हैं।

श्री रामचन्द्र : उस समय माननीय सदस्य इसका खयाल नहीं करते। मैं कहता हूँ कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम जमीनें मुफ्त में अलॉट कर सकें लेकिन जैसा कि उसूल है उसके मुताबिक लैंड लैस पर्सन्स को जमीन अलॉट करनी है और जितना हमें मुआवजा देना पड़ता है उतना उनसे वसूल करना होगा। आज आपसे कोई नहीं कहता कि सरकार सारी कीमत एक साथ अदा कर ले। वह तो जिन लोगों से जमीन ली जायेगी जिनके पास सरप्लस है और उनको जो इन्स्टॉलमेंट बेसिस पर कम्पेन्सेशन दिया जायेगा उसी तरह किसानों से पेमेन्ट लिया जायेगा। जैसा आप उनको इन्स्टॉलमेन्ट देते हैं उसी बेसिस पर, इन्स्टॉलमेन्ट बेसिस पर जमीन अलॉट करें। इसमें आपको कौन सी दिक्कत आती है। ऐसा बिहार में और आंध्र में और दूसरी जगह देखा है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि इसका एक इक्विटेबल प्रिन्सिपल हो सकता

Page No.56

(श्री रामचन्द्र)

है उसको आप नहीं करते हैं और वह है मार्केट वैल्यू का और दूसरा बेसिस हो सकता है एनुअल नेट इन्कम का। जिस जमीन की जैसी हैसियत होगी–अगर कोई बारानी जमीन है रेगिस्तान की उसमें अगर पांच साल का एवरेज निकाल लें इसमें good years भी आ जायेंगे और bad years भी आ जायेंगे–उसकी पैदावार का एवरेज निकाल लें कि इतनी पैदावार हुई। आपके असेसमेन्ट सर्किल बने हुए हैं; आपके पास सारा सैटलमेंट का रिकॉर्ड है जिससे जान सकते हैं कि कहां कितनी पैदावार हुई है और फिर पिछले पांच साल की कीमत का एवरेज निकाल लें उससे उसकी ग्रोस इन्कम निकाल लीजिए। अगर एक बीघा में एक मन आता है तो एक मन का नेट इन्कम आधा मन होगा। अगर १० रुपया मन की चीज है तो उसके पांच रुपये होंगे। उसका १० टाइम्स दीजिये। अगर इससे ज्यादा जमीन सरप्लस आती है तो ८ टाइम्स और उससे भी ज्यादा आती है वो ६ टाइम्स दीजिये। इसके अलावा जो गरीब हैं उनको भी हमारे सामने रिहैबिलिटेट करने का सवाल है। इसलिए एनुअल नेट इन्कम ही एक ऐसा बेसिस है जो कि राजस्थान में सब के साथ न्याय कर सकता है। जिस जमीन की जैसी हैसियत है अगर उसके अन्दर पैदावार २ रुपये की होती है तो उसको १० टाइम्स २० रुपये हो गये और वह उसको मिल जायेंगे। अगर उसकी ३ रुपये की पैदावार है तो उसको ३० रुपये मिल जायेंगे। अपनी हैसियत की जमीन के उतने ही पैसे मिलेंगे। किसी के साथ इसके अन्दर गैर-इन्साफ नहीं होगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इसको आप गम्भीरता से विचारें जिससे सब के साथ एक जैसा इन्साफ हो सके जैसा कि आंध्र ने और दूसरी स्टेट्स ने किया है। यही अर्ज करूंगा कि फिर एक बार अध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय मंत्री से और सदन के दूसरे सदस्यों से यह अपील करूंगा कि इस फार्मूला पर थोड़ा सा विचारें और विचार करके इसको अपनायें तो यह सब के लिए इक्वीटेबल होगा, जस्ट होगा और एडीक्वेट कम्पेन्सेशन हम दे सकेंगे अन्यथा मेरे दिमाग में कोई और दूसरा फार्मूला नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें साफ हैं। एक तो हमारे सामने सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि जो २ लाख २५ हजार भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन दें और उसके लिए साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया है कि हजारों की संख्या में जो किसान हैं और जिनका जीवन निर्वाह काश्त पर है उन्हें हम जमीन देना चाहते हैं और प्लानिंग कमीशन ने और सब ने निर्णय लिया है कि जो अभावग्रस्त लोग हैं या अशक्त लोग हैं उनको जमीन देना चाहते हैं। जब अभावग्रस्त लोगों को जमीन देना चाहते हैं तो एक बात मानी हुई है कि हमारे दबे हुए किसान इतनी बड़ी कीमत देकर जमीन नहीं खरीद सकते। आप कोशिश कर लें कि हम इतनी बड़ी कीमत चुकाकर अगर जमीन दिलवा सकते हैं तब तो जो हमारे राजस्थान के गरीब काश्तकार हैं वे खरीद सकते हैं। यह मानी हुई बात है कि आज काश्तकार इस हालत में नहीं हैं और वह सारा मुआवजा देकर जैसा कि आप उसूल रख रहे हैं

(श्री मूलचन्द डागा)

कि हम मुफ्त में या कम पैसों में जमीन नहीं देना चाहते और उसी जमीन की कीमत लेकर जमीन उनको देनी चाहिये तो राजस्थान में ऐसे काश्तकारों की संख्या ज्यादा है कि जो इतनी कीमत देकर जमीन नहीं खरीद सकते और उनकी हालत नहीं है कि वह जमीन कभी खरीद सकें। दूसरी तरफ हमारा उद्देश्य है कि हम नये समाज की रचना करना चाहते हैं और उसके अन्दर हमारा यह मौलिक सिद्धान्त है कि हम समाजवाद के ढंग का समाज स्थापित करना चाहते हैं। तो उसमें उन लोगों से जिन लोगों के पास ज्यादा सम्पत्ति है या ज्यादा दौलत है उनको कुछ न कुछ तो त्याग करना होगा और कुछ न कुछ अपना छोड़ना होगा। अब जमीन के संबंध में हमने सारे राजस्थान का चित्र नहीं रखकर सारा ध्यान गंगानगर इलाके की तरफ खींचा गया। राजस्थान एक लम्बा-चौड़ा प्रान्त है लेकिन हमने सारी बहस का ज्यादा हिस्सा एक इलाके की तरफ लगा दिया। अलवर है, भरतपुर है, जोधपुर हैं और ऐसे कई स्थान हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमने कोई कदम १९५३ में लिया था लेकिन आज हमारा कानून पारित नहीं हुआ है। इससे पहले बिहार, पंजाब और उत्तरप्रदेश ने कर लिया बम्बई में बन गया है, उत्तरप्रदेश में बन रहा है।

श्री रामचन्द्र (हनुमानगढ) : कहीं नहीं लागू हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपना बिल पेश कर दिया है। तो उसके अन्दर उन्होंने अपने अलग अलग फार्मूलाज दिये हैं, वह भी हमारे सामने हैं। एक फार्मूला जो आन्ध्र प्रदेश का दिया हुआ है कम्पेन्सेशन के बारे में उसमें उन्होंने यह दिया है कि For any compensation of land amount equal to one years' net income of the land of the owner and amount calculated after deducting therefrom the amount if any payable under clause 1A... उन्होंने भी वहां पर स्लाइडिंग स्केल लागू किया है। हमारे यहां भी ऐसे काश्तकार हैं जिनको जमीन का पैसा नहीं देना पड़ा और जमीन उनके पास आ गई और उसको उन्होंने एक बार अपने कब्जे में कर ली और सन् १९५५ में टिनेन्सी एक्ट में संशोधन हुआ उसके मुताबिक मालिकदार हो गए। फिर इसके अलावा ऐसे काश्तकार भी हैं जिनके पास ज़मीन पुराने जमाने की आई थी और उसका वह केवल रेन्ट दिया करते थे और वह उसके मालिक बन चुके। तो आप नेट इन्कम देने के समय भी उसके पास जमीन किस प्रकार प्राप्त की और किस प्रकार उसके अधिकारी बने, इसका प्रश्न भी सोचने का है। तो कई तो जमीन के मालिक आपके डिसीजन लेने के बाद हो गये हैं और कुछ कनवरशन होने के बाद में जमीन खरीद ली गई है। अगर आप मार्केट वैल्यू पर कम्पेन्सेशन चाहते हैं तो एक समय में जमीनों की कीमत बहुत कम थी और लोगों ने बहुत कम कीमत पर खरीदी और लोगों ने उस पर कुछ अपना इम्प्रूवमेंट किया और इम्प्रूवमेंट के लिये जो टिनेन्सी एक्ट सबसे पहले निकला था कि २२, २३, २४ टेनेन्सी एक्ट की धारा के अन्दर इम्प्रूवमेंट हुए हैं वह दिलाये जायें। एक फार्मूला पहले रखा

(श्री मूलचन्द डागा)

गया था। वैसे तीन-चार फार्मूलाज़ हमने रखे और सबसे पहले हमारी नीति थी वह यह थी कि इस प्रकार से मुआवजा दिलाया जाये : "The amount of compensation shall be determined by the Sub-Divisional Officer in accordance with the principles laid down in sub-section (3) of section 23 and in sections 24 and 24A of the Rajasthan Land Acquition Act, 1953 (Rajasthan Act 24 of 1853) and, for the purpose of such determination...

एक फॉर्मूला था टिनेन्सी एक्ट में। उसको हमने कहा कि बहुत कम्प्लीकेटेड है। सब–डिविजनल ऑफिसर को बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, और सोचना पड़ेगा बार बार कि किस प्रकार की ज़मीन में इन बातों की जांच करें। उसमें बहुत समय लगेगा। तो इस फॉर्मूले को छोड़ा, और इस फॉर्मूले के बाद सोचा कि एक्वीज़िशन प्रोसिडिंग करें और जो मार्केट रेट है उसके अनुसार चलें तो मालूम हुआ कि इतनी कीमत देनी पड़ेगी। तो मेरी प्रार्थना यह है कि जमीन के बाबत यह सोचें कि उसको ज़मीन किस प्रकार से मिली, यह एक पॉइन्ट भी कन्सीडरेशन का है कम्पेन्सेशन देने के संबंध में। आप यह समझते हैं कि ज़मीन उसको किस प्रकार से मिली है और उसका कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं तो १० या २० गुना या मार्केट रेट पर देना चाहते हैं तो यह मुनाफा उठाया जा रहा है उस जमीन से जो कि मुफ्त में मिली है। तो एक सवाल तो यह है जिसको मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ।

दूसरी बात यह है कि टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत २३ और २४ जो सेक्शन्स हैं वह बिल्कुल ठीक रेमेडी है। उसमें किसी ने ज़मीन पर इम्प्रूवमेन्ट्स किये हैं तो आपको मुआवजा मिल जाता है, जमीन की जो कीमत है वह मिल जाती है, रेन्ट का कन्सीडरेशन मिल जाता है। सारे प्रावधान और सारी बातें हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को छोड़ा जब कि लोगों ने देखा कि इस बात से काम नहीं चलेगा और मुनाफ़ा ज्यादा नहीं मिलेगा तो मेरा ख्याल यह है कि दो बातों का कन्सीडरेशन करना चाहिए। एक बात तो यह है कि हमें, हमारे यहां की जो ज़मीन के बाबत में, जो पजेशन के आधार के सिवाय, जिस जमीन में इम्प्रूवमेन्ट्स हो चुके हैं, उन इम्प्रूवमेन्ट्स के कारण जो इम्प्रूवमेन्ट्स कराने में जो खर्चा हुआ है, काश्तकार का जो खर्चा हुआ है, उसके आधार पर मुआवजा दिलाने या कम्पेन्सेशन दिलाने का प्रावधान होना चाहिए, और किसी का बेटरमेंट करने के लिए खर्चा लगा है, जमीन में बहुत इम्प्रूवमेन्ट्स किये हैं अपने कब्जे में लाने के बाद, और एक्चुअली इतना रुपया खर्च में लगा है, उसको मिल जाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इम्प्रूवमेन्ट्स नहीं किये है केवल उसको आप देना चाहते हैं, और यह एक प्रकार का मुनाफ़ा होगा जो कि वे ज़मीन पर कमाना चाहते हैं।

मध्यप्रदेश के अन्दर जो बिल पेश हुआ उसके अन्दर उन्होंने एक तरीका निकाला था। वह तरीका भी ठीक है और वह यह था जो मैं अभी आपसे कह रहा था:– The State Government shall pay compensation for the land vesting in

(श्री मूलचन्द डागा)

the State Government under clause for such land in accordance with the rules contained in the Schedule II. उन्होंने भी स्लाइडिंग स्केल का बनाया कि इस प्रकार से इतनी जमीन लेंगे तो इतना मुआवजा देंगे और enhancement of the value of the land due to improvements और जो इम्प्रूवमेंट्स किये हैं, उस ज़मीन पर जिस काश्तकार ने, उन इम्प्रूवमेंट्स की कीमत दिलायेंगे। तो उन्होंने मध्यप्रदेश में कानून बनाया तो उन्होंने एक शिड्यूल कायम किया है। वह यह है कि When the land revenue does not exceed Re 1/-then 80 per acre...तो उन्होंने अपने एक शिड्यूल में एक स्केल कायम की है और उस स्केल के आधार पर मुआवजा दिलाने के साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स, एन्हन्समेंट और इम्प्रूवमेंट किया है, उसका मुआवज़ा दिलाया है। यह मध्यप्रदेश में कानून पारित हुआ है।

अब सवाल यह आता है, गंगानगर के बाबत मुआवज़ा इस प्रकार से रखा है तो जोधपुर डिवीजन का, और भी कई डिवीजन हैं तो हमारा सारा ध्यान एक तरफ़ आकर्षित होकर यह बहस कर रहे हैं तो दो बातें मैं बतलाना चाहता हूँ कि हम उन बे जमीन आदमियों के लिए नहीं देना चाहते हैं –वह एक्चुअली इतनी कीमत चुकायेंगे। लेकिन कीमत चुकाने के संबंध में आप चाहेंगे कि ३० एकड़ सीलिंग की ज़मीन के रहने के बाद जो इम्प्रूवमेंट्स किये हैं उस ज़मीन में, तो उस ज़मीन के इम्प्रूवमेंट्स की कीमत दी जाय। सबसे पहले फार्मूला यह है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा २३, २४, २५ और २६ के अन्दर जो प्रावधान हैं उसके आधार पर मुआवजा दिलाना चाहिए।

श्री मोहरसिंह (चूरू)· माननीय अध्यक्षमहोदय, आज जो सवाल कम्पेसेशन के ऊपर चल रहा है वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, यह आज की बहस का जहां तक ताल्लुक है एक खास एरिया से सम्बन्धित चीज है। कल रात से जो बहस हुई उसमें तथा अब तक जो बहस हुई उसमें विभिन्न इलाकों से आये हुए माननीय सदस्य महानुभावों ने अपने विचार इसके ऊपर प्रकट किये हैं। वास्तव में जो अभी अभी अमेंडमेंट माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर की तरफ़ से पेश किया गया है जिसके अन्दर एक चीज़ को परा स्थापित किया गया है या बतलाया गया है, कि रेवेन्यू रेन्ट प्लस मालिकाना का २५ या ३० गुना- –क्योंकि वह साइक्लोस्टाइल होकर आज आया नहीं है इसलिए पूरे शब्द मुझे याद नहीं है—उसका तीस गुना मुआवजा बांध दिया जाय तो उचित होगा। मैं उनके इस प्रस्ताव का या मोशन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में उस इलाके में जिसको गंग केनाल का इलाका बोलते हैं—खास तौर से वहां पर गवर्नमेंट जब किसी को ज़मीन अलॉट करती है तो यह बात हमारे सामने आ चुकी है कि कीमत ५००) रु० बीघा तक, वह वहां पर किसान से, जिसको जमीन दी जाती है, लिये जाते हैं। ऐसी सूरत में जिससे गवर्नमेंट वह जमीन ले उसके लिए भी उसको इतना मुआवज़ा तो कम से कम दें तो मुनाफ़ा आज तक कमाया है वह कुल मिलाकर जितनी कीमत वह भरता आया है उसमें कम तो नहीं पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर जमीन का हिसाब लगाकर देखा जाय तो मेरे

(श्री मोहरसिंह)

कहने का मतलब यह कि नेट इन्कम पर ही मुआवज़ा लगाया जाना चाहिए। आज हम १० वर्ष या १५ वर्ष का औसत लगाकर गंग केनाल एरिया की आमदनी का हिसाब अगर लगावें तो मैं समझता हूँ कि ५ मन बीघे गेहूँ का हिसाब रखकर उसका हिसाब लगाते हैं। ५ मन एक बीघे के अन्दर गेहूं लेते हैं साल में तो उससे २५ गुना, क्योंकि मुरब्बा होता है २५ बीघे का १२५ मन गेहूं हुआ, जो बीमारी नाज में लग जाती है उन सब का हिसाब लगाकर, आबपाशी वहां ली जाती तो भी ६० परसेन्ट पानी मिलता है—उस सारे का हिसाब लगकर ५ मन गेहूं की उपज पड़ती है। इस तरह से १० सालका औसत लगाकर देखें तो एक मुरब्बे में २५ बीघे होते हैं तो उसका १२५ मन गेहूं एक साल में एक मुरब्बा ज़मीन में औसत गंगानगर इलाका देता है। सीलिंग मुकर्रर करने में १२)रु० मन गेहूं की कीमत लिखी है और १२५ में १२ का जरीब दें तो १५००)रु० ग्रास इन्कम होती है। उसकी नेट इन्कम अगर लगाई जाय तो वह आकर ७५०) या ७००)रु० पड़ती है, क्योंकि आधा रुपया तो ज़मीन में काश्त करने में खर्च हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ७५०) की नेट इन्कम एक मुरब्बे की सालाना पड़ती है। जागीर एबोलिशन बिल के अन्दर हमने मुआवजे का हिसाब लगाया था तो नेट इन्कम का १० गुना लगाया था। आज कोई वजह नहीं है कि हम उस सिद्धान्त के विरुद्ध जायं। अगर ७५०)रु० का दस गुना करें तो ७५००) का मुआवज़ा एक मुरब्बे का होता है तो एक बीघे पर ३००) रु० का मुआवजा अगर उनकी ज़मीन लेते समय वहां पर देते हैं तो कौन सा अन्याय करते हैं? जब अलॉट करते समय गवर्नमेंट ५००)रु० काश्तकार से मांगती है एक बीघे का तो क्या जिससे ज़मीन ली जाय, उसको गवर्नमेंट ३००)रु० देने से इन्कार करे यह कौन से सिद्धान्त की बात है?

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं तो पुरज़ोर इस चीज को सामने रखना चाहूंगा। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस पर पूरा गौर करें, पुनरावलोकन करें और गौर करें कि वास्तव में जो रेवेन्यू रेन्ट लगाना चाहते हैं वह कहां तक वाज़िब है, जायज और रीज़नेबल है। यदि आप हिसाब लगावें मालिकाना लगावें तो भी ४॥ रु० बीघा से ज़्यादा नहीं होगा, आठ आना और समझ लें तो ३० रु० बीघा ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है। इतना ही आप एक बीघा ज़मीन का देना चाहते हैं उस किसान को जिसने ज़मीन की कीमत भरी है, बैटरमेन्ट लेवी दी है उसको ३० या ३५ रु० बीघा देना चाहते हैं। यदि आप उनकी नेट इन्कम देते हैं तो भी कम से कम ३०० रुपया बीघा मिल जायगा जबकि गवर्नमेंट खुद ५०० रूपये लेकर ज़मीन अलॉट करेगी तो उसको कौन सा नुकसान पड़ेगा। वास्तव में नेट इन्कम को मानकर मुआवजे की समस्या को हल किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हुआ निवेदन करूंगा कि नेट इन्कम को कम्पेन्सेशन देने का आधार माना जाय।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़): ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि अपने यहां पहले देहात में कोई दुकानदार चीज खरीदता था तो उसके खरीदने का मन जो होता था वह ४१ सेर का होता था और कोई चीज बेचता था तो बेचने का मन ३६ सेर का

(श्री रघुवीरसिंह)

होता था उसी तरह से हमारी राजस्थान गवर्नमेन्ट जहां ज़मीन लेने की बात है वहां उसने स्टेन्डर्ड एकड़ का हिसाब रखा है और जहां मुआवज़ा देने का सवाल है वह दिया जायगा रेंट रेट से। जब कि रेन्ट रेट के बारे में इसी हाउस के फ्लोर पर आज से ५ दिन पहले राजस्व मंत्रीजी स्वयं मान चुके हैं कि राजस्थान में रेन्ट रेट बड़ी डाइवरसिफाइड है और अन् जस्टिफाइड है और कई जगह सैटलमेंट काफ़ी अर्से पूर्व हुआ है और उस समय जो रेन्ट कायम हुआ वह सही इन्डेक्स नहीं है। यदि वह सही इन्डेक्स होता तो कोई वज़ह नहीं थी कि उसको सही मानकर सीलिंग कायम नहीं किया जाता। लेकिन वह सही नही है। मैं निवेदन करूं कि अलवर जैसी जगह जहां पर ३ बार रेग्युलरली सैटलमेन्ट हो चुका है लेकिन वहां पर लास्ट सैटलमेन्ट सन् ३६ में हुआ है और उस समय बहुत सी ज़मीन अन्इकोनोमिक होने के कारण बंजर पड़ी थी और उस पर कोई लगान नहीं था— सन् ३६ से लेकर आज तक उस ज़मीन पर भी काश्त हो चुकी है। सन् ३६ में उस ज़मीन पर लगान कायम नहीं हुआ था और आज उस पर काश्त हो रही है और वह ज़मीन यदि सरेन्डर करने जा रहे हैं तो उसका चाहे ३० गुना दीजिये चाहे ५० गुना दीजिये शिफ़र ही आयेगी क्योंकि उस पर रेन्ट है ही नहीं। आम तौर से लोग ऐसी लैंड ही सरेन्डर करेंगे जिस पर रेन्ट नहीं है तो उसका क्या मुआवज़ा देंगे।

सीधा सादा सवाल है कि जब आपने स्टेन्डर्ड एकड़ का युनिट कायम किया तो उस स्टेन्डर्ड एकड़ पर ही मुआवज़ा कायम करें तो क्या बिगड़ता है। यदि आप १ बीघे की कीमत एक हजार रुपया समझते हैं या ५०० रुपये समझते हैं या ३०० रुपये ही रख दीजिये— १२० रुपया आपके हिसाब से सालाना आमदनी कायम है उसको कम मानते हैं तो १५० रुपया कर दीजिये। उसका दुगुना, तिगुना, चार गुना या पांच गुना दीजिये या एक गुना ही दीजिये। लेकिन आप जिस बाट से तोलकर लेते हैं उसी से वापिस दीजिये। मुझे इतना ही निवेदन करना है। बाकी आप दो तरह के बाट कायम करते हैं, एक तरफ़ लेते समय स्टेन्डर्ड एकड़ का हिसाब लगाते हैं और दूसरी तरफ़ हमको देते हैं रेंट रेट के हिसाब से, तो इससे घोर अन्याय होगा और लोगों को कुछ भी मुआवजा नहीं मिलेगा।

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : माननीय अध्यक्ष जो लैंड किसानों से ली जायेगी सीलिंग के बाद उस पर क्या मुआवज़ा दिया जाय, आज फिर उस पर बहस हो रही है। माननीय अध्यक्ष, मुआवज़े पर बहस करते समय दो बड़ी मुद्दे की चीजों को हम भूल जाते हैं। पहली बात यह भूलते हैं कि हम लैंड रिफोर्म्स कर रहे हैं और दूसरी बात यह भूलते है कि जमीन वह ली जायेगी जो सीलिंग से ज्यादा होगी। यदि हम दोनों बातों को भूल जाते हैं तो मुआवज़े के सिद्धान्त की सारी बातों को भूल जाते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इन मुद्दों की बातों को भुला दिया है। यदि कम्पेन्सेशन की बात है तो हम इन दोनों बातों को भूल नहीं सकते। पर भूल जाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि लैंड रिफोर्म्स करने जा रहे हैं और ज़मीन वह लेंगे जो सीलिंग से ज़्यादा होगी। हम पहले मान चुके हैं कि

(श्री चन्दनमल वैद)

सीलिंग के लिये ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन होगी और वह जमीन होगी जो फेमिली का युनिट एरिया होगा और वह एरिया होगा जिससे एक फेमिली सब से ज़्यादा उपज कर सके और उसे सबसे ज़्यादा यूजफुली एक्स-प्लोइट कर सके। जब हम यह मानते हैं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज़्यादा ज़मीन उसके पास रहती है तो वे उसे सक्सेसफुली एक्स-प्लोइट नहीं कर सकेंगे, उस पर उपज नहीं कर सकेंगे। यह मानने के बाद किसी से ज़मीन छीनते हैं, क्योंकि उस ज़मीन पर वह इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करके उपज बढ़ा नहीं सकता तो हमें मानना पड़ेगा कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा ज़मीन किसी के पास रहती है तो या तो वह उसे अनइकोनोमिकली एक्स-प्लोइट करेगा या बंजर रखेगा या दूसरे से कल्टीवेट करायेगा। टिनेन्सी एक्ट में हमने माना है कि यदि एक काश्तकार खातेदारी राइट प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिये लैंड रेवेन्यू का २० गुना देकर वह खातेदारी राइट प्राप्त कर सकता है। जब हम यह मानते हैं कि ३० एकड़ से ज्यादा ज़मीन को एक फेमिली एक्सप्लोइट नहीं कर सकती और टिनेन्सी एक्ट में प्रावधान है कि दूसरे के नीचे काश्त है तो लैंड रेवेन्यू का २० गुना देकर जमीन प्राप्त की जा सकती है....

श्री मोहरसिंह (चूरू) : वह सवाल खातेदारी का है।

श्री चंदनमल वैद : खातेदारी भी मालिकाना हक है। जब हम यह मानते हैं कि एक किसान दूसरे से खातेदारी हक हांसिल करे तो २० गुना देकर कर सकता है। लेकिन अगर सरकार दे तो उसकी पूरी वैल्यू दे, समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या रहस्य है। एक किसान २० गुना देकर ज़मीन हांसिल कर सकता है और सरकार जब यह समझती है कि इससे ज्यादा जमीन वह जोत नहीं सकता, इससे ज्यादा कामयाबी उसको मिल नहीं सकती, यह मान लेते हैं और उसके बाद ज्यादा जमीन लेते हैं तो आप कहते हैं कि उसकी कीमत ज्यादा दी जाय। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास पैसे मुफ्त के आते हैं या ढल ढल कर आते हैं। सरकार के पास जो पैसे आते हैं वे जनता से टैक्स के द्वारा आते हैं तो इसमें बुराई क्या है कि यदि एक किसान २० गुना देता है और यहां संशोधन आता है कि सरकार ३० गुना देगी तो मैं समझता हूँ टिनेन्सी एक्ट से भी ज्यादा राहत देने की यह चीज़ है। मुझे दुःख होता है इस बात को कहते हुए कि जब हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य वहां के गरीब किसान की बात करते हैं, उनको इस बात की हमदर्दी है कि वहां के किसानों की गिरी हुई हालत पर ध्यान देना चाहिये। मौजूदा हालत में वहां पर एक किसान के पास ५० बीघा जमीन रहती है और जैसा कि वे मानते हैं कि एक बीघा जमीन की कीमत वहां पर ८०० से १००० रु० तक है। एक आदमी के पास ५० बीघा ज़मीन रहती है तो एक आदमी के पास ५०,००० रु० की ज़मीन रहती है। जब वे उसको गरीब समझते हैं तो वे अमेरिका की भाषा में बात करते हैं या हिन्दुस्तान की भाषा में, यह समझ में नहीं आया। उनको वकालत करनी चाहिये उन लोगों की, जो छटा बांटा होते हुए भी आधे बांटे पर ज़मीन काश्त करते हैं।

श्री रामचन्द्र (हनुमानगढ़) : क्या माननीय सदस्य ४० हजार के मकान पर जिन्दा रह सकते हैं, अगर कोई आमदनी न हो तो?

(र. म. प.)

श्री चन्दनमल वैद : मेरी, समझ में नहीं आया।

श्री रामचन्द्र : जो ज़मीन मिलने जा रही है, वह ४० हज़ार की है, आपका मकान ४० हजार का है, क्या आप उस पर जिन्दा रह सकते हैं, अगर कोई आमदनी न हो?

श्री चन्दनमल वैद : अगर मेरा मकान किराये पर दिया हुआ हो तो ज़रूर जिन्दा रह सकता हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि वकालत करें, लेकिन वकालत सही रूप से करें, वे उस बात को नहीं भूलें, जो मुआवज़ा हम तय करने जा रहे हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स के अनुसार करने जा रहे हैं और ज़मीन के लिए कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं। हम मानते हैं कि विधान सभा ने तय कर लिया है....

श्रीमती सतवन्तकौर (करणपुर) : सरकार साढ़े बारह हज़ार की ज़मीन क्यों दे रही है, क्यों देती है गंगानगर में?

श्री चन्दनमल वैद : मुझे दुःख है, माननीय सदस्या यह मानकर चलती हैं कि सरकार जनता से अलग चीज़ है, सरकार जनता से जो टैक्स वसूल करती है, वह कोई अलग तहखाने में ले जाकर नहीं रखती, उस टैक्स से गंगानगर में सड़कें, स्कूल और औषधालय बनते हैं। अगर सरकार टैक्स वसूल कर रही है तो यह मानकर चलती हैं कि टैक्स अलग रख दिया जाता है...

श्रीमती सतवन्तकौर : मेरा मतलब यह नहीं है, आप गरीबों की बात कहते हैं, गरीबों को ज़मीन देने की बात कर रहे हैं, उसके लिए कह रही हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप गरीबों के हितैषी हैं।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : गरीबों का कौन हितैषी है और कौन हितैषी नहीं, यह किसान सोच कर रहेंगे। वे जानते हैं कि कितनी जमीन देकर कितनी जमीन ली गई और कितनी दी जा सकेगी और कितनी बांटी जा सकेगी, लेकिन निहितस्वार्थ हर जगह होते हैं और निहितस्वार्थों की वकालत करना हर अपना कर्त्तव्य समझता है। मैं उनके कर्त्तव्य में बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन जो मैं सही सोचता हूँ और सही समझता हूँ वह ज़रूर कहूंगा। इसलिए मैं, माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन पेश किया है, उसकी ताईद करता हूँ और उसका समर्थन करता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि यही सिद्धान्त है जिसके अनुसार आप सीलिंग लागू कर सकते हैं और जिन गरीब काश्तकारों के पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब आप उत्तर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो यह अमेंडमेंट मैंने पेश किया, उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उसके लिए मैं पहले जवाब दूंगा और उसके बाद किन किन कारणों से इस अमेंडमेंट को पेश किया है, वह बतलाऊंगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह सदन को अच्छी तरह से मालूम है कि इस कम्पेन्सेशन के प्रश्न को लेकर सदन में काफी अलग-अलग राय हैं इस मामले में कुछ माननीय सदस्यों को, जो अमुक एरिया से आये हुए हैं, उनको अपनी जमीन के लिए ख्याल है कि इस फार्मूला से जो फॉर्मूला ओरिजिनल रखा गया था टिनेन्सी एक्ट में, उससे ज्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है, यह बिल्कुल टीक है और इसको राजस्थान के अन्दर कम्पेन्सेशन असेस करने के लिए मान लेना चाहिये। सबसे बड़ी बात या सबसे ज्यादा एतराज, श्री माधोपुर से आने वाले सदस्य और फुलेरा से आये हुए सदस्य हैं, उन्होंने बहुत जोर से और बहुत ज्यादा गुस्से से, खास तौर से फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, गवर्नमेंट के लिए, मेरे लिए कि इनडिसाइसिवनैस, गवर्नमेंट किसी बात का फैसला नहीं कर पा रही है, विवरिंग है। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है कि विवरिंग है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि डेमोक्रेसी के अन्दर हमें विचारधारा को बदलना पड़ता है। अगर माननीय सदस्यों की राय जानने के बाद उसको नहीं बदला तो वह उचित नहीं है। माननीय सदस्य, जो फुलेरा से आये हुए हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं तो कहते हैं, You are very obstinate अगर उनकी बात मान ली जाती है तो आप कहते हैं कि विवरिंग है....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): My point was......

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं जानता हूँ, आपके पॉइन्ट को समझता हूं। जो भाषा आप बोल रहे थे, उसको मैं समझता हूं। अब मैं जो बात कह रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिये। जब आपने अपनी बात कही, उसको मैंने सुना, मैंने नहीं टोका। श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उनके सामने तो कोई भी फॉर्मूला पेश करें, वे तो एक लकड़ी है जो हिट करने के सिवाय कोई कन्स्ट्रक्टिव फार्मूला पेश कर नहीं सकते। वे वकालत करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, जिन्हें कहते हैं किसान, किसान के नाम के ऊपर गंगानगर के किसान की पैरवी करते हैं, कभी किसी की करते हैं। मैं आपको अर्ज करूंगा कि दरअसल किसकी पैरवी करते हैं, वह सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं, क्या चाहते हैं, किसकी पैरवी करते हैं। चाहे रैन्ट रेट के अनुसार दी जाय, चाहे लैंड एक्वीजीशन एक्ट के अनुसार दी जाय, फिर भी पैरवी करेंगे किसान की। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन से किसान हैं, जिनके पास हजारों बीघा जमीन है उन गरीब किसानों की आप पैरवी कर रहे हैं, या उनकी कर रहे हैं जो दरअसल किसान नहीं हैं और जमीन का फायदा उठाते हैं और जरूरत से बहुत ज्यादा जमीन है उनके पास में। मैं समझता हूँ कि जहां तक गरीब किसान की पैरवी का सवाल है, मैं सदन के ऊपर छोड़ूंगा कि उनकी क्या मन्शा है, और वे किस मन्शा से बात किया करते हैं। आज इस सम्बन्ध में नहीं, किसी बात में लीजिये, किसानों की, मजदूरों की पैरवी करनी होगी, उसकी पैरवी करेंगे, लेकिन उनकी जो भावना है, उसको समझने की जरूरत है, वे किसको मदद पहुंचाना चाहते हैं।

मैंने कल जब संशोधन वापिस लिया,

Page No.65

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बहुत स्पष्ट विचार रखे थे सदन में। मैंने सरदार शहर से आये हुए माननीय सदस्य का भाषण सुना, बीकानेर से जो सदस्य आये हुये हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई। अभी जो हनुमान गढ़ से आये हुये माननीय सदस्य हैं, उनका भाषण भी सुना कि उनका इस फार्मूले के सम्बन्ध में ऐतराज क्यों है और लैंड रेवेन्यू के हिसाब से कितना कम मुआवजा मिलेगा--उन्होंने एक एक बात एनलिसिस करके बताई। यह बताने की कोशिश की है कि कम मुआवजा मिलेगा। एक बात सदन में कही थी, गंगानगर के लिये जो रखा है, वह डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन कहा जाता है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि गंगानगर में यह फॉर्मूला रखने का कारण है, वह यह है कि उन लोगों ने जमीन खरीदी और जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने लैंड भी दी है और उसका गवर्नमेंट प्रीमियम चार्ज कर रही है, बेटरमेंट लेवी चार्ज कर रही है, और उसे जस्टीफाई करने के लिए एक बात बतलाई कि इसलिए वहां अलग मुआवजा रखना, सेपरेट तरीका रखना जरूरी है, जब कि राजस्थान में दूसरी जगह ऐसी बात नहीं थी। इसके बाद सरदार शहर से आये हुए माननीय सदस्य ने बतलाया कि गंगानगर में जमीन खरीदी नहीं है, बल्कि बहुत से मौरूसी काश्तकार हैं, उनको अधिकार से जमीन प्राप्त हो गई है। मैंने तुरन्त रेवेन्यू सेक्रेटरी जो गंगानगर में कलेक्टर भी रह कर आये हैं, उनसे जानकारी की। अब मैं अर्ज करूंगा कि यह सही नहीं कि गंगानगर में लोगों ने जमीन खरीदी है और हजारों में खरीदी है। मेरी सूचना गलत थी, उसका कारण मैंने बताया। अब मैं उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अब मैं दूसरी सूचना दूंगा, मैं इन्फोर्मेशन दे सकता हूँ गंगानगर में दो प्रोजेक्ट एरिया हैं—गंग केनाल एरिया और भाखरा प्रोजेक्ट एरिया। जहां तक भाखरा प्रोजेक्ट एरिया का प्रश्न है, इसमें शक नहीं है कि गवर्नमेंट प्रीमियम चार्ज कर रही है, लैंडलैस से इन्स्टॉलमेंट के जरिये। इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट लैंड अलॉट कर रही है, वह सीलिंग के एरिया से ज्यादा नहीं है। जो कीमत लेकर भाखरा प्रोजेक्ट एरिया में जमीन दे रही है, उसमें से वापिस जमीन लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए उसका प्रश्न नहीं है। जो लोग पहले से राजस्थान में काश्त करते चले आ रहे हैं, उनके लिए मैं निवेदन करूं कि वहां पर पब्लिक के इन्वेस्टमेंट से उस इलाके का डवेलपमेंट हुआ है। अब वे चाहते हैं कि जमीन की कीमत बढ़े, इसलिए बढ़े कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, काश्तकारों का इन्वेस्टमेंट नहीं है उस जमीन के लिए, जिस पर वे टेम्प्रेरी कल्टीवेशन करते चले आ रहे हैं, उनका मौरूसी हक है, डेजर्ट एरिया में उनका हक पैदा हो गया। मैं निवेदन करूं कि अगर वहां पर नहर नहीं होती तो क्या होता, यह देखने की जरूरत है, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रीमियम पे नहीं किया। अब रहा सवाल गंग केनाल एरिया में लिमिटेशन का, जिन्होंने खरीद करके जमीन ली है उनके स्टेटस को मैंने स्टडी किया है। हमने जो जमीदारी बिल पास किया है, उसके अनुसार जो उस जमीन के मालिक हैं, जिन्होंने गंग केनाल एरिया में जमीन की कीमत देकर जमीन खरीदी है, उनको जमींदार रिकगनाइज किया है। तो वे जमींदारी एबोलिशन एक्ट में रिज्यूम होंगी और उनको मुआवजा अलग मिलेगा। इसलिए ज.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रीमियम देने की और जमीन लेने की बात बार बार कही जाती है, वह ऐसी बात है जिसमें यह देखना है कि किस तरह जमीन ली और किस तरह का स्टेटस है। मैं बहुत थेंकफुल हूँ सरदारशहर से आये हुए माननीय सदस्य का, उन्होंने मुझे सही बात बताई, जो शायद उस वक्त मेरी जानकारी में नहीं थी....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप इनको डिप्टी मिनिस्टर बना लें, तो वे सही जानकारी देंगे। तो फिर इनको डिप्टी मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते ?

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : आप फिक्र न करें, वे बनें या मैं बना तो बराबर ही है, पर आप नहीं आयेंगे।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : इनको नहीं बनाया यही तो फिक्र है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इस बात से निश्चिन्त रहिये—६२ और ७२ तक भी आप यहां नहीं पहुंचेंगे।

गंग केनाल एरिया और भाखरा केनाल एरिया में पैसे देकर जमीनें खरीदने का प्रश्न है। गंग केनाल एरिया में हम जमीनें अलॉट कर रहे हैं तो सीलिंग एरिया से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट रुपया इसलिये ले रही है कि करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट द्वारा खर्च करने के कारण उन जमीनों की उपयोगिता बढ़ी है इसलिये गवर्नमेंट प्रीमियम चार्ज कर रही है। पर काश्तकारों को क्या हक है जो यह कहें कि पैसा गवर्नमेंट का खर्च हुआ है और हमें उसका एवजाना दो। मैंने इस बात की जानकारी की कि अलॉटमेंट हुआ है वह सीलिंग एरिया से ज्यादा हुआ है क्या, यदि अलॉटमेंट सीलिंग एरिया से ज्यादा हुआ है और उस सूरत में सरेन्डर करते हैं तो उस सूरत में वह वाजिब हो सकता है। तो जहां गंगानगर एरिया की बात है, मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि खरीदने वाले जो हैं वे तो मालिक हैं, जमीनदार हैं, जिनको जमींदारी एबोलिशन एक्ट में कवर कर लिया है।

हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एनेलिसिस किया रेन्ट रेट को मल्टीपल करके और ५, ७ रुपया पर हिसाब बैठाया। मैं निवेदन करूंगा कि इस अमेन्डमेंट को देखेंगे तो इसमें लास्ट प्रोविजन है :

"Provided that where rent in respect of any such land has not been settled, the sanctioned rent rate therefore shall be taken to be the rent rate sanctioned during the last settlement for similar land in the neighbourhood."

कहीं सैटलमेंट नहीं हुआ है तो पड़ौस के रेन्ट रेट के हिसाब से लगेगा। भाखरा और गंग कैनाल एरिया का सैटलमेंट नहीं हुआ है तो उनका मतलब बारानी जमीन का लगान है, नहरी जमीन का लगान मुकर्रर नहीं होगा। एडहॉक लगान गवर्नमेंट ने एन्हैंस करके ४ रुपया की बीघा मुकर्रर कर दिया तो इस हिसाब से कम्पेन्सेशन असेस करें तो नहरी जमीन के लगान के हिसाब से होगा। जो ४ रुपया एन्हैन्समेंट का चार्ज

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किया जाता है वह तो कहीं नहीं जाता, ४ रुपया ७ आना का होता है। ऐसी सूरत में पौने दो मुरब्बा सरेन्डर करने वालों को ४ रु० ७ आना के हिसाब से थर्टी टाइम्स कितना होगा, नीयर अबाउट १२५ रुपया की बीघा का मिलेगा....It is for one bigha, and now you can mulitply it by 25- इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : ३३७५ रुपया होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो जो ५, ७ रुपया बीघा पर हिसाब ले गये थे, उसकी पोजीशन मैंने अर्ज कर दी है। पांच आना, छः आना बीघा का लगान देने का उनको कोई हक नहीं है। नहर आई है तो नहरी लगान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से वहां की जमीन की सरह बदली है, तो यह कह देना कि पांच, सात रुपया बीघा होता है, कोई माने नहीं रखता। That is not a fact.

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने स्लाइडिंग स्केल को माना, और कई माननीय सदस्यों ने माना पर मेरे आर्ग्यूमेंट को लेकर कहा कि मैंने स्टेन्डर्ड एकड़ को तय करने के बारे में यह आर्ग्यूमेंट दिया था कि रेन्ट रेट को स्टेन्डर्ड एकड़ के लिए बेस नहीं माना जा सकता तो कम्पेन्सेशन के लिए रेन्ट रेट को कैसे बेस माना जा रहा है। इसको कम्पेन्सेशन के लिए आधार नहीं माना जा सकता। मुझे क्वोट किया माननीय सदस्यों ने, किसी ने कहा मैंने यह कहा कि रेन्ट रेट अनजस्ट हैं। मुझे जहां तक याद है, जो मैंने कहा है, मैं अब भी कहने को तैयार हूँ। मैंने कहा राजस्थान में रेन्ट रेट्स बहुत डाईवर्स हैं। बारानी का जहां जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि में चार, पांच, छः, सात रुपया बीघा है तो वह बाड़मेर में जाकर एक आना ६ पैसा की बीघा मिलेगा। चाही जमीन का भी जयपुर से लेकर बून्दी से कम्पेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेन्स मिलेगा--वहां पांच सात रुपया है तो यहां ४० रुपया तक है। यह मैंने कहा था कि स्टेन्डर्ड एकड़ को वर्क आउट करने के लिए रेन्ट रेट को इसलिये बेस नहीं माना जा सकता है।

कम्पेन्सेशन की वर्क आउट करने के लिये हमें कई फॉर्मूलाज़ बताये। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि नैट इन्कम का फार्मूला अच्छा है, उसको अडोप्ट करना चाहिये। उसके लिए बताया कि टोटल ग्रोस प्रोड्यूस है उसका २५ गुना वर्क आउट करें। तो एक तरफ तो स्टेन्डर्ड एकड़ का फार्मूला वर्क आउट करना है और फिर नेट इन्कम को वर्क आउट करने के लिये अलग स्टाफ लगायें और सारे राजस्थान के फिगर्स केल्कुलेट करें इससे तो हम एक बड़ी उलझन पैदा करेंगे। एक्वीजिशन आफ खातेदारी राइट्स के लिये हमने रेंट रेट के मल्टीपल को अलाउ किया है, उसको ठीक माना है पर वह मल्टीपल कम इसलिये है कि मेहनत, पसीना किसान का है, इसलिये उससे कम्पेन्सेशन कम दिलाना वाजिब है पर बेसिस हमने रेन्ट रेट का मल्टीपल माना है। दूसरा कम्पेन्सेशन का फॉर्मूला आता है सीलिंग का। अगर लैंड ओनर से लैंड लें और यह दलील दी जाय कि डाइवर्स रेन्ट्स हैं, फोर ऑल टाइम्स टू कम हमें मिकदार मुकर्रर करनी है, ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर करना है, इसमें क्या

(श्री दामोदरलाल व्यास)

फॉर्मूला हो ? इसमें रेन्ट रेट का फॉर्मूला टीक नहीं बैठ सकता। पर इसी टिनेन्सी एक्ट में हमने फॉर्मूला मंजूर कर रखा है कि रेन्ट रेट का फॉर्मूला कम्पेन्सेशन देने में टीक है।

हमें दूसरी स्टेट्स में भी देखना पड़ेगा। बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि देहली का फॉर्मूला मान लेना चाहिये। तो मैं निवेदन करूंगा कि देहली का भी रेन्ट मल्टीपल पर ही है। मैं रिलेवेन्ट क्लॉज अर्ज करता हूं, क्लॉज १० :

"Where any excess land of a Bhoomidar vests in the Government, there shall be paid by the Government to the Bhoomidar compensation, the amount of which shall be equal to:—(i) 40 times the land revenue in respect of first 25 acres.

(ii) 35 times the land revenue in respect of the next 25 acres.

(iii) 30 times the land revenue in respect of the next 25 acres.

(iv) 25 times the land revenue in respect of the next 50 acres.

(v) 20 times the land revenue in respect of the remaining land."

यह देहली का है जिसके लिये माननीय सदस्य ने कहा था। जो मल्टीपल कम करने के बारे में कहा जाता है तो मैं यह कहूँगा कि दिल्ली के और हमारे यहां के लैण्ड रेट हैं उसमें बहुत काफी फ़र्क है। अगर आप कम्पेयर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि काफी फर्क है। इसलिये मल्टीपल कम करना ज़रूरी है। यह नहीं कि हमने उसको नहीं देखा है।

स्लाइडिंग स्केल्स हैं वह दूसरी स्टेटों में भी हैं जिन्होंने लैन्ड रेवेन्यू को बेसिस मान कर मल्टीपल एलाउ किया है।

Assam:—In the case of fallow land an amount equal to 25 times the full rate of the annual land revenue.

Hyderabad:—The compensation shall not exceed for dry land 20 times the rent.

Bihar:—In respect of land, other than Banjar lands, for the first 25 standard acres: 12 times fair rent.

Himachal Pradesh:—Where land was not under cultivation during all of the previous six years, 4 times the annual land revenue. etc. etc.

(२. २१. म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन) आप दिल्ली को ही क्या आप यू० पी० को लीजिये--उसने भी यही माना है। एक-आध स्टेट को छोड़ दीजिये जिन्होंने अपने बिल में कुछ रखा है। जैसे आन्ध्र प्रदेश के लिये माननीय सदस्य कहते हैं और बार बार जोर देते हैं—It is only a Bill with the joint Select Committee of Andhra legislature. उसके लिये मैं यह कहूँगा कि अभी बिल है उसका अन्तिम रूप क्या होगा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह देखना है। एक-आध स्टेट ने नैट को मान लिया है। ज्यादातर स्टेटों ने लैन्ड रेवेन्यू की रेट है उसको ही बेसिस मान कर सब जगह इसी प्रकार किया है। दिल्ली में खास तौर पर जिस बिल को हमारे भारत सरकार के गृह मन्त्री ने पेश किया और मैं समझता हूँ कि वह प्लानिंग कमीशन द्वारा तैयार किया हुआ है उसमें भी उन्होंने लैन्ड रेवेन्यू के आधार पर ही मल्टीपल तय किया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आप दिल्ली की लैन्ड रेवेन्यू क्या है वह भी बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : दिल्ली की लैन्ड रेवेन्यू के फिगर्स तो मेरे पास नहीं हैं। अगर आपकी जानकारी में ज्यादा हो तो आप बता दें। मेरी जानकारी में तो कम है।

इसलिए जो फॉर्मूला मैंने पेश किया हैं वह ठीक है। जैसी जमीन होगी उसी प्रकार कम्पेन्सेशन मिलेगा। नहरी जमीन होगी तो उसको नहरी रेट का मल्टीपल मिलेगा और बारानी होगी तो उस हिसाब से कम्पेन्सेशन मिलेगा। इसलिए ओरिजिनल बिल में जो फॉर्मूला है उसको हमने बेसिस माना है, उसके बेसिस पर ठीक रहेगा। कल मैंने अपना अमेंडमेन्ट विड्रा करते वक्त आपको बताया था कि जब हम कोई लॉ बनाते हैं तो कोई डिस्क्रिमीनेटरी लॉ नहीं बनाना चाहिये और उसमें अगर डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बन जाता है तो वह कोर्ट में चैलेंज हो सकता और वह पर्टिक्युलर क्लॉज पर नहीं था। इसलिए ऐसी सूरत में सारा बिल ही डिस्क्रिमिनेशन की वजह से खत्म हो जाता ऐसी सूरत में मैंने उसको विड्रॉ कर लिया।

अब जैसा कि मैंने फॉर्मूला पेश किया है यह अमेंडमेंट के रूप में, पास किया जावे।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पाली से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि इम्प्रूवमेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। मैं यह कहूँगा कि आप शुरू के सेक्शन्स २३, २४, २५ और २६ को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमने इनको भी एप्लाई किया है। हमने चैन्ज सिर्फ इतना ही किया है कि मल्टीपल ज्यादा किया है। अगर ऑलरेडी टिनेन्सी एक्ट में जो मल्टीपल था वह रहता तो वाजिब था मगर सर्कमस्टान्सेज को देखते हुए और खास तौर से उन लोगों की सहूलियत के लिए जिसके बारे में श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, उनको देखते हुए अगर मल्टीपल बढ़ा दिया जावे और कम्पेन्सेशन ज्यादा कर दिया जावे तो सरकार को कोई एतराज नहीं होगा। और माननीय सदस्यों ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं उनका मैंने जवाब दे दिया है और मैं उनको मंजूर नहीं करता। इसके बाद मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने अमेन्डमेन्ट वापिस ले लेंगे और इसको पास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० जी के अन्दर श्री दामोदरलाल व्यास ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

एक माननीय सदस्य : अभी तो जो वापिस लेना चाहते हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : Alright, Let us take the withdrawals first.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendment.

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डा० बहादुरसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डा० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : मैं अपने संशोधन को वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री अनोपसिंह ने जो संशोधन रखा है, उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : मैं अपने संशोधन को वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन राजा मानसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदर लाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि सेक्शन ३० जी संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

सेक्शन ३० जी संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ एज़ एमेन्डेड स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

क्लॉज १ प्रिएम्बल आदि।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री दामोदरलाल व्यास ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't want to move this amendement, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज १, शोर्ट टाइटल, प्रीएम्बल आदि स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १ प्रिएम्बिल आदि स्वीकार किये गय ।

श्री उपाध्यक्ष : You have to move the motion now, Hon'ble Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) उपाध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ को संशोधित रूप से पारित किया जावे ।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ आज थर्ड रीडिंग के लिये हमारे सामने आया है । मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह बिल बड़े महत्व और बड़े विवाद के साथ थर्ड रीडिंग में आया है--उसके लिए सबसे पहले मैं, माननीय राजस्व मंत्री का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने वाकई में बहुत बड़ी हिम्मत के साथ काम किया है और इतने विरोध के साथ इतना बड़ा क्रान्तिकारी बिल उन लोगों के लिये जो भूमिहीन हैं—उनको भूमि देने के लिये लाये हैं और उन लोगों के लिये यह उनकी एक बहुत बड़ी देन होगी। जो चार लाख लोग आज वर्षों से इस बात की प्रतीक्षा में थे कि जिन लोगों ने अधिक भूमि दबा ली उनसे किसप्रकार से भूमि निकल कर उनके पास आए । जिससे कि वह एक अच्छा स्वाभिमानी नागरिक होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके- आज यह बिल उन लोगों के लिए एक देन है । मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि वे चाहेंगे जब उनके द्वारा यह लागू होगा । वे इस धारा को शीघ्राति-शीघ्र लागू कर दें, खास तौर पर उस क्षेत्र में जो गंगानगर एरिया कहलाता है ,जो कि ज्यादा उपजाऊ है । शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की व्यवस्था करेंगे इसका मुख्य कारण यह है कि वहां के लोग अति उत्सुक हैं कि वहां की ज़मीन वह अति उपजाऊ है और हम भी यही चाहते हैं कि जो उपजाऊ जमीन है वह बेकार पड़ी न रहे । जो अपने श्रम से काम करना चाहते हैं, जो अपने श्रम से अधिक से अधिक अन्न पैदा करना चाहते हैं और राज्य सरकार की भी यही मन्शा है कि जो एक किसान को ३० स्टेन्डर्ड एकड़ ज़मीन दी है उसमें अधिक से अधिक अन्न पैदा करने के लिए भूमि-हीनों को प्रोत्साहित करें और चूंकि यह एक योजना हमारे सामने है और सबसे पहले उपजाऊ क्षेत्र में ही लोग अन्न पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए आप इसको शीघ्राति-शीघ्र लागू करें । दूसरा जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां सिंचाई की व्यवस्था लागू करके इसको लागू करें । राजस्व मंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बिल के द्वारा चार लाख भूमिहीनों को रोजी देने की व्यवस्था की है ।

इस बिल में जो मुझे सबसे अधिक खटकने वाली बात लगती है वह यह है कि जिन लोगों ने ज़मीन बेच दी है उन पर

(डॉ० बहादुरसिंह)

भी इसके द्वारा मोहर लगा दी गई है। सबसे अधिक उपयुक्त बात तो यह होती कि ४ दिसम्बर १९५३ को जिस दिन सीलिंग कमेटी की भी मीटिंग हुई थी उस दिन या उसके बाद ट्रान्सफर की हुई ज़मीनों को वे गैर कानूनी करार देते, वे ज़मीनें गैर कानूनी करार दी जाती तो उत्तम होता। और जो भूमिहीन थे उनको अच्छी तरह से आबाद कर सकते थे। खैर। जो भी आपने व्यवस्था की है—जिनको भी भूमि जावेगी उनको भी काफी संतोष आपने दे दिया है और मैं समझता हूँ, ज्यादा जो बड़े काश्तकार थे उनको भी आपने बड़ी राहत दे दी है। जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने इसमें अच्छी व्यवस्था करके काफी बड़ा संतोष दे दिया है क्योंकि जहां आप पहले २० गुना ही मुआवज़ा देने के लिए तैयार थे वहां आपने ३० गुना मुआवज़ा कर दिया है। यह भी एक बहुत बड़ी राहत दे दी है। इन शब्दों के साथ पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इस तृतीयवाचन को स्वीकार करके माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करें कि इसको शीघ्रातिशीघ्र लागू करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े लम्बे अर्से के बाद में आज राजस्थान में जैसा कि अभी एक सम्माननीय सदस्य ने कहा, एक बड़ा भारी क्रान्तिकारी विधेयक तृतीय वाचन के लिए विचारार्थ है और उन्होंने राजस्व मंत्री का इसके लिए बहुत स्वागत किया और इस बात की भी घोषणा की कि जो लम्बे अर्से से जमीन के लिए राह देख रहे थे, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन हैं, अब इस विधेयक के जरिये उन लोगों को जमीन मिल जावेगी और बड़ा भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन, एक सामाजिक परिवर्तन हमारे राज्य में होगा। मैं जहां तक समझता हूँ कि एक लम्बे अर्से के बाद में, सन् ५३ से हमने जिस अध्याय को खोल रखा था--आज करीब ६ साल के बाद में वह अध्याय समाप्त होने आ रहा है। छः साल तक न जाने हमने इस कार्य में कितना खर्च किया, कहां कहां किन किन लोगों को भेजा, इस पर कितनी दफा विचार किया--मैं समझता हूँ, अगर उसका हिसाब लगाया जाय तो इस क्रान्तिकारी विधेयक को पास करने के लिए हमने करोड़ों रुपया खर्च किया होगा।

(करोड़ों रुपया हंसी)

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : हिसाब का काम तो आप बनियों पर ही छोड़ दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जब बनियों पर छोड़ा जाता है तो वे तो अपने ढंग से ही हिसाब बताते हैं। जिस ढंग से इन्कम टैक्स में हिसाब बताते हैं उसी ढंग से हिसाब यहां भी जोड़ कर बतावेंगे। सही हिसाब बतावे कि करोड़ रुपया खर्च हुआ है या नहीं। सीलिंग कमेटी बैठी, काफी दौरा किया, किस किस प्रकार खर्चा किया और किस भूमि सुधार के लिए हमने लोगों को समझाया लोगों को समझाने के लिए कि क्या २ हम भूमि सुधार कर रहे हैं—चाहे जागीरदारी रिज़म्पशन हो। चाहे जमीदारी उन्मूलन हो, सारी बातें सुधार में आ जाती हैं और उस भूमि सुधार के

(श्री मुरलीधर व्यास)

लिये हिसाब लगाया जाय तो हमने कितना खर्चा किया है। प्रचार का भी कितना खर्चा किया है। असेम्बली का सैशन होता है, ७ लाख का हमारा बजट होता है, इसकी कब से मीटिंग्स हुई और आज इस नतीजे पर आखिरकार पहुँचे तो उस सारे खर्चे का हिसाब लगायें तो करोड़ों पर हिसाब पहुँचेगा। मैं कोई यह नहीं कहता लेकिन मैं कहता हूँ कि १ करोड़ और ५ करोड़ भी क्या, यदि सौ रुपये एकड़ के हिसाब से लेते तो पांच लाख रुपया में खरीद सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर यह सारा खर्चा किया गया था और जिस उद्देश्य को लेकर हमने भूमि के मामले में सबसे बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की बात कही थी और इसको आप प्रारम्भ से ही देखिये, मैं नहीं कहता कि ४९ में राजस्थान बना तब से, इससे भी पहले देखिये कि हिन्दुस्तान की आजादी के पहले किसानों का संगठन बनाया, कइयों ने इसके लिए कुर्बानियां दीं, न जाने कितने लोग इसके लिए कुर्बान हो गये और यदि उन सब बातों का हिसाब लगावेंगे तो उनके पीछे क्या लक्ष्य था? लक्ष्य केवल यही था कि उन भूमिहीनों को, जिनके पास वाकई जमीन नहीं है, उनको जमीन का मालिक बनावेंगे और सामाजिक न्यायदिलाने के लिए जो सबसे पहली बात कही गई थी वह यह थी कि जमीन उसकी होगी जो जमीन को जोतता है, वे उस जमीन के मालिक होंगे, जमीन उसकी होगी। हमने यह नारा दिया था और बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया था। उस नारे के पीछे हिन्दुस्तान की आजादी थी और उसी नारे के पीछे लाखों लोगों को कुर्बान बनाया और जब हम उसकी गहराई में जाते हैं और सोचते हैं कि हम कहां तक कामयाब हुए, हिसाब लगानेकी गहराई में जावें तो आप देखेंगे कि लाखों लोगों ने इसके लिए बलिदान किया और हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बिलकुल नाकामयाब रहे हैं। भूमि सुधार का हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य जो था वह यह था कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे, समाजवादी राज्य हम देश में कायम करेंगे और उन लोगों को सामाजिक न्याय देंगे जो कि दबे हुए हैं। जब हम सामाजिक न्याय देने की दृष्टि से इस विधेयक को तोलते हैं, भूमि सुधारों की दृष्टि से इस विधेयक को तोलते हैं–यह विधेयक सब दृष्टिकोणों से गिरा हुआ है। जो बातें आज तक हमने लोगों को कही उन बातों में हम आज तक कामयाब नहीं हुए और परिवर्तन किया है यह सोच कर कि राजाओं का राज्य जाये, जागीरदारी जाये और उसके साथ साथ जमींदारी जाये और आखिरकार उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचे। जो कुछ परिवर्तन हुआ और जो परिवर्तन की अन्तिम मंजिल थी हम उस पर नहीं पहुंच पाये। मेरे दिमाग में जो बात है और जहां तक मैं समझ पाया हूँ, कि इस मामले में परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी सामाजिक परिवर्तन में जब तक इस प्रकार के लोग हैं, चाहे कहीं पर हों, जिनका उस सामाजिक क्रान्ति से अपना स्वार्थ टकराता हो, उसी पर जहां सोचने वाले लोग होते हैं तो वहां सामाजिक क्रान्ति नहीं होती और भूमि के मामले में अन्तिम मंज़िल तक नहीं पहुंचने का सबसे

(श्री मुरलीधर व्यास)

बड़ा कारण मै यह समझता हूँ कि मध्यम वर्ग, जिसका दृष्टिकोण ऊपरी वर्ग से रहता है और ऊपर का वर्ग और मध्यम वर्ग का जहां विचार रखा है और नीचे के वर्ग का ध्यान नहीं रखा वहां कोई सामाजिक क्रान्तिकारी कदम नहीं उठा सकते। मार्क्स और लेनिन को ही ले लीजिये। उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण से सोचने का तरीका था और महात्मा गांधी भी यही बात कहा करते थे कि कभी भी सामाजिक क्रान्ति के आधार में मध्यम वर्ग बाधक होता है और इस मामले में भी यही बाधक हुआ है। सामाजिक क्रान्ति की सारे दल की विचार-धारा कुछ भी हो, भूमि सुधार के मामले में मिडिल क्लास की वजह से, मिडिल क्लास के स्वार्थ उससे सम्बन्धित होने की वजह से नई क्रान्ति के दरवाजे बिल्कुल बन्द हो गये हैं। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा-सदन के अन्दर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जन-संघ हो या कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों—वे सारे इस भूमि के सुधार के मामले में, जिनका संबंध मध्यम वर्ग के लोगों के साथ रहा है, वे इस भूमि सुधार के मामले में क्रान्तिकारी कार्य नहीं कर सकते। उनके दृष्टिकोण चाहे भिन्न भिन्न हो किन्तु जो सामाजिक परिवर्तन का आधार है, उसमें जो बाधायें पहुंचाई जाती हैं वह मिडिल क्लास के जरिये से होती है। भूमि की सीमा के सम्बन्ध में बोलते हुए कम्युनिस्ट सदस्य ने कहा था कि हमारे यहां ८ हजार तक सीमा रहे यह भी बहुत कम है। किसानों के लिए जो इतनी बड़ी सीमा रखना चाहते हैं उसके साथ साथ जो दूसरे लोग किसानों की बातें करते हैं और जब भूमि की सीमा का सवाल आता है तो वे यह चाहते हैं कि भूमि की सीमा अधिक से अधिक रखी जाय। दूसरी तरफ दूसरा वर्ग जिसकी संख्या ८० प्रतिशत है उनकी पूरी उपेक्षा कर दी जाय, क्या यही सामाजिक न्याय है ? समानता का न्याय है ? यह किसी भी तरह से सामाजिक न्याय नहीं कहा जा सकता! सामाजिक न्याय तो वही हो सकता है जिसमें ८० प्रतिशत लोगों को लाभ मिले। राजस्थान में जो भूमि सुधार हम करने जा रहे हैं उसका आधार यही होता तो हम उसका स्वागत करते। आपने यह करके हमारी भावी क्रान्ति को दबा दिया है ...

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : इससे भूमि की क्रान्ति बन्द कैसे हो गई।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके आंकड़े दिये हुए हैं उनको आप देखिये। ऐसे लोगों की संख्या भी आपने बतायी है जिनके पास एक एकड़, दो एकड़ और दस एकड़ तक भूमि है।

श्री मोतीलाल : जब सामाजिक भूख नहीं रहेगी तो क्रान्ति क्यों होगी—वह मिट जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकारी आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भूमिहीनों की संख्या आपने ३॥ लाख बताई है उसके साथ एक एकड़ वालों की संख्या ४.३२, एक से ढ़ाई एकड़ वालों की संख्या ४.२२, २॥ से ५ एकड़ वालों की ४.४७, ५ से ७॥-२.७३ लाख और ७॥ से १० से २.६ लाख इस तरह से कुल टोटल १७.८४ है। उसमें से १० एकड़ से जिनके पास कम जमीन है--वैसे साढ़े तीन लाख परिवार हैं जिनके पास एक एकड़ भी भूमि नहीं है–इस तरह से ८०

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रतिशत लोगों की यह हालत है । आपने उनके लिये इस भूमि सुधार कानून में कौन सा क्रान्तिकारी कदम उठाया है जिनको जमीन निकालकर थोड़ी बहुत जमीन दी जा सके उनको कुछ न कुछ लाभ पहुंच सके। आपने हमेशा यही खयाल रखा कि अधिक से अधिक सीमा का निर्धारण किया जाय। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से आपने सोचा तक नहीं। जहां आपने अधिक से अधिक सीमा निर्धारित करने का दृष्टिकोण रखा वहां आपको कम से भूमि की सीमा भी निर्धारित करनी चाहिये थी यानि राजस्थान के किसान के पास कम से कम भूमि पांच और सात एकड़ तो होनी ही चाहिये लेकिन यह निर्णय आप नहीं कर पाये। आपने यह सोचने में इस प्रकार के वर्ग का ध्यान नहीं रखा।

मुआवजे के मामले में आपने बहुत समय खोया। इस बात को करते हुए आपने उन किसानों का ध्यान तक नहीं रखा कि आप इन किसानों के लिए क्या बात करते हैं

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष, महोदय, टाइम लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : I think ten minutes should be the maximum for every speaker.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : लेकिन जो सिद्धान्त की बातें करते हैं उनको ज्यादा समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Let that discretion be with me.

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य सिद्धान्त की बातें कहेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जो चीजें लाभदायक हों उनके लिए ज्यादा समय दिया जाना चाहिये ताकि उचित समाधान हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय तो पांच बजे तक का ही है-ज्यादा समय कहां से दूं ?

श्री मुरलीधर व्यास : कल भी आठ बजे तक बैठे थे आज भी ८ या ९ बजे तक बैठ सकते हैं।

भूमि के मामले के अन्दर जहां सबसे बड़ा परिवर्तन करना चाहिये था वह हमने नहीं किया। सीलिंग निर्धारित करना था जो इस भूमि सुधार बिल का प्राण है, इसका उद्देश्य है, उस पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया। जहां मुआवजे के मामलों को लेकर काफी परिवर्तन किए वहां ८० प्रतिशत लोगों पर, जो दबे हुए हैं उनकी हालत को ठीक करने का कोई खयाल नहीं रखा गया। इसके पीछे ज्यादा समय लगाते तो जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते थे उसमें किसी हद तक कामयाबी हो सकती थी। कम से कम सीमा का भी माप दंड रखते तो ज्यादा अच्छा होता। नीचे वालों के लिए किसी ने कतई सोचा तक नहीं।

इसके अलावा मैं यह भी कहूँगा—जहां आपने समान न्याय की बात रखने का दावा किया है वह भी ठीक नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर ऐसे स्थान भी हैं जहां पर

(श्री मुरलीधर व्यास)

भूमि उपलब्ध हो सकती है। हमारे यहां कई ऐसे इलाके हैं जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जहां की भूमि का सीमा निर्धारण करने पर भी कोई महत्व नहीं है। जैसलमेर अकेला ऐसा इलाका है जहां एक करोड़ १ लाख एकड़ भूमि है। ८ करोड़ एकड़ भूमि में केवल जैसलमेर में १ करोड़ १ लाख एकड़ भूमि है, बाड़मेर में ६७ लाख एकड़। इसी प्रकार जोधपुर और बीकानेर के इलाके में भी है, ये सब रेतीले इलाके हैं-तीन चार करोड़ एकड़ ऐसी जमीन पड़ी है। उस जमीन की उस इलाके में कोई कीमत नहीं है। जमीन की कीमत का जहां प्रेशर है वे इलाके दूसरे हैं, यह हमें देखना है। जहां प्रेशर है वहां भूमिहीन लोग हैं, उस इलाके के लिए नया परिवर्तन करना था। जयपुर, टोंक, बून्दी, कोटा आदि ऐसे इलाके हैं। चित्तौड़, उदयपुर आदि १५, १६ जिले ऐसे हैं जहां की भूमि के लिए हमें सोचना था। वहां पर आपने क्या किया? वहां नई बात कर दी। कुओं से सिंचित भूमि को बारानी कह दिया। जहां भूमि निकालने का सवाल था, निकाली जा सकती थी। जैसलमेर की भूमि जितनी मिलेगी, कुए से सिंचित मिलेगी इसमें भी दो सौ, ढाई सौ एकड़ में पांच जगह कुंए मिलेंगे। जिस प्रकार जैसलमेर में कुंए की जमीन को बारानी मानकर आप दो सौ, ढाई सौ एकड़ भूमि देंगे, वहां इसी आधार पर कुए की यहां की जमीन बारानी मानी जाकर बंटेगी। नतीजा यह होगा, लोगों को पांच सात सौ बीघा जमीन मिल जावेगी। फिर आपने पहले तो बीघा में हिसाब रक्खा। अब एकड़ में कर दिया और सारा मामला इस तरह रख दिया कि दो बीघा वाला सींच ही नहीं सकता। कुंए की जमीन को आप बारानी मान लेंगे—यह ८० पर्सेन्ट लोगों का खयाल नहीं था। हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों की जमीन से तुलना करें, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कहीं पर भी कुंए की सिंचित भूमि को बारानी नहीं माना गया। पर आपने मध्यम वर्ग के स्वार्थों के संरक्षण के लिए भूमिहीन को जमीन मिलने से इस तरह से भी वंचित कर दिया। हिन्दुस्तान में जहां कहीं भी भूमि के सुधार हुए वहां कुंए से सिंचित भूमि को बारानी माना हो, इसकी एक मिसाल तो बताइये?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप कोई ऐसी जगह बता दीजिये कि जहां नहीं माना हो?

श्री मुरलीधर व्यास : कहीं नहीं माना।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिये कि कहीं भी इर्रिगेटेड लैंड सीलिंग पर्पज के लिए माना हो।

श्री मुरलीधर व्यास : रक्खा है, डोढा रक्खा है। इतना नहीं रक्खा।

श्री भैरोंसिंह : Not a single State.

श्री मुरलीधर व्यास : तो इस तरह से जमीन निकालने में बाधा पड़ती है।

तीसरी बात, जिसमें से काफी जमीन निकाली जा सकती थीं वे थे एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म। पर उनको छूट दे दी गई। अगर इसको वे कोऑपरेटिव बेसिस पर लेकर छूट देते तो मुझे सन्तोष होता ताकि सीलिंग के रूप में एक बार तो बंट जाती।

(श्री मुरलीधर व्यास)

और फिर अगर एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म भी बनाना है तो सरकार को बनाना चाहिये। पर वहां पर भी एक व्यक्तिगत जमीन रखने की छूट दी। इस तरह पूंजीवादी तरीका यहां उन्होंने अख्तियार कर लिया। प्लानिंग कमीशन का नाम ले लिया। मैं बताऊं कि यह क्रान्तिकारी कदम नहीं है, सामाजिक सुधार की दिशा में कदम नहीं है, समाजवादी समाज की रचना का नारा लगाते हैं पर काम पूंजीवादी तरीके का करते हैं। इन तरीकों से क्रान्ति में बाधा पहुंचती है जिसे हम बहुजन-हिताय लाना चाहते हैं। ये चीजें समाजवाद के आधार पर सहकारिता लाने में बाधक हैं। तो ये तीन चीजें इस प्रकार की रक्खीं। मुआवजे का सवाल था, वहां तक तो ठीक बात है जिस तरह आपने तै किया। मैं इसमें इतना ही चाहता था कि अधिक से अधिक जिनके पास जमीनें हैं उनको तो कम मिले और जिनके पास थोड़ी जमीन है उनको अच्छा मिल जावे।

छः साल से भूमि सुधार आदि से आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे और जिसका यह सीलिंग अन्तिम चरण था, एक मात्र रास्ता था, जहां आप कुछ कर सकते थे उसमें बिलकुल नाकामयाब हुए हैं। जो लोग इससे एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात की आशा लगाये बैठे थे उनके दिल दिमाग को जो कुछ राहत दे सकते थे, वह भी नहीं दी गई। अब भले ही इसका आप स्वागत करें पर मैं तो कहता हूँ कि इससे हमारे भावी क्रान्ति के परिवर्तन और भावी विकास की मंजिल को रोक दिया गया है। आगे जाकर मैं समझता हूँ कि किसी मुद्दे पर कोई परिवर्तन करने की बात करेंगे तो हो नहीं सकेगी। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि जो यह जिस तरह से बिल पारित किया जा रहा है वह स्वागत के योग्य नहीं है, नहीं रहा इसके लायक। जब कभी हम सोचेंगे, विचार करेंगे और किसान के पास देहात में जावेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि इसका क्या असर उन पर हुआ है। (घंटी) अगर वे किसान जिनके पास दो दो, तीन-तीन बीघा जमीन है और जो बहुत गरीब हैं वे अगर यहां बैठने वाले होते तो यह कानून दूसरे ढंग का बनता। यह कानून इसलिये ऐसा बना कि इसमें बैठने वाले मध्यम वर्ग के स्वार्थ वाले लोग हैं और इस कारण यह क्रान्तिकारी नहीं बन सका। इस दृष्टि से मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं नहीं समझता कि इससे कोई क्रान्ति होगी और उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे ताकि भविष्य में हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मानता हूं कि आज पांच बजे तक सदन इसको पारित भी कर देगा।

मैं यह कदम, समझता हूं, राजस्थान के लैंड रिफॉर्म्स के इतिहास में रैड लैटर्स डे माना जावेगा। जो लैंड रिफार्म्स का सिलसिला पांच छः साल पहले शुरू किया था उसकी पूर्णाहुति आज देने जा रहे हैं। मैं इसको, एक लैंड रिफॉर्म का फाइनल स्टेज पूरा किया, ऐसा मानता हूँ। कोई रिवोल्यूशनरी स्टेज पार की हो ऐसा नहीं मानता हूं और जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा है कि यह तो बिलकुल रिवोल्यूशनरी नहीं है, यहां रिवोल्यूशनरी का सवाल नहीं है, मैं तो इसे लैंड

(श्री पी० के० चौधरी)

रिफॉर्म का स्टेप मानता हूं। सोशियल रिफॉर्म का यह सवाल है। जहां तक उनके आग्र्यू-मेन्ट्स हैं उनसे भी साफ जाहिर है कि वे भी इसे लैंड रिफॉर्म मानते हैं। उन्होंने दलील दी है कि यह जो स्टेप लिया है इससे अब क्रान्ति का स्कोप नहीं रहा। रिवोल्यूशन के लिये स्कोप नहीं रक्खा। जो भी लोग हिस्ट्री को जानते हैं वे यह जानते हैं कि रिवोल्यूशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट कन्डीशन हो जाती है, जब हालतें खराब हो जाती हैं। पर जिस देश में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, जो प्रोग्रेसिव हो, जो रिफॉर्म्स लाता हो, समय के अनुसार रफ्ता रफ्ता समाज के उपयोगी, वहां रेवोल्यूशन नहीं होता, उसकी कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो जहां मेरे पूर्ववर्ती माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस कानून ने रेवोल्यूशन की भावी सम्भावनाएं ही समाप्त कर दी, मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा कम्पलीमेंट है इस बिल को उनकी तरफ से और इसलिए मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ।

दूसरी बात, मैं मानता हूँ और राजस्थान के सभी लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि यह जो लैंड रिफॉर्म्स का फाइनल स्टेप आज हमने लिया है उसके बाद हमारे प्रान्त के जो मोस्ट मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जैसे भाखरा, राजस्थान केनाल, चम्बल, ये सब जब कम्पलीट हो जायेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद और आज तक जितने लैंड रिफॉर्म्स के कदम उठाये हैं और यह जो आखिरी कदम उठा रहे हैं उन सबके बाद राजस्थान का किसान खुशहाल होगा, फलेगा फूलेगा, यह मैं मानता हूँ और समझता हूं कि सदन का हरएक सदस्य भी ऐसी ही उम्मीद रखता होगा।

(३ म. प.)

लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं-यह जो लैण्ड रिफार्म्स का स्टेप हमने आज उठाया है उसकी कामयाबी ज्यादातर हमारे एग्जीक्यूटिव्ज के ऊपर डिपेन्ड करती है और उनके अरनेस्टनैस और इमेजीनेशन पर ज्यादातर निर्भर करती है। वह कैसे इसको इम्पलोमेंट करेंगे इसके ऊपर उसका आधार है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जम्पशन के क्लॉज ३० आई की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें एग्जीक्यूटिव को काफी अधिकार दिये हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के फार्म को एग्जम्पशन्स दे सकते हैं। इतना ही नहीं, एग्जम्पशन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डीनेरी मैजर्स भी रखे हैं, किस आदमी को, किस विशेष होल्डिंग को, एग्जीक्यूटिव को अधिकार दिया है कि वह सीलिंग के कानून से एग्जम्प्ट कर सकता है। तो हमने एक वाइड पॉवर्स एग्जीक्यूटिव को दी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किस अरनेस्टनैस से और किस इमेजीनेशन से जो बिल के प्रोविजन्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव इम्पलीमेंट करेगी—यह उसके ऊपर डिपेन्ड करेगा कि जो स्टेप हम ले रहे हैं वह कामयाब होगा या नहीं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक रीसेटलमेंट का सवाल है, लैंडलैस वर्कर का सीलिंग कमेटी के सामने एक टर्म्स ऑफ रेफरेन्स हमारा री-सेटलमेंट का था लेकिन सीलिंग कमेटी ने उस टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है और साइलेन्ट

(श्री पी० के० चौधरी)

रही है। उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा और इस बिल में भी ३० एफ में सिर्फ अलॉटमेंट का प्रावधान रखा है और रीसेटलमेंट का कोई प्रोविजन नहीं रखा है, वह भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दिया है कि प्रेस्काइब्ड मेनर से रीसेटलमेंट की व्यवस्था करें। हालांकि बिल में हमने इन्डीविजुअल को अलॉट करने का प्रोविजन रखा है जब कि प्लानिंग कमीशन की सिफारिश थी सेकिण्ड प्लान में, वह यही थी कि यह जो सरप्लस लैंड सीलिंग से मिलेगी उसका डिस्पोजल कोऑपरेटिव लाइन्स पर करेंगे। लेकिन इस बिल में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि हम कोऑपरेटिव लाइन्स पर करेंगे। उसको एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिया है इसलिए मैं फिर से कहना चाहता कि एग्जीक्यूटिव जिस स्प्रिट से और जिस बैकग्राउन्ड में-और हमारा सोशियल इकोनोमी का जो बैकग्राउन्ड है जिसकी वजह से लैंड रिफार्म्स का मेजर हमने लिया है- उसको समझकर एग्जीक्यूटिव चलेगी तो जो हमारा रीसैटलमेन्ट का प्रोग्राम है वह कामयाब हो सकता है और जो सीलिंग का पर्पज है, जो सरप्लस लैण्ड का डिस्ट्रिब्यूशन है और अलॉटमेन्ट है उसको अच्छी तरह से नहीं कर पायेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है वह काफी हद तक डिफीट हो जायेगा।

दूसरी बात यह है कि हमें एक डिफिकल्टी इसके इम्पलीमेन्टेशन में रहेगी जो कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आपको एक स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर करना है। यह माननीय मिनिस्टर इन्चार्ज ने कहा है कि जो फॉर्मूला सलेक्ट कमेटी ने दिया था और जिसको हमने पास किया है उसके माफ़िक स्टेन्डर्ड एकड़ होल्डिंग टू होल्डिंग डिफ़र करेगा। सारे राजस्थान के लिए एक यार्डस्टिक नहीं रहेगा स्टेन्डर्ड एकड़ का। अलग अलग वैराइटीज के लिए अलग अलग स्टेन्डर्ड एकड़ रहेगा। इसको भी मुकर्रर करना It is a very deep and huge task और वह डिपेन्ड करेगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि कितनी अरनेस्टनैस से इस काम को उठाते हैं।

दूसरी बात जो इसमें रखी गई है ३० एफ़ में; हमने सीलिंग के इम्पोजीशन का अमेंडमेंट से यह प्रावधान रखा है कि डिफरेन्ट एरिया में डिफरेन्ट डेट से इम्प्लीमेन्ट करेंगे। लेकिन मेरी राय यह है कि कोशिश हमारी यही होनी चाहिये कि डिफरेन्ट एरिया में डिफरेन्ट डेट से यह लागू नहीं हो। हालांकि आपने एक्ट में प्रोविज़न रखा है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तारीख से इस एक्ट को लागू करेंगे लेकिन मेरी खुद की राय यह है कि कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि सारे राजस्थान में एक ही तारीख से On a particular day we will apply this ceiling. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका पोलीटिकल एक्सप्लॉइटेशन होगा। जो लोग इसके खिलाफ़ प्रचार करना चाहते हैं वह जरूर इसका फ़ायदा उठायेंगे। अब हम गंगानगर में एप्लाई करें-और ६ महीने बाद जाकर कोटा में एप्लाई करें—अगर इस तरह से करेंगे तो उसका पोलीटिकल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, लोगों के दिलों में मिसअन्डरस्टेंडिंग हो सकती है और लोगों में

(श्री पी० के० चौधरी)

डिस्कन्टेन्ट क्रियेट हो सकता है। इसलिए मेरा एग्ज़ीक्यूटिव से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक ही डेट से लागू करें। जैसा कि हमने अभी डिसेन्ट्रे-लाइजेशन का बिल पास किया था उसमें प्रोविज़न रखा था कि अलग अलग जिला बोर्डों को गवर्नमेन्ट अलग अलग तारीख से एक्रॉलेश करेगी लेकिन गवर्नमेन्ट ने एक ही तारीख से सारे जिलाबोर्डों को एक्रॉलेश किया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अलग अलग डेट्स पर अलग अलग एरिया में लागू करने का क्लॉज रखा है वह सिर्फ परमीसिब्ल है और विशेष डिफिकल्टी कोई आ जाये और लागू नहीं कर सकें तो दूसरी बात है लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि सारे प्रान्त में एक ही तारीख से इस कानून को लागू करें।

एक और बात जिसकी तरफ मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ वह यह है कि हमने सेक्शन ३० डी में रेस्ट्रिक्शन्स ऑन ट्रान्सफर्स लगाई है। तो जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हो सकता है किसी जेनुइन केसेज में ट्रान्सफर कैन्सिल हो गया तो सीलिंग के पर्पज़ के लिए उसका ट्रान्सफर नहीं माना जायेगा लेकिन वरचु ली वह एक तरह से एक्वायरमेन्ट तो आपका होगा ही और उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न था कि हमको कम्पेन्सेशन पे करना चाहिए लेकिन हमने कम्पेन्सेशन का प्रोविज़न नहीं रखा है। हमने क्लॉज़ ३ के सेक्शन ३० डी में Claim for refund रखा है। कम्पेन्सेशन का नहीं रखा है। तो मैं समझता हूँ कि वह हमारा एक लीगल लेकुना रह गया है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अन्त में मैं समझता हूँ कि I should be failing in my duty if जो मिनिस्टर इनचार्ज यानी रेवेन्यू मिनिस्टर को इस बिल को जिस एबीलिटी के साथ और जिस पेशेन्स के साथ पाइलेट किया है उसके लिए धन्यवाद नहीं दूँ और हो सकता है इस बिल के डिस्कशन के समय में मेरा उनके साथ मतभेद रहा हो—We might have thrown each other, we might have exchanged words, even then I give my due compliments for the trouble he has taken. और यह भी कहना चाहता हूं कि इस बिल के पास होने से मैं खुद महसूस करता हूँ He has fought a lionly battle while piolating this Bill, and getting through this Bill from the House. इससे मैं महसूस करता हूँ। I give my due compliments from the core of my heart. My congratulations on this final stage of the Bill. Thank you.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लैण्ड रिफॉर्म्स का अन्तिम कानून बनाने का फैसला करने जा रहे हैं। करीब ६ साल पहले राजस्थान के अन्दर जिन काश्तकारों के पास जमीन नहीं हैं उनको जमीन देने के लिए अलग अलग कानून बनाने के बाद हमने यह निर्णय किया है कि जागीरों के रिजम्पशन होने के बाद भी बहुत से लोगों के पास जमीनें नहीं हैं और जिसकी वजह से वह अपना पेटभर गुजारा नहीं कर सकते तो हमने निर्णय लिया कि अधिक से अधिक जमीन की सीमा निर्धारित कर दी जावे। जो जमीन हम लें वह जमीन

(श्री मोतीलाल)

उनके अन्दर बांटकर उनकी समस्या को हल कर दें । बहुत दिनों तक इस पर चर्चा रही और अब दो दफा हाउस में चर्चा होने के बाद में और इस समय भी बहुत लम्बे अर्से से इस बिल पर चर्चा करने के बाद में हम आज थर्ड रीडिंग पर आये हैं और आशा है कि आज ही इस बिल को पास कर देंगे । अभी बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य बोल रहे थे । उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं कि इस बिल से राजस्थान का कोई लाभ नहीं होगा या कोई क्रांति राजस्थान में होने की गुंजाइश नहीं है । मैं समझता हूँ कि भुखमरी नहीं रहेगी अगर यह कानून हमारे राजस्थान में लागू हो गया तो । जो इतनी क्रांति की बात करते हैं वह मेरे खयाल से पहले स्वयं काश्तकार नहीं हैं । इसलिए उनको भय है कि क्रांति का नारा जैसा वह लगाते हैं तो उनके पास इस तरह का नारा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए कि इस बिल को पास करने का निर्णय सरकार ने लिया और आज इसको पास करने जा रहे हैं । एक शब्द और कहा था कि बारानी जमीन और कुंए की जमीन को हिन्दुस्तान में कहीं भी एक साथ नहीं लिया है । मैं जानकारी के लिए कह दूँ कि केरल--जिसको आपने अपने दृष्टिकोण से बहुत प्रगतिवादी माना है और उसी पार्टी से आप संबंधित भी हैं वहां जो सीलिंग हुआ है उसमें बारानी जमीन को और कुंए की जमीन को बराबर माना है । सही बात तो यह है कि आप खुद काश्तकार नहीं हैं इसलिए बहुत सी बातें इन्होंने कह दी और इसलिए कह दी कि क्रांति की ही बात ....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : कह दी तो माफ कर दो क्या है ?

श्री मोतीलाल : माफ तो हाउस कर ही देगा ।

मैं कह रहा था कि हमने यह कदम राजस्थान के दृष्टिकोण से, राजस्थान के अन्दर आज से कुछ दिन पहले यहां २० रजवाड़े तथा वहां पर काश्तकारों की प्रगति नहीं थी, उस स्टेट के अन्दर यह पहला कदम हो रहा है । हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरी स्टेट्स के कम्पेरीजन में हम सब से आगे कदम उठाने जा रहे हैं , सिवाय केरल के । लैंड रिफार्म्स के सम्बन्ध में इस स्टेट के कुछ हिस्सों में कानून नहीं थे, वहां पर कानून पास किये । और करते करते आखरी कानून इस सम्बन्ध में आज सबसे पहले पास करने जा रहे हैं । हमारी सरकार हिन्दुस्तान में सबसे पहले कदम उठा रही है । जहां लैंड पॉलिसी का सवाल है, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का सवाल है, हमारा कदम हिन्दुस्तान में सबसे पहला है--वह दृढ़ और मजबूत है, और इसलिए हम आज सबसे पहले हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों से पहले सीलिंग बिल पास करने जा रहे हैं । इसलिए मेरे खयाल से हम चर्चा कर रहे थे और हमारा पहला मौका था इसलिए कोई आधार नहीं मिल रहा था । आपस में बातचीत करके कि किसी क्लॉज को लेना है या नहीं लेना है और पॉलिसी के समझने में असुविधा हुई है, लेकिन फिर भी हमने एक बहुत बड़ा काम किया है । उसका नतीजा यह होगा कि राजस्थान का लॉ सारे हिन्दुस्तान में फॉलो होकर लागू होने की संभावना है । राजस्थान के भूमिहीनों कृषकों को ही फायदा नहीं हुआ है बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे इलाके के भूमिहीनों के लिए भी हमने मिसाल रखी है, क्योंकि इस कानून के पास करने के बाद

(श्री मोतीलाल)

इसके बेसिस पर दूसरी स्टेटों के अन्दर भी लागू करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। जैसे राजस्थान में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन बिल पास करके, उसको लागू करके एक मिसाल रखी है उसी तरह से सीलिंग बिल को पास करके, इसको लागू करके इसकी मिसाल रखेंगे। इसलिए हमारी सरकार जिन्होंने बिल को लाकर और पास करके इस स्टेट की लैंड पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स किये हैं, उन रिफॉर्म्स में अन्तिम रिफॉर्म्स को आज लेकर पास किया है—बधाई की पात्र है। इस अन्तिम रिफॉर्म के होने के बाद में निश्चित रूप से जानकारी रहेगी कि आगे जाकर हमारी लैंड पॉलिसी क्या निश्चित होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सामाजिक दृष्टिकोण से ही नहीं, मैं कहता हूँ कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी। फूड प्रोडक्शन पॉलिसी के दृष्टिकोण से हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। आज दिन से काश्तकार जान जायगा कि इतनी जमीन रहने वाली है सीलिंग के बाद में। जिसकी जमीन जाने वाली है वह भी अन्तिम रूप से जान जायगा कि कितनी जमीन उसके पास रहने वाली है। वह उसमें डवेलपमेंट कर सकता है। इन्टेन्सिव प्रोडक्शन बढ़ा सकता है जमीन में। अपने दृष्टिकोण से निश्चित रूप से आज के बाद में निर्णय कर लेगा कि इतनी जमीन रहने वाली है। उससे आगे उसकी जमीन जाने वाली नहीं है। उसमें जितना डवेलपमेंट वह कर सकेगा, वह करेगा।

इस तरह से काम करने में सबसे पहला कदम हमने उठाया है राजस्थान में। राजस्थान में प्रोडक्शन प्लान जो होगा उसमें सबसे पहला सहयोग किया है। वह सहयोग हमारा इतना बड़ा रहेगा, मैं आशा करता और यह मानकर चलता हूँ कि राजस्थान हिन्दुस्तान के फूड प्रोडक्शन के अन्दर सबसे आगे रहेगा। हिन्दुस्तान के फूड प्रोडक्शन की पूर्ति तय करेंगे और वह पूर्ति तभी हो सकेगी जब कि हमारी लैंड पॉलिसी सर्टेन और डेफिनेट रहेगी। जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हम आज तक कर चुके हैं और करने के बाद राजस्थान केनाल के आने से और चम्बल प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद में तथा जो जो बारानी जमीन है उनमें कुंए खुदवाने के कारण हमारा फूड प्रोडक्शन काफी बढ़ सकेगा। कुओं से सींची जाने वाली जमीन को बारानी जमीन के बराबर रखने का उद्देश्य यही है कि उसकी पूर्ति होगी। जब एक किसान को यह मालूम हो जायगा कि वह अपनी जमीन में कितने ही कुंए खोद ले सीलिंग के द्वारा उसकी अब जमीन जाने वाली नहीं है, वह रहने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डवेलपमेंट स्कीम्स और कम्युनिटी स्कीम के मातहत जो लैंड मोर्गेज बैंक से लोन काश्तकारों को मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट में बारानी जमीन पर काश्तकार आगे कुंए खुदवायेगा और जिस जमीन में अब तक एक फसल खेती की होती है उसमें अब वह दो फसल पैदा करेगा, क्योंकि हम इस तरह से देखते हैं कि वह निश्चित हो गया है कि उसके पास कुंए की जमीन भी बारानी जमीन के नाम से रहने वाली है। उस किसान को यह निश्चित हो गया है कि उसके पास में इतनी ज़मीन रहने वाली है। उसके बाद में जाने वाली नहीं है। उसमें

Page No.83

(श्री मोतीलाल)

वह कितना ही इन्वेस्टमेंट करे, कर्जा करे, उसका निश्चित रूप से उसको फायदा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम किसी मनी लेन्डर से बात करते हैं कि सहकारी बैंक में डिपोजिट रखो तो निश्चित रूप से जवाब मिलता है कि राजस्थान के अन्दर लैंड पॉलिसी फाइनल नहीं है, और काश्तकारों को यदि रुपया बैंक दे तो वह रुपया आये या न आये। तो वे इनमें इन्वेस्टमेंट करने में असमर्थ हैं। इसको बाद में जो मनी लेन्डर्स हैं वह सहकारी बैंकों में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जो उनको सुविधाएं मिलेगी। काश्तकारों को लॉग टर्म कर्जा देने में सुविधा मिलेगी। कोई भी पूंजीपति कर्जा दे, बैंक दे, या लैंड मोर्गेज बैंक दे या कोऑपरेटिव बैंक दे तो उनको जानकारी रहेगी कि काश्तकारों में उनका रुपया सुरक्षित रहेगा, और जमीन सरकार लेने वाली नहीं है। जब उनको भरोसा होगा तो वे जमीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए २० साल या ३० साल के लिए भी कर्जा दे सकेंगे। वे कुंए के रूप में या दूसरे साधनों के रूप में या दूसरे डवेलपमेंट के दृष्टिकोण से, या ट्यूब वेल के दृष्टिकोण से—राजस्थान में एक ट्यूब वेल पर ५०, ६० हजार रुपया खर्च होता है, वे आज निश्चित रूप से रेगिस्तानी इलाके के अन्दर ट्यूब वेल पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जायेंगे। वे निश्चिन्त हैं कि उनके बाद में उनके इन्वेस्टमेंट को कोई छीनने वाला नहीं है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान के फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमारा कानून सबसे अग्रणी है, और बहुत ही उचित समय में हम इसको पास करने जा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार, जिन्होंने इसको पेश किया है, बहुत ही धन्यवाद की पात्र है।

इसके साथ ही साथ में माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ एक ही अर्ज करना चाहूँगा कि एग्जेम्पशन की जो क्लॉज है उस क्लॉज के अन्दर जो अधिकार हम सरकार को दे रहे हैं, उस अधिकार के अनुसार सरकार उचित काम करे और उचित काम के लिए में उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके बाद में कोई सहकारिता के आधार पर इस देश के अन्दर, स्टेट के अन्दर, सहकारी खेती पर डवेलपमेंट होने की गुन्जाइश देखें तो इस क्लॉज के आधार पर उचित ढंग से सहकारी खेती को प्रोत्साहन दें, और जितना सहयोग दे सकें, दें। मैं आशा करता हूँ कि सरकार की नीति भी यही है कि सहकारिता के आधार पर खेती की प्रगति करने के लिए उनका प्लान है, तो जहां पर इसका सवाल आयेगा तो सरकार....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वह तो फारमर्स फोरम में आ जायेंगे।

श्री मोतीलाल : वह फारमर्स फोरम हो या सहकारिता, वह एक ही बात है, व जनता के हित के लिए है। आपका भी हित हो सकता है अगर आप आयें तो।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने तो अपना हित कर लिया। अमेरिका चले गये।

श्री मोतीलाल : अमेरिका गया या रूस। इससे क्या ?

(श्री मोतीलाल)

इस क्लॉज के मातहत इसके साथ साथ दूसरी क्लॉज है, मैं चाहूँगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट उसकी ओर भी उचित कदम उठायेगी । उसमें २६ (ए) में लैंडलैस की डेफिनेशन दी हुई है वह पूरी लागू हो । वह अगर पूरी तरह से लागू नहीं होगी तो मेरे खयाल से सीलिंग लागू करते हैं उसका उद्देश्य पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा । उसमें लैंडलैस की डेफिनेशन बिल्कुल किलअर दी हुई है कि सिर्फ जो खेती करने वाला होगा, कर सकेगा और करता है यानी वह होल्ली, प्रिन्सिपली खेती पर निर्भर करता है, उसी के पास जमीन रहनी चाहिये । इस क्लॉज को संपूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे तो समारा सीलिंग बिल पास करना या नहीं करना बराबर हो जायगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को लागू करने लिए क्लॉज के अनुसार जो लैंडलैस हैं उन्हें ही जमीन मिले और दूसरे को नहीं मिले । इस क्लॉज के अनुसार जो टिनेन्सी एक्ट की क्लॉज है उसके बेसिस पर जमीन रहे और लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सरकार कदम उठायेगी ।

जो इससे काम नहीं लेते हैं, जो काम में आती नहीं है उसको भी लौटाने का अधिकार है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः राजस्व मंत्रीजी को जिन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य समय, स्वास्थ्य ठीक न रहते हुए भी दिया है, समय तो उनका देश सेवा के लिए ही है लेकिन अस्वस्थ होते हुए भी इस कठिन कार्य को निभाया है, हाउस में चर्चा पर चर्चा चलते हुए और बहुत चर्चा होते हुए भी पेशेन्टली, शान्तिपूर्वक उन्होंने इस बिल को पायलॉट किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ । जिस तरह से पेशेन्टली उन्होंने इसे पायलेट किया है उसी तरह से इसे इम्पलीमेंट करने के लिए भी कदम उठायेंगे तो देश में प्रोडक्शन स्कीम को फायदा होगा ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बिल यहां पेश हुआ है उसके वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि अन्त मति सो मति । जो आखिर में तय हो जाय उस चीज को जैसा कि उसमें लाभालाभ है उस पर विशेष विचार न करके इस हालत में क्या ज्यादा ठीक तरह से लाभ हो सकता है उस पर विचार किया जाय । इस बारे में जहां तक हो सका सभी कोटि के सज्जनों ने अपने विचार व्यक्त किये और उसके लिए जिस धारणा से, जिस फुर्ती से यह हुआ, ऐसा होता है यह कुदरती चीज है । अब इसमें सबसे पहले यह सोचने की बात है । मैं निवेदन करूंगा कि यहां लैंडलैस लोगों के वास्ते यही विचार जैसा उठ रहा है, लैंडलैस तो बहुत से लोग हो सकते हैं । मेरे खयाल से खेती न करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है । मेरे अन्दाज से कोई ५ या १० पर्सेन्ट भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो खास खेती करते हों । बाकी बहुत से और भी हैं । मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले उनको यह सुभीता दिया जाय जो दुखी हैं, तंग हैं, गरीब हैं और मजलूम हैं, जैसे हरिजन बन्धु हैं, दूसरे हैन्डिक्राफ्ट का काम करते हैं, दूसरा व्यापार या व्यवसाय करते हैं, इस प्रकार के लोग हैं जैसे दरोगा हैं और दूसरे इसी तरह के लोग हैं जैसे कई गरीब मुसलमान हैं, इस प्रकार के लोगों के लिए पहले व्यवस्था होनी चाहिये । क्योंकि उनकी धारणा खेती करने की लगी रहती है

(श्री नरेन्द्रसिंह)

लेकिन उनको भूमि न मिलने के कारण बड़ी दिक्कत होती है तो उन लोगों के लिए पहले व्यवस्था होनी चाहिये। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके इस बात के लिए उनसे प्रेरणा लेकर उनके लाभ के लिए व्यवस्था जुटावें।

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि हर-एक तबके को गवर्नमेंट से उम्मीद होती है, प्रत्येक तबके को जहां तक हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था हो सके जिससे वाजिब सहूलियत और सहायता उनको मिलती रहनी चाहिये। इस बारे में एक बात यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि उनको यह रकम दिये जाने का प्रबन्ध है वह या तो एक साथ और एक साथ नहीं तो बहुत सा हिस्सा एक साथ और बाकी का शीघ्रातिशीघ्र मिलने की व्यवस्था कर दी जाय तो उनको खेती और दूसरे व्यवसाय जुटाने में सहूलियत होगी। इससे उनको कोऑपरेटिव बेसिस पर खेती करने और साधन जुटाने का सुभीता मिल जायेगा। पहले उनके पास बड़ी चीज होते हुए जब उसके बजाय छोटी चीज मिलती है तो उसको कंसोलेडेट करने के लिए साधन पैदा हो जाये यह भी मैं गवर्नमेंट से निवेदन किये बिना नहीं रहूँगा।

इसके अतिरिक्त यह होना चाहिये कि अभी भारतवर्ष में काफी संघर्ष छोटे और बड़ों के बीच में या हासिल लेनेवालों और देने-वालों के बीच में रहा अब उन चीजों को भुलाकर देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा करने की चेष्टा करें जिसके कारण सभी अंग आपस में मिलकर भारत की भावी संस्कृति को बनाने के लिए इस प्रकार की चीज पैदा करें जिस के साथ सब का सामन्जस्य हो सके और आगे बढ़ने की व्यवस्था जुटाई जा सके।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके गवर्नमेंट सभी तबके के लोगों के लिए पूरी खेती के वास्ते व्यवस्था जुटाने की कोशिश करें। तो यह देखना होगा कि जो लोग इससे इफेक्टेड होंगे उन पर बड़ा भारी असर पड़ेगा। यह जरूरी बात मिलेगी कि कुछ कुदरती किसान मिलेंगे जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी खेती की है। हो सकता है उनमें से कई इस प्रकार के भी हों जो दूसरे लोगों की मदद से खेती करना सीखेंगे। तो इस तरह से तीन तरह के तबके मिलेंगे। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे वे आयन्दा अच्छे काश्तकार बन सकें। इससे उनको भी सुभीता मिलेगा। जिनकी जमीन गई है वे खुद खास खेती करने वाले हैं तो यह देखना पड़ेगा कि उनके सुभीते के लिए जमीन काफी हो सके। लेकिन ३० स्टेन्डर्ड एकड़ इतनी जमीन नहीं है जो एक फेमिली के लिए काफी हो सके— जिसे कंसोलिडेट करके तरक्की करने के लिए सफल हो सकें। इस बात को भुक्तभोगी ही समझ सकता है कि उसकी ५ बीघा भी बपौती की जमीन चली गई है तो उससे उसको कितनी पीड़ा हो सकती है और कितनी दिक्कत आ सकती है। उसको यह सोच कर संतोष करना चाहिये कि जो भूमि उसके पास से गई है वह जिसके पास गई है वे भी उसके बराबरी के भाई हैं, या उनसे छोटे भाइयों के पास गई है।

तीसरी बात यह कहूँगा कि जहां तक हो सके सीलिंग के बाद जो जमीन ली जाय

(श्री नरेन्द्रसिंह)

वह उसी गांव के लोगों को बांटी जाय । और मैं यह भी कहे बिना नहीं रहूँगा कि इस जमीन के संघर्ष से सबसे जो १०, १२ वर्षों के चल रहा है, इस प्रकार की बहुत सी चीजें हो गई हैं जिनके कारण जमीन की आमदनी और अनाज की उपज बहुत कम हो गई है इसके लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है । यह जमीन उनके पास रहेगी या नहीं इस भय से अन्ततोगत्वा यह भी सवाल रहेगा कि आयन्दा खेती करने के लिए प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक पार्टी या भाग शान्ति से खेती के लिए अग्रसर हो सकें इसके लिए व्यवस्था करनी होगी । कृषि के प्रसारण में हरएक का काफी भाग रहना चाहिये । इस चीज के लिए यह भी निवेदन है कि जहां तक हो कृषि से ताल्लुक रखनेवालों को ही तरजीह दी जाय । कहना होगा कि मैं भी कृषक हूँ । ५० वर्ष तक मैंने खेती की है या कराई है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : पिछला भाग सही है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आज भी मेरी खेती के मुकाबले की खेती बहुत दूर में नहीं मिलेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके भाषण पर आपत्ति क्यों की जा रही है ? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय : ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने इसके अलावा खेती के वास्ते कॉलेज भवन बनाया है और इसके वास्ते मैं कहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के भेजे हुए तीन सबसे बड़े कृषि के प्रवीण हैं, उन्होंने यह कहा है :

The potentiality which can be found in the land which was given by the Jobner Thakur, to the institution is rather second to none. And those also told that few colleges in India find that potentiality which is there in the Jobner College.

तो इसके वास्ते मुझे घमंड भी है, इसका जो अनुकरण करना चाहें, उनके लिए स्थान है............

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : सत्य को नहीं माने तो कहना चाहिये ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कहने में हर्ज नहीं है । पांच हजार एकड़ जमीन तैयार करके और सवा सौ कुंए बना कर सौंप दिये है इन्स्टीट्यूशन को....

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : और ये लोग कम्पेन्सेशन के लिए लड़ रहे हैं ।

(हंसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : फिर भी अगर जरूरत होगी तो आगे भी बनाकर मैं सौंपूंगा । तो यह कहना कि खेती करना नहीं जानते हैं, यह गलत है । वे नहीं जानते हैं कि मैंने, कम से कम एग्रीकल्चर के अन्दर बी० डी० ओ हैं, इनको हजारों की तादाद में सिखला दिया है और फिर भी सिखलाने की शक्ति रखता हूँ । (हिअर हिअर) इतना कह कर मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात न कही जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज....

Page No.87

श्री उपाध्यक्ष : Only ten minutes

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने १० मिनट से ज्यादा नहीं लिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिए नहीं कहा, वे तो आगे निकल गये, आपके संबंध में बात नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : राजस्थान टिनेन्सी विधेयक, छटा संशोधन, जो कि एक बहुत सी महत्वपूर्ण संशोधन था और जिस संशोधन को १९५३ से लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस पर काफी विचार हुआ और आज जाकर उसे पूर्णता मिली है। सन् १९५३ से लेकर आज तक जितने भी इसके बीच में काम हुए हैं, यदि उन कामों पर दृष्टिपात करें, तो यह जरूर लगता है कि राजस्थान की भूमि व्यवस्था में जिस प्रकार प्रबन्ध चल रहा था, जिस प्रकार लैन्ड सीलिंग की, जिस प्रकार रेंट रेट की, जिस प्रकार पीवल वगैरह की, चाही की, सब की सब बातें एक जगह इकट्ठी हो गई लेकिन जो एक सीलिंग का विचार था, उसको पीछे लिया जायेगा और आकस्मिक रूप से किसानों को जमीन बांटी जायेगी। यह चीज १९५३ से १९५९ तक चली। यह शीघ्र कार्यान्वित होनी चाहिए थी लेकिन इसमें विलम्ब हुआ, उससे एक नुकसान हुआ है कि जिन लोगों के पास, वास्तविक किसानों के पास जमीन पहुंचनी चाहिए थी, वह जमीन वास्तविक किसानों के पास न पहुंच कर नकली किसानों के पास पहुंची है.......

श्री चन्दनमल बैद : He is contradicting his own leader.

श्री दयाकृष्ण विजय : No, never. तो मैं निवेदन कर रहा था कि आजादी के आन्दोलन से पूर्व भी जिन लोगों ने उस संग्राम में भाग लिया है, वे कहते थे कि आजादी मिलने के तुरन्त बाद ही राजस्थान में ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेंगे, बड़े छोटे का भेद मिटायेंगे लेकिन जैसी कि हम सरकार से अपेक्षा कर सकते थे, जितनी शीघ्रता हर काम में होनी चाहिये थी, न उतनी शीघ्रता दिखाई दी और न जिस प्रकार की व्यावहारिकता, जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए वह दिखाई दी। उसका कारण क्या है, वह यह है कि जागीरदारों को जिस समय खत्म किया गया, तो उनको प्रसन्न करने के लिए मुआवजे की दर बढ़ाई गई। जिस तरह और दूसरी चीजें हुई तो हमने लेने देने के मामले में, किसी संस्था को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इस बात पर विचार करके कदम उठाया और इस कारण से हमारे कदम में जो क्रांतिकारिता आनी चाहिए, वह नहीं आई। इस वास्ते जो १९५३ से लेकर आज तक सीलिंग में देरी हुई है, इसमें इस प्रकार की हानि दिखाई देती है। खैर, यदि हम इस दिन इस बिल को एक एक्ट का रूप देते भी हैं, तो भी हमें सन्तोष इस बात का होता है कि कम से कम हमने एक कदम उठाया है, एक कदम जरूर हमने आगे बढ़ाया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है और उस कदम का हर आदमी स्वागत कर सकता है लेकिन मैं यह देखना चाहूँगा कि जो कदम हमने आगे रखा है, उस कदम के नीचे की जमीन है, जो धरातल है, वह पुष्ट है या नहीं, उसके नीचे खोखलापन है या नहीं ? जब हम सारे एक्ट को, सारे बिल को देखते हैं तो लगता है कि हमने कदम तो बढ़ाया लेकिन कदम

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ऐसी जगह रखा है, जहां से फिसलने की बहुत गुंजाइश है, गिर पड़ने की बहुत गुंजाइश है। वह कहां दिखाई देती है, जहां राज्य सरकार ने ऐसी पावर्स रख ली है कि राजस्थान के जिस हिस्से में सरकार चाहेगी, उस हिस्से में अपनी मर्जी होगी, तब कानून लागू करेगी। इसका अर्थ साफ दिखाई देता है कि राजस्थान सरकार की मन्शा यह है कि किन लोगों के साथ न्याय किया जाय और किन लोगों के साथ न्याय करने में देरी की जाय। जिस तरह १९५३ से १९५९ तक इसमें देरी दिखाई देती है, वह दिखाई देगी। मैं आशा करता हूँ कि राजस्व मन्त्रीजी ने इस प्रकार के क्लॉजेज़ इसमें रखे हैं, वे इसलिए हैं कि कोई कठिनाई आ जाय, प्रशासनिक उस स्थिति में इसका उपयोग कर लिया जाय कभी कभी, और कारणों से उपयोग नहीं करेंगी, इस प्रकार की मैं आशा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो एग्जेम्प्शन इसमें रखा है, कितना लैंड रहेगा, कितनी भूमि काश्तकार के पास रहनी चाहिए, जो मौजूदा सीमा है, उसमें घटा बढ़ी कर सकती है। यह अधिकार रखा है कि जो मैग्जिमम सीमा, अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित कर दी है, उसमें एग्जेम्प्शन हो सकता है, यह घोषणा कर दी है। यह अधिकार रखना कि राज्य सरकार, जिसके पास अधिक भूमि है, उसको मुक्त कर सकती है, उसके लिए कोई कारण नहीं है, जिस कारण भूमि एग्जेम्प्शन में आ चुकी है। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इस प्रकार की पावर्स रख कर सरकार कानून बनाती है तो उस कानून में हमेशा गिरने की, हमेशा फिसलने की गुंजाइश रहती है। मैं कहता हूँ कि हमने एक कदम बढ़ाया है, वह कदम ऐसी जगह पर रखा हुआ है, जहां से फिसलने की गुंजाइश है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे कदम में कमजोरियां हैं, उनकी ओर आप ध्यान देंगे। जो एग्जेम्प्शन रखे हैं, उनके अन्दर, जो बड़े बड़े शुगर फार्म, जो फैक्ट्रियों के द्वारा चलाये जाते हैं, उनको रखा है, हालांकि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था उस समय राजस्थान में एक फार्म है, वह उदयपुर का ही है, जो काफी सालों से बन्द पड़ा है, वह निकल जाता है तो राजस्थान में कोई फार्म नहीं रह जाता है। उसके बावजूद भी जो फार्म फैक्ट्रियों द्वारा रन किये जाते हैं, उनका मैं सख्त विरोधी हूँ। क्योंकि जो फैक्ट्रियों पर फार्म चलाते हैं, वे जमीन रखेंगे और रॉ मेटीरियल खुद पैदा कर लेंगे, इससे जो काश्तकार रॉ मेटीरियल पैदा करने वाले हैं, उनकी आजीविका खत्म हो जाती है और रॉ मेटीरियल के अपने आप भाव गिर जाते हैं। इसलिए जहां उद्योग खेती का पूरक हो सकता है, लेकिन जहां दोनों एक आदमी के हाथ में चले जायं, तो यह सम्भव नहीं होगा कि उससे अधिक लोगों को काम दे सकें, अधिक लोग उससे आजीविका चला सकें। खेती और उद्योग साथ साथ चल सकते हैं लेकिन यह नहीं हो कि एक मालिक के द्वारा ही चलाये जायं, यह उचित कदम नहीं होगा। अगर फैक्ट्री के हाथ में ही कृषि का अधिकार हो जाय तो किसान लोग महरूम रह जायेंगे। यह स्वाभाविक है कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं, वे खेती नहीं करेंगे, उनको फैक्ट्री चलाने, भाव का नाप तोल करने से फ़ुर्सत नहीं है, वे खेती कब करेंगे, इसलिए वे मजदूर रख कर खेती करेंगे। तो जहां हम मजदूर प्रथा खत्म करना चाहते हैं, वहां यह उचित नहीं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। सीलिंग में जो आंकड़े मिले हैं, उनसे लगता है कि खेती पर जो लोग जीवन निर्वाह करते हैं, वे कितने हैं, जो मजदूरी पर गुजारा करते हैं, वे कितने हैं। जब तक मजदूरी प्रथा खत्म नहीं होगी, जब तक मजदूर मजदूरी के रास्ते पर चलते रहेंगे, तब तक आदमी का जीवन खुशहाल नहीं होगा। जब तक आदमी को मालिक नहीं बनायेंगे, स्वामित्व प्रदान नहीं करेंगे, चाहे किसी क्षेत्र में हों, जब तक वह आदमी यह महसूस नहीं करेगा, जिसे हम अन्तः प्रेरणा कहते हैं, जब तक अन्तः प्रेरणा से विश्वास जाग्रत नहीं होगा, नवीन विकास में और वृद्धि करने की ओर वह तभी अग्रसर होगा, जब स्वामित्व के अधिकार हम उसे देते हैं। जब मजदूरों को हटा कर मालिकाना हक देते हैं, जो खेत पर परिश्रम करता हैं, उसको हक देते हैं, जैसे हम नारा लगाते हैं कि जमीन उसकी है जो बोता है, इसका अर्थ यह है कि जो खेती करता है वह स्वामी है, मध्यस्थता समाप्त होनी चाहिए। मध्यस्थों की उपस्थिति बेचने में भी लाभ लेती है, वे लोग बीच में लाभ लेते हैं इससे भाव बढ़ते हैं।

(घंटी)

मैं यह कहना चाहता हूँ कि फैक्टरीज के बीच में खेती करने का अधिकार दिया जाय, वह न्यायोचित नहीं है। उस पर हम आगे चल कर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।

आगे जाकर आपने कम्पेक्ट फार्म्स का रखा है। मैं यह नहीं मानता कि छोटे फार्म्स के मुकाबले में बड़े फार्म्स में प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार बढ़ सकती है। एक किसान के पास थोड़ी सी जमीन उपलब्ध है तो वह अच्छी खाद, अच्छी जोताई और मेहनत से काफी अधिक पैदा कर सकता है बनिस्बत बड़े फार्म्स के। तो केवल बड़े फार्म्स रखने से पैदावार बढ़ जायगी, ऐसे आंकड़े हमारे देखने में नहीं आते। अमेरिका के आकड़े बताते हैं कि उनका प्रोडक्शन गिरता जा रहा है, पिछले वर्षों के मुकाबले में।

तो जो लोग केवल मजदूरी करते हैं, १७ लाख के करीब उनकी जन संख्या है, साढ़े तीन लाख के करीब ऐसे लोग हैं, जिनके पास बिलकुल भूमि नहीं है। तो ऐसे २० लाख लोगों को खेती देनी है। तो मैं उन लोगों से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि जो यह कहते हैं कि राजस्थान में जितनी जमीन है वह उन लोगों में बांट दी जाय जो आज खेती पर निर्भर करते हैं। मैं कहता हूँ जब भी हम क्रान्तिकारी कदम उठाते हैं तो हमारे कदम की ऐसी दिशा होनी चाहिये कि हम व्यक्ति को संतोष कराने के लिये नहीं चल रहे हैं बल्कि वह अपना भविष्य अच्छा बना सके, इज्जत के साथ अपना जीवन बिता सके, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, इस दिशा में हम चल रहे हैं। यदि भूमि का प्रबन्ध कर के भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हैं तो हमारी सीमा इस तरह की होनी चाहिये कि एक तो पूंजीवाद नहीं हो, किसी के पास इतनी भूमि नहीं रह जाय कि वह खुद काश्त न कर सके और दूसरे लोगों को भूमि देकर काश्त करवाये, नौकर रख कर काश्त करवाये और दूसरे यह कि इतनी कम भी किसी को नहीं दें कि दिन भर परिश्रम करने के बाद भी उसका पेट नहीं भरे, वह भूखा का भूखा ही रहे, अपने लिये मकान न बना सके, अपने बच्चों को शिक्षा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

न दे सके, उनका पालन पोषण न कर सके। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जमीनों को बांट दें, केवल बंटवारा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, किसानों का जीवन एक खुशहाली का जीवन हो, वे लोग खुशहाली का जीवन बिता सकें, यह हमारा लक्ष्य रहा है।

(घंटी)

वे लोग भूखे के भूखे रहें, भुखमरी का जीवन बितायें, इस तरह की उनकी दशा नहीं रखनी है। तो मैं समझता हूँ कि यह जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है वह किसानों की खुशहाली का कारण होगा।

जो मैंने निवेदन किया उसका आशय यह है कि हमने कदम उठाया है उसके नीचे ऐसे एग्जेम्पशन्स हैं कि एक आदमी ग्रोवल रख सकता है, कम्पेक्ट ब्लॉक रख सकता है, कैटल ब्रीडिंग, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी रखसकता है, तो इस तरह एक आदमी हजारों बीघा जमीन इन एग्जेम्पशन्स के नाम से रख कर हजारों बीघों का मालिक बन सकता है। तो हमें यह नहीं रखना चाहिये कि एक ही आदमी हॉर्स ब्रीडिंग के नाम से भी जमीन रख ले, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर भी बन सके, कैटल ब्रीडिंग के नाम से भी जमीन रख ले, कम्पेक्ट फार्म के नाम से भी जमीन रख ले और सीलिंग एरिया है उसको भी ले सकता है। इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखना चाहिये। यदि इतने साधन एक आदमी के लिये रख दिये तो आपका सीलिंग का जो उद्देश्य है वह बिलकुल अधूरा रह जायगा, आपका सीलिंग से यह उद्देश्य था कि भूमि का एकत्रीकरण नहीं रहेगा, वो इस प्रकार के एग्जेम्पशन से यों का यों ही रह जायगा। अब तक इस पर कोई पाबन्दी नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि हमारा सीलिंग का सिद्धान्त पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हुआ है। भविष्य में फिर अमेंडमेंट्स आयेंगे और हमें फिर संशोधन करने होंगे।

अब मैं यही कह सकता हूँ कि हमें हमारे उद्देश्य के सम्बन्ध में सतर्क रहना है, आगे जाकर कहीं नहीं फिसल जायं।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता, किसान जनता के कल्याण के लिये आज से १० वर्ष पहले भूमि सुधार का यज्ञ आरम्भ किया था, उसकी आज पूर्णाहुति है ....

(करतलध्वनि)

और उसकी पूर्णाहुति भी आज इस सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा होने वाली है। इस यज्ञ के मुख्य आचार्य हमारे राजस्व मन्त्रीजी रहे हैं, जिन्होंने इस सारे काल के भीतर बड़े परिश्रम के साथ, बड़े सन्तुलन और शान्ति के साथ राजस्थान की जनता के भूमि सुधारों में जो दिलचस्पी ली है और किया है, उसके लिये मैं राजस्थान के उन भूमिहीन गरीबों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष, आज जो विधेयक हम पास करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य इस

(श्री रामचन्द्र)

सदन में कई बार दोहराया जा चुका है। आज से दो वर्ष पूर्व आवड़ी में कांग्रेस के अधिवेशन के समय आवाज उठी थी कि राजस्थान में एक समाजवादी समाज की रचना की जाय और उसी आवाज को पिछले साल नागपुर में दोहराया गया। इसके साथ राजस्थान जब अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगा हुआ था तो पंचवर्षीय योजना के प्लानिंग के सदस्य थे उनका भी निर्देशन आया कि राजस्थान में भूमि के ऊपर सीलिंग लगाया जाय और प्लानिंग कमीशन ने भी यही रिकमन्डेशन दी। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार ने आज से ६ वर्ष पहले भूमि पर सीलिंग लगाने का विचार किया। बहुत वाद-विवाद और छानबीन के बाद एक विधेयक उस पर पास किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में सीलिंग के विषय में जितने क्लॉजेज पास किये जा रहे हैं, वे ऐसे अच्छे हैं कि यदि उनको जैसी कि उनकी मंशा है, उसी मंशा के अनुसार उन पर अमल किया गया तो मुझे विश्वास है कि इस सीलिंग के द्वारा न केवल भूमिहीनों को भूमियां ही मिलेंगी अपितु राजस्थान में विकास के कार्य बहुत अधिक फैलेंगे। इस बिल पर विचार करते हुए इस सदन के माननीय सदस्यों ने केवल इस बात पर जोर दिया और शायद ज्यादातर यही समझे हुए हैं कि यह सीलिंग जो लगाया गया है वह केवल भूमिहीनों को भूमि देने का है। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस उद्देश्य के साथ साथ राजस्थान सरकार का यह भी विचार रहा है कि हमारी कृषि में अधिक से अधिक, बड़े स्केल पर विकास हो और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ३० आई का क्लॉज रखा गया है, जिसमें एग्जेम्पशन्स दिये गये हैं कि हमारे यहां बड़े बड़े बाग-बगीचों के लिये सीलिंग से अधिक भूमि दी जावे, गन्ने की पैदावार के लिये बड़े बड़े फार्म रखे जावें। इसी प्रकार यहां ऊन का उद्योग राजस्थान का बहुत प्रमुख उद्योग माना जाता है और राजस्थान, हमारे देश में जितनी ऊन की पैदावार होती है, उसमें करीब ५० प्रतिशत योग देता है। तो ऐसी पैदावार की और अधिक उन्नति करने लिये, इसको जीवित रखने के एक छूट रखी गई है कि ऊन की पैदावार के लिये भेड़ों के वास्ते बड़ी बड़ी जमीनें रखने की छूट दी गई है। तो इसमें जो इस प्रकार की छूट दी गई हैं वह एक विशेष उद्देश्य को मान कर दी गई है, इसमें भी राजस्थान सरकार का एक संतुलन है, जिसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर विरोध प्रकट किया कि बड़े बड़े फार्मों के लिये और डेयरी फार्मिंग के लिये बड़ी बड़ी जमीनें नहीं दी जानी चाहिये। लेकिन मैं यह कहूंगा कि अवश्य दी जानी चाहिये। हम सब जानते हैं कि हमारा लक्ष्य फूड प्रोडक्शन का है और हम सभी यह प्रयत्न कर रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़े और जो सदस्य इस पर विचार करते हैं वे यह समझते हैं कि फूड प्रोडक्शन के माने गेहूँ, चावल, मक्का आदि की खेती ही है लेकिन उनका यह खयाल गलत है। फूड प्रोडक्शन में इससे अधिक चीजें भी आती हैं। हमारे यहां फल, फूल, अच्छा घी, दूध आदि भी हमको मिलना चाहिये। यह सब हमको नेशनल स्कीम पर

(श्री रामचन्द्र)

रखना चाहिये । इस विचार से यह रखा गया है ।

इसके साथ साथ जब इस विधेयक पर विचार हो रहा था तो धारा ३० या कौन सी धारा है, के विषय में यह विचार हुआ था तो हमारे राजस्व मन्त्रीजी की तरफ से जो सुझाव आया कि २५ फरवरी १९५८ से लागू किया जावेगा और उसका कारण भी यह बताया । मैं समझता हूँ कि यह तारीख ऐसी है जिसके द्वारा हमारे भूमिहीन किसान को अधिक नुकसान नहीं हो सकता है । आपका यह कहना है कि २५-२-५८ को हमने एक विधेयक प्रस्तुत किया कि आयन्दा इस प्रकार के नाजायज ट्रान्सफर अवैध माने जावेंगे और वही तारीख हमने मानी है । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपको २५-२-५८ को यह बात मालूम हुई कि राजस्थान में अवैधानिक ट्रान्सफर बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो उनको रोकने के लिये आपने कोई कदम नहीं उठाया । हां, भविष्य के लिये उसको रोकने के लिये कदम उठाया है कि ५८ के बाद में न कि ५६, ५७ में ट्रान्सफर हुए उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाया । क्या ही अच्छा होता यदि हमारे राजस्व मन्त्रीजी प्रवर-समिति की सिफारिश के अनुसार १ सितम्बर १९५७ रखते तो बहुत सी जमीन जो दूसरे लोगों के हाथ में चली गई है, भूमिहीन किसानों को मिल जाती ।

अन्त में मैं एक और जरूरी बात पर निवेदन करना चाहता हूँ कि जब अलॉटमेंट का समय आवे तो उस समय, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि भूमिहीन और एग्रीकल्चरिस्ट में जो डिफरेन्स दिया गया है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान में रखते हुए लोगों को जमीन अलॉट की जावे । क्योंकि लैंडलैस वे ही लोग ज्यादातर हैं जो वर्षों से सताये हुए हैं और उनके पास जमीन कम है और ऐसे आदमियों की गणना की जावे कि कितने आदमी ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं । अगर इस प्रकार की गणना की जावे तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ७५ प्रतिशत ऐसे लोग आपको शिड्यूल्ड कास्ट के ही मिलेंगे । तो सीलिंग से जो जमीन हमको मिले उसमें से ७५ प्रतिशत नहीं तो कम से कम ५० प्रतिशत तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिये दी जाने की व्यवस्था की जावे ताकि बाकी की बची ५० प्रतिशत जमीन दूसरे लोगों को दी जावे । क्योंकि भूमिहीन ज्यादातर वे ही लोग हैं जो वर्षों से दूसरों की जमीन पर काम करते आए हैं । आज उनके लिए सुनहरा अवसर आया है । इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन लोगों को दिल खोल कर भूमि दें और साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मुआवजा..........

श्री उपाध्यक्ष : श्री यादव ।

श्री रामचन्द्र : (जारी) जो दिलाया जावेगा वह इतना ज्यादा होगा कि वह गरीब भूमिहीन किसान किसी प्रकार से चुका न सकेगा । इसके लिए मेरा यही निवेदन है कि जिस तरह से और स्टेटों ने शिड्यूल्ड ट्राइब्स को अनुदान देने में सहायता दी है उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी मुआवजा देने के मौके पर जिस समय मुआवजा देने का मौका आवे तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों

(श्री रामचन्द्र)

को अनुदान देकर सहायता करे । यही मेरा कहना है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ । यह सत्य है कि जब यह बिल सलेक्ट कमेटी से निकला, इसमें कई ऐसी चीजें थीं जो ऑब्जेक्शनेबल थीं और जो हमारी घोषित नीति थी ....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I think the Hon'ble Member is casting some aspersions on the members of the Select Commitee.

श्री सोहनलाल भटनागर : I am not casting,

श्री श्रीभानसिंह : What does it mean that this is objectionable.

श्री सोहनलाल भटनागर : No. No. It is not objectionable.

श्री श्रीभानसिंह : I will try to know what does he mean by saying that there were certain things which were objectionable. Probably the Hon'ble Member was also a Member.

श्री उपाध्यक्ष : I hope you will kindly explain the position and go on with the debate.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, उसमें कुछ ऐसी चीजें थीं जो कई लोगों को मान्य नहीं थीं और मेरे खयाल से जब वह इस सदन में सेकिन्ड रीडिंग में गुजरा है उसमें काफ़ी सुधार हुए। अब हमें यह देखना है कि यह हमारी घोषित नीति में किस तरह से फिट बैठता है। राजस्थान भूमि सुधार के मामलों में कई स्टेटों से आगे हैं और क्या यह बिल भी उसे प्रतिपादित करता है या नहीं ? यह देखना है कि भूमिसुधार का मामला है, सारे देश की स्थिति को देखते हुए सारे देश में यह किस तरह लागू होता है। अलग अलग प्रदेशों की स्थिति को देखते हुए इसमें फ़र्क हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी क्राइटेरिया है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि यह एक बहुत प्रगतिशील कदम कहा जा सकता है। कोई यह नहीं कह सकता कि यह बहुत ही प्रगतिशील पार्टी है उसको ही संतुष्ट कर सकता है न कोई यह कह सकता है कि रिएक्शनरी पार्टी को ही संतुष्ट कर सकता है। इसलिये मैं कह सकता हूँ कि यह एक बहुत बीच का कदम है और राजस्थान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो भी इस बिल में प्रावधान है काफ़ी ठीक हैं, काफ़ी जस्ट और इक्विटेबल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने सीलिंग के प्रश्न को लेकर और कई अन्य माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी कहूँगा कि जो पहले स्टेन्डर्ड एकड़ का विरोध किया था वह इसलिये कि यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु है और ऐसी स्थिति में ऐसा फार्मूला प्राप्त करना जो सारी स्थितियों में फ़िट बैठ सके, ठीक नहीं था। इसलिये माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो पहले ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का फार्मूला रखा उसी पर कायम रहे, मेरे खयाल से वह ठीक है। एक बात यह थी कि इसके बारे में यह हो सकता है कि यह बहुत कम्प्लीकेटेड है और मैं समझता हूँ और आशा

(श्री सोहनलाल)

करता हूँ कि यह बात माननीय राजस्व मंत्रीजी के दिमाग में भी है। अगर दूसरा फॉर्मूला हो सकता तो वे अवश्य इसमें परिवर्तन कर सकते थे। दूसरा कोई फॉर्मूला नजर नहीं आया। अगर हमें सीलिंग बिल और एक्ट को पास करना है तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसको वर्क आउट शीघ्र से शीघ्र किया जावे। सब रेकॉर्ड सरकार के पास हैं और अलग अलग तहसीलों के लिए जो भी क्राइटेरिया रखा है उसके अनुसार वर्क आउट किया जा सकता है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इसको लागू करने में कोई डिले नहीं करेंगे। मैं राजस्व मंत्रीजी से चाहूँगा कि वे निश्चित तारीख बतादेंता कि राजस्थान के लोगों और माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात न रहे कि पहले आपने जैसे सीलिंग की बात १९५३ में कही और कहीं ऐसा न हो जावे, फॉर्मूला का प्रश्न इतना जटिल न रह जावे कि उनको सुलझाने में दो वर्ष लग जावें।

(४ म० प०)

दूसरी जो चीज है, उपाध्यक्ष महोदय, वह है ट्रान्स्फर्स के बारे में। यह बात बिलकुल ठीक है कि बिल में और सिलेक्ट कमेटी द्वारा जो ट्रान्सफर्स की डेट रखी गई थी उसको बदला गया है। दूसरे प्रदेशों के बिल को देखना है, उनमें भी तारीखें हैं, जो कुछ क्राइटेरिया माननीय राजस्व मंत्रीजी ने दिया, जिस दिन बिल पेश हुआ था, गजट में शाया हो गया था और चूंकि राजस्थान निवासी इसके लिए जान गये थे तो वह डेट रखना उचित नहीं है, फरवरी की तारीख देना ही ठीक है। कल एग्रीकल्चरिस्ट को एग्जम्पशन दिया है कि चाहे खेती करे या नहीं लेकिन इसमें बहुत बड़ा सुधार कर दिया गया है कि लैंडलैस को ट्रान्सफर की जावेगी तो रिकॉग्नाइज किया जावेगा--खाली एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं। यह एक बड़ा इम्प्रूवमेन्ट है।

एग्जम्पशन का जहां तक सवाल है, उसके लिए भी निवेदन करना चाहूँगा कि कई माननीय सदस्यों ने एतराज उपस्थित किये, मैंने भी संशोधन रखे। एग्जम्पशन के सवाल को ऑल इन्डिया बेसिस पर देख सकते हैं और उससे भिन्न विचार नहीं रख सकते। माननीय राजस्व मंत्रीजी का आभारी हूँ कि शुगर फार्म के लिए प्रोविजो एड करके फिक्टिशियस फार्म को प्रोत्साहन नहीं दिया है-- उसके लिए मैं आभारी हूँ और वैल मैकेनाइज्ड फार्म के लिए जो क्राइटेरिया बताया है, रूल्स में भी वही क्राइटेरिया रखा जावेगा और फिक्टिशियस और सीलिंग के उद्देश्य को डिफ़ीट करने के लिए जो चतुर व्यक्ति हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। वे उसको डिफ़ीट नहीं कर पायेंगे। मैं आशा करता हूँ कि एग्जम्पशन का सवाल इस दृष्टि से हल किया जावेगा।

कम्पेन्सेशन पर काफी बहस हो चुकी है और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मल्टीपल ऑफ रेन्ट की जो पॉलिसी बताई है,— दूसरे प्रदेशों में जो किया गया वह भी यहां बताया गया,— मैंने भी इसमें संशोधन रखा जो फॉर्मूला रखा गया उसको मान लिया गया। इसके सिवाय कोई दूसरा बेसिस अच्छा नहीं हो सकता था। रेट की पॉलिसी जागीरदारी रिजम्पशन में और टिनेन्सी में खातेदारी के लिए भी मानी है। मैं आशा करता हूँ कि जो अधिकार सरकार के पास रखे गये हैं

(श्री सोहनलाल)

उनको काम में लेते हुए जो ज़मीन लैंडलैस को डिस्ट्रिब्यूट करना है, नियम बनाने हैं उनके लिए सरकार सतर्क रहेगी और गत वर्षों से जो प्रगतिशील कदम उठाते चले आ रहे हैं, वही गति जारी रही तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि लाखों भूमिहीन किसानों को इस बिल से जो अब एक्ट के शक्ल में आवेगा, राहत मिलेगी।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसा विधेयक पास करने जा रहे हैं जिसको राजस्थान के बहुत से किसान बड़ी उत्कंठा से देख रहे थे, या विचार कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को, उन्होंने जो एक प्रगतिशील विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ लेकिन साथ ही मैं कुछ उलाहना भी इस बात का दे रहा हूँ कि कुछ स्टेजेज से यह विधेयक गुजरने के बाद आज जिस तारीख से पास होने जा रहा है वह पास होने के बाद वास्तव में जो इसका मन्तव्य रखा गया था वह कितना सफल हो सकेगा—इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं उन्हें इस बात का उलाहना भी दे रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमि क्रांति है, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमारा मन्तव्य है कि भूमिहीनों को भूमि मिले। वह काश्तकार जो मुद्दतों से काश्त करता चला आ रहा है लेकिन उसके पास ज़मीन है नहीं, जो दूसरों की ज़मीन पर मज़दूरी करता रहा है उसको भूमि मिले जिससे वह अपना गुजरान कर सके और अपना स्टेन्डर्ड मेन्टेन कर सके और देश में अन्न ज्यादा पैदा कर सके। यही मन्तव्य सीलिंग का है। जो जमीन खाली पड़ी है उनको मिले। जिस ज़मीन से लोग दूसरे लोगों का शोषण कर रहे थे वह उनके हाथ से निकाल कर दूसरे लोगों के पास, उन गरीबों के पास पहुंचाई जाय। यही मन्तव्य सीलिंग का है। हम विधेयक को आज पूर्ण रूप से पास करने जा रहे हैं, वह पास होने पर क्या हम इन मुद्दों को सुलझा सकेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सीलिंग के क्लॉजेज पास किये। पहला क्लॉज सीमा निर्धारण का है उसमें भी कई कमियां नजर आयीं। एक तो सबसे बड़ी कमी जो वास्तव में रख दी गई है वह यह है कि किसी तहसील में, किसी गांव में, कितनी कितनी ज़मीन रह सकेगी पांच आदमियों के परिवार के पीछे या दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि कितने एकड़ व कितनी बीघा जमीन अमुक परिवार के पास रह सकेगी उसका केल्कुलेशन विधान सभा से पास न करवाने से काफ़ी डिफ़ेक्ट्स बाद में रहेंगे और उसका जो नतीजा होगा वह भी हमारे सामने स्पष्ट है। शिड्यूल के न देने से कई कमियां रह गई हैं। मुझे भय है, कानून लागू करने की डेट को बढ़ाना पड़ेगा और नहीं बढ़ाते हैं और जल्दी में लागू कर देते हैं तो शिड्यूल तैयार नहीं होगा तो क्या हालत होगी? कितनी जमीन निकाल सकेंगे—कल कितनों के पास कितनी कितने जमीन रह सकेगी? यह केल्कुलेशन की चीज़ है और इसको गवनमेंट की मशीनरी पर रख दिया गया है। यह मामला उन पर डिपेन्डेड है। इसमें होगा क्या? रिश्तखोरी बढ़ेगी। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का उत्तर यह होगा कि आठ-दस साल का एवरेज लगा कर पूर्ण रूप से केल्कुलेशन करेंगे। लेकिन आज तक के अमेन्डमेन्ट्स के

Page No.96

(श्री मोहरसिंह)

इतिहास को सामने रख कर मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में खतरा है और इस प्रकार की चीज राजस्थान में है। मेरे पास इस प्रकार की रिपोर्ट्स हैं जिसमें बहुत से बी०डी० ओज के द्वारा किसानों से इनाम का लोभ देकर कहलाया जाता है कि १ बीघा में कितनी पैदावार है यह बताओ, जब कि स्थिति भिन्न होगी वे इनाम के लालच में ज्यादा ही बतावेंगे। इसलिए शिड्यूल के नहीं रखे जाने से बड़ी गड़बड़ी फैल जावेगी। केल्कुलेशन के बारे में जो स्थिति है वह मैंने रखी है, माननीय राजस्व मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे।

एक क्लॉज में छोटी सी चीज आयी है। प्रवर-समिति और माननीय सदस्यों ने चाही और बारानी के विषय में विचार व्यक्त किये। उसके लिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि चाही और बारानी को बराबर नहीं मानना चाहिये और इर्रिगेटेड लैंड के बराबर मान लें, यह भी न्याय नहीं होगा। इसमें कुछ डिफरेन्स करना होगा। कुओं से पानी निकालने में जितना खर्चा होता है वह नहीं हो सकता इर्रिगेटेड के बराबर। फ़र्क रहता है उसके लिए। चाही तथा बारानी की सीमा में अन्तर अवश्य किया जाना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु) : माननीय सदस्य को पता नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मोहरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो ट्रान्स्फर का क्लॉज आया है उसके लिये यह महसूस करता हूँ कि इसके अन्दर पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं आया है। इस विधेयक के पास करने के बाद जब यह अधिनियम लागू होगा—उसके बाद में कितना क्या कुछ असर पड़ेगा वह हमें देखना होगा। इसके अन्दर राजस्व मंत्री महोदय ने अमेन्डमेन्ट रखा है वह वैसा का वैसा पास हो गया तो उसमें कई प्रकार की खामियां रही हैं। एक तो इसमें है 'बाई वे ऑफ़ पार्टीशन'। यह जो बटवारा है वह क्या सीलिंग एरिया से नीचे की जमीन का है या ऊपर का, यह स्पष्टीकरण नहीं है।

दूसरा लैंडलैस कौन है ? आज तक जो खेतिहर मजदूर रहा है या उसके पास जमीन बाकी रही है उसका भी स्पष्टीकरण आना चाहिये था।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : लैन्ड लैस टिनेन्ट की डेफिनेशन में यह दिया हुआ है।

श्री मोहरसिंह : इसके साथ साथ 'रिकॉग्नाइज्ड' शब्द भी आया है इसको कौन साबित करेगा ? वह आदमी जमीन बेचेगा या कौन ? कानून के लागू होने के बाद जब तक हम शिड्यूल नहीं बना देते तब तक यह स्पष्ट नहीं हो सकता। जब तक इस बारे में किसी प्रकार का सर्क्युलर नहीं निकाल देते हैं, इस बात का खतरा है। सीलिंग से कम जमीन है और उसको ट्रान्सफर कर दिया गया हो उसके बारे में क्या होगा; इससे तो वह जमीन खाली भी पड़ी रह सकती है।

आज जिस प्रकार का कानून बना है उससे तो यह असर रहेगा कि जो लोग अपनी शक्ति अन्न उपजाने में लगाना चाहते थे उनको अपनी शक्ति मुकदमें बाजी में लगानी पड़ेगी। इन सारी चीजों के साथ साथ इस

(श्री मोहरसिंह)

क्लॉज के अन्दर जिन किसानों का डवेलपमेंट पर खर्च हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं रखा गया है। इससे उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग का मकसद है या इससे जिस मंजिले-मकसद तक हम पहुंचना चाहते हैं वह बिल्कुल खत्म कर दिया है। जैसे एक हौज बना डाला—उससे जो बहुत सी नालियां निकलती हैं उससे आपने पानी निकाला है। इस तरह से एक तरफ तो आप कुछ देने लगे हैं—जमीन दी जायगी भूमिहीनों को लेकिन इस बिल के पास होने के बाद कितनी जमीन भूमिहीनों को मिलेगी यह पता नहीं चलता। इसके साथ साथ जो एग्जेम्पशन की धारा हमने रखी है उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं उससे वास्तव में भूमिहीनों को कुछ नहीं मिल सकेगा।

एक माननीय सदस्य : वह तो पास हो गया।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मिल मालिक हैं—उसके साथ साथ मिल मालिक को बड़े बड़े शुगर फॉर्म्स रखने की छूट दी है। वास्तव में जो समाजवाद का नारा लगाते हैं लेकिन कानून द्वारा जिस जिस प्रकार की एग्जेम्पशन हम देने जा रहे हैं--शुगर फैक्टरीज के लिये एग्जेम्पशन दे रहे हैं--इसमें मिल मालकों को जमीन देकर के हम किसानों के हकों पर कुठाराघात कर रहे हैं।

इसके साथ साथ जो वैल मैनेज्ड फार्म के नाम पर भी बड़ी बड़ी जमीन कुछ चन्द आदमियों के पास रखना चाहते हैं। यह भी हमारे समाजवाद के नारे के खिलाफ है। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय जो जो डिफेक्ट इस बिल में रखे गये हैं उनका मैंने दिग्दर्शन कराया है—इस कारण मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े ब्रोड माइन्डेडनैस से, डेमोक्रेटिक एप्रोच से इस बिल को बड़ी योग्यता से पायलॉट किया है। एबीलिटी से इसलिये कि यह बिल १३, १४ रोज से हमारे इस हाउस में विचारार्थ है, उससे यह साफ जाहिर है कि यह अपहील टास्क था--इसको पेश करने में कई चैन्जेज आये। एक तरफ तो लैंडलैस के लिये इसमें प्रोविजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ फैमीलीज़ ऐसी थी जिन पर इससे कुछ कुठाराघात भी होता था। तीसरी तरफ कम्पेन्सेशन का सवाल था। इतने कॉम्पलीकेशन्स होते हुए भी, इतने कन्ट्रोवरशियल क्लॉज होते हुए भी और डिफरेन्टक्राइटेरिया होते हुए भी कम्पेन्सेशन के क्लॉज़ पर पूरा डिस्कशन हो करके एक क्राइटेरिया हमने रखा है जिनके लिये कहा जा सकता है शायद मेजोरिटी और ग्रेटेस्ट कॉमन एग्रीमेन्ट का समावेश था।

यह मैं जरूर मानता हूँ कि कहीं किसी व्यक्ति के लिये या किसी इलाके के लिये जस्ट हो सकता है और किसी इलाके के लिये अनजस्ट भी हो सकता है मगर सारे बिल के आन दी होल इफ़ेक्ट्स को हम देखें तो यह कहा जा सकता है यह बिल एक प्रोग्रेसिव बिल है। इसके जो इफेक्ट्स होंगे—इकोनोमिकली, सोशियली और पोलिटिकली-वह एक तरह से प्रोग्रेसिव

(श्री श्रीमानसिंह)

कदम है। इन तारीफों के बाद मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि जहां हम इस बात की तारीफ करते हैं—अभी कुछ महीनों पहले डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन को हमने इन्ट्रोड्यूस किया है—जिस समय यह प्रोसेस में था उस टाइम पर मेरे दिमाग में सस्पेन्स था, सस्पेन्शन यों था कि हम सब रूरल एरिया से वाकिफ़ हैं। जिस तरह से रूरल एरिया के अन्दर डिस्टेन्शन है सोशियली, इकोनोमिकली और कास्ट्स के कारण उससे मैं यह आशा लगाये बैठा था कि हमारे डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन का मकसद हल नहीं होगा। लेकिन इस सीलिंग के लागू करने से उसकी नींव मजबूत हो गई है। जो अगर इस प्रकार का भूमि वितरण नहीं होता, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की जो इन्स्टीट्यूशन थी उसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग आते। रूरल एरिया के अन्दर जिनके पॉवर चाहे कास्ट्स की वजह से हो मगर सोशियल वर्क की वजह से नहीं, कन्स्ट्रक्टिव वर्क की वज़ह से नहीं, वेल्थ की वजह से है, उनको इससे काफी धक्का पहुँचा है और इससे डेमोक्रेसी को स्ट्रेन्थन किया तो केवल इस सीलिंग बिल ने किया है।

इसका सबसे बड़ा इफेक्ट यही है कि जनतन्त्र की नींव को जो अगर आज तक के लैंड रिफोर्म्स में किसी ने मज़बूत किया है तो इस सीलिंग बिल ने किया है। इसके लिये जो अगर मैं माननीय मन्त्री महोदय को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करूंगा तो I will be very unjust to him.

तो डेमोक्रेसी के अन्दर जनतन्त्र का सिद्धान्त इक्वेलिटी पर है। जो मेजर इस इक्वेलिटी को हिन्डेन्स करता है, उस मेजर को यह बिल रोकता है और जो जनतन्त्र के एडीफ़िस और नींव को मेजर मज़बूत करता है उन मेज़र्स को यह सपोर्ट करता है और वह नींव और एडीफ़िस जो जनतन्त्र का है जिसको कास्टिज्म का डेन्जर है, वेस्टेड इन्टरेस्ट का डेन्जर है या था जोकि इसकी नींव को हल्का कर देते हैं। उस डेन्जर को अगर किसी ने वापिस आउट किया है तो इस सीलिंग ने किया है और वह आगे भी करेगा।

तो यह कहने के बाद मेरी कुछ ग्रीवेन्सेज भी हैं। और वे सबसे पहले यह है कि सीलिंग बिल के अन्दर फ्यूचर में कोई लैंड एक्वायर करके एक्सेस लैंड एक्वायर न करें सीलिंग से, इसका तो प्रावधान है और फ्यूचर में लैंड एक्वायर करना भी नहीं चाहिये किसी को। मगर मेरा मेन ऑब्जेक्शन है वह लोअर लेवल पर है कि हमको जो कुछ सीलिंग लैंड मिली उस को हम लैंडलैस को देंगे, मगर इस बिल में ऐसा कौनसा प्रोविज़न है कि जिन लैंडलैस को हम ज़मीन देंगे वे फिर से लैंडलैस न हो जाए यानि उनको उस जमीन पर बनाये रखने का प्रोविजन इसमें क्या है कि वे बदस्तूर काश्त करते रहें। पहला तो यह।

दूसरा यह कि उनको जो जमीन मिली वह जमीन कह नहीं सकता, कितनी होल्डिंग होगी, करेगी, पर इसके डिविज़न के लिये और सब-डिवीजन के लिये क्या रखा है? अगर वह ज़मीन डिवाइड या सब-डिवाइड होकर वर्थलैस जो यूनिट हो गई तो नतीजा यह होगा कि जो लैंडलैस फेमिली उस पर डिपेन्ड कर रही होगी, उसका गुज़ारा उससे नहीं चल पावेगा और वह उसको छोड़ कर दूसरा ओकुपेशन अख्तियार कर लेगी।

(श्री श्रीभानसिंह)

तीसरा मेरा ऑब्जेक्शन सीलिंग एरिया पर है। सीलिंग एरिया में यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान में ३० एकड़ का इकॉनोमिक यूनिट है और जिस यूनिट पर एक फेमिली ऑफ पांच या सिक्स मेम्बर्स को कन्टीन्यूअस एम्प्लोयमेन्ट मिलेगा। उसमें उनके लायक प्रोडक्सन होगा और इससे उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। तो एम्प्लोयमेन्ट और प्रोडक्शन सभी दृष्टियों से ३० स्टेन्डर्ड एकड़ इकॉनोमिक ऑप्टिमम होल्डिंग है राजस्थान के लिये। पर इसको दूसरे दृष्टि-कोण से देखा जावे कि पांच या छः मेम्बर के एडीशन में और दो चार मेम्बर या चिल्डरन अगर फेमिली में बढ़ते हैं तो उनका क्या होगा। इससे तीस एकड़ पर दबाव पड़ेगा और अगर सक्सेशन ला की वजह से वह भूमि अगर डिवाइड होती है या सब-डिवाइड होती है, जिसको रोका जाना कठिन है, तो वह अनइकॉनोमिक युनिट हो जाता है, तो अब इस पर क्या तरीका अख्तियार किया जावेगा, इसका जिक्र इसमें नहीं है। वह तो नहीं हो सकता कि फेमिली मेम्बर क्लेम नहीं कर सकते। जो चिल्डरन होंगे, करेंगे, दो बच्चे हैं वे कल जाकर बड़े होंगे करेंगे, तो उनको अधिकार देंगे, करेंगे तो इस दृष्टि से इस कानून में जो सबसे बड़ी खामी महसूस हुई मुझे वह यह हुई है। तो लोअर लेवल पर लैंडलैस न होने देने की गारन्टी की जावे और अपर लवल पर वह इकोनोमिक होल्डिंग बना रहे, ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से कम न होने देना चाहिये। इसका प्रावधान होना चाहिये।

दूसरी बात, इसके इम्प्लीमेंटेशन में मुझे शक होता है। क्यों? मैं यह नहीं मिसट्रस्ट करके कहना चाहता कि गवर्नमेंट ऑफीसर करप्ट हैं। मैं यह नहीं मानता। बहुत ऑनेस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफीसर और यह भी मैं मानकर चलता हूँ कि इस बिल को वर्क आउट कराने में उनका उपयोग होगा और जो क्रिटिक्स हैं वे उनको लेकर इसके विरोध में वातावरण बनावेंगे। पर जहां तक एक रूरल एरिया की नीड का सवाल है, उसको जानते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते। आज तक का मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है वह यही बताता है। जितनी भी आपने लैंड अलॉटमेंट कमेटियां बनाई हैं वे फेल्योर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स मुझे इस बात के कहने के लिये क्षमा करेंगे कि वे माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के प्रेशर के नीचे रहते हैं और बहुत से प्रेशर से लैंड अलॉट करते हैं, की हैं, चाहे कलेक्टर ने की हैं, या कमिश्नर ने की हों। बहुत से जो नॉन ऑफिशियल हैं, मैं माननीय सदस्यों के लिये नहीं कहता, पर उन पर भी पोलिटिकल प्रेशर रहता है। आज मुझे यह कहने की इज़ाज़त दें कि यह अलॉटमेंट पोलिटिकल प्रेशर से फ्री नहीं है। फेवरेटिज्म कह लीजिये इसे, पर जस्टिस के क्राइटेरिया से अलॉट नहीं हुआ। तो जब लैंड अलॉटमेंट कमेटी फेल्योर हुई तो इसके लिये हमें एक दूसरी तरह का ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा चाहे वह तहसील हैड क्वार्टर पर हो या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर हो, पर यह होना जरूरी है, जनता के, लैंडलैस के हित और सुविधा के लिए। फिर चाहे आप इसे पंचायतों को अलॉट कर दें, आज आपने जो डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन के मातहत जो पंचायत समितियां या जिला परिषदें बनाई हैं, उनके सुपुर्द कर दें। कोई भी एजेन्सी आप रक्खें। पर वह एजेन्सी होनी ऐसी चाहिये कि न तो

Page No.100

(श्री श्रीभानसिंह)

वह ब्यूरोक्रेटिक हो न इनएफिशियेन्ट हो। तो इन एग्ज़िस्टिंग इन्स्टिट्यूशन्स को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पर एजेन्सी ऐसी हो कि जो रूरल एरिया की नीड्स को समझे। आज तो ब्यूरोक्रेसी वेलफ़ेयर स्टेट में होते हुए भी वेलफ़ेयर के कन्सेप्ट को नहीं समझते। ये सरकारी अधिकारी, अभी उनके और जनता के बीच में वही गैप बना हुआ है जिसकी वजह से आज ब्यूरोक्रेसी पर अटैक होता है। तो हमको ऐसे आदमी चाहियें जो लैंड दिलाने करने के लिये जो रूरल नीड को समझें, जो अलॉट कराने के लिए आते हैं, उनकी नीड्स को समझें। स्टेट की सब चीज़ों को देख कर करें। तो लैंड कमीशन या ट्रिब्यूनल सीलिंग मेजर को एग्ज़ीक्यूट करने के लिये अनिवार्य है।

अन्त में, क्योंकि टेन मिनिट्स ही है अलॉट...........

श्री उपाध्यक्ष : But you have exceeded by three minutes already.

श्री श्रीभानसिंह : अन्त में मैं सिर्फ़ इस क्राइटेरिया पर आऊंगा जो सीलिंग का क्राइटेरिया है और मैं इसका पहले भी क्रिटेक था और अब भी हूँ और रहूँगा इसका क्रिटेक। क्योंकि मेरी समझ में यह सीलिंग क्राइटेरिया नहीं आया। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स पर हो यह तो समझ में आता है पर जो टेन टाइम्स का क्राइटेरिया है-अब भी इसके लिए कहता हूँ कि यह सीलिंग ऑफ़ ऑन प्रोडक्शन आपने लागू किया है। जिसने १५ मन पैदाकर राजस्थान के लिये कन्ट्रीब्यूट किया, आपके नेशन के लिये कन्ट्रीब्यूट किया, उसने आपका काम हल्का किया उस आदमी ने फ़र्टिलाइज़र यूज़ किया, अच्छा बीज यूज़ किया, अच्छी मेहनत की अपना सारा अटेन्शन उधर डाइवर्ट किया, अपनी इन्टेलीजेन्स और इनर्जी पूरी तरह डाइवर्ट की और इस तरह कन्ट्री की फ़ूड प्रोडक्शन की समस्या को हल किया, उसकी स्केयरसिटी को मिटाने के लिए उसने अपने सब रिसोर्सेज़ लगाकर लैंड को डेवेलप करके १० मन से ज्यादा प्रोड्यूस किया तो आज इसका आपने ध्यान नहीं रक्खा, उसकी कोई कद्र इस कानून में नहीं की गई। आपका यह दस मन का क्राइटेरिया नोवल क्राइटेरिया हो सकता है पर अधिक प्रोडक्शन करने वालों को एन्करेज नहीं डिसकरेज़ करने वाला है। इस पर सबने कहा कि यह कानून कम्प्लीकेटेड है। इसके वर्किंग में डिफ़ीकल्टी है। पर मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस क्राइटेरिया का है। सीलिंग ऑफ़ लैंड के बजाय सीलिंग ऑफ़ प्रोडक्शन कर दिया आपने राजस्थान में। तो यह क्राइटेरिया जो सीलिंग ऑन प्रोडक्शन पर लग गया है यह इनीशियेटिव डिस्करेजिंग रहेगा। और मैं यह कह नहीं सकता, मगर बहुत से पोलिटिकल एडवेन्चरर्स इस स्थिति को आपके खिलाफ़ एक्सप्लोइट करेंगे। यह नहीं करेंगे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, पर अपने भाषणों में कह सकते हैं कि आपने ज्यादा पैदावार की इसलिये राजस्थान सरकार ने सीलिंग लगाई और दस मन का क्राइटेरिया लगाया। यह वर्सन हो सकता है। यह एप्रोच हो सकता है, और होगा और इसका जवाब देने के लिये आपको, हमको काफ़ी दिक्कत आवेगी। इसलिये और देशों में तीस स्टेन्डर्ड एकड़ रक्खा है प्रोडक्शन का क्राइटेरिया,

(श्री श्रीभानसिंह)

जहां तक मेरा ख्याल है, किसी ने नहीं रक्खा और जहां कहीं भी लैंड डिस्ट्रिब्यूट हुई है, पॉपुलेशन को देखकर हुई, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ इन्डिविजुअल को देखकर हुई है। पर प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर कहीं नहीं हुआ। तो इन चीजों पर कम से कम मेरा मतभेद है। अन्त में मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि जितनी एक्सपीडिशियसली आप इस सीलिंग को इम्पलीमेन्ट करेंगे, जितनी आप इससे इक्वेलिटी रूरल एरिया में लायेंगे उतना ही आपको डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन को स्ट्रॉंग करने का क्रेडिट मैं अब देता हूँ और जनता भी देगी कि आपने रूरल एरिया का जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर वेल्दी क्लास डोमीनेट करती है उसके स्ट्रक्चर को you would have changed in favour of the common man, in favour of democracy, in favour of the people who want equality, liberty and justice.

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में, जिस कानून को यह सदन पास करने जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह कानून हमारे लैंड रिफार्म्स के लिहाज से बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही आवश्यक कानून था कि जो राजस्थान के लैंड रिफार्म्स के इतिहास में इस सीलिंग का कानून, जिसको हम पास करने जा रहे हैं--यों कहना चाहिए कि बहुत सी रायें इसमें हो सकती हैं लेकिन जहां तक इस कानून के उद्देश्यों का संबंध है, यह हम कह सकते हैं कि सही तरीके से राजस्थान के अन्दर ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि जिसका इतिहास के अन्दर नाम रहेगा और जो भूमिहीन किसान हैं या यों कहना चाहिए कि जो जमीन के ऊपर इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए, समाजवादी समाज का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति करने के लिए, जहां तक जमीन का सम्बन्ध है, जा रहे हैं। उसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि सदन के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने अपना बहुत सहयोग दिया है और बहुत कन्सट्रक्टिव सजेशन्स दिये हैं। जहां तक कोशिश हो सकी है उन सब कन्सट्रक्टिव सजेशन्स को देखते हुए उन्होंने इस कानून को इस तरह का बनाया है कि जिससे हमारा मकसद पूरा होगा। यह बात सही है कि कुछ खामियां इसमें बताई जाती हैं और कुछ मुश्किलात इसके इम्पलीमेन्टेशन में बताई जाती हैं, और हो सकता है कि जब क्लॉज बाई क्लॉज इस बिल को लिया गया तो वक्त वक्त पर मैंने अपने विचार रखे थे कि सीलिंग एरिया के फिक्स करने में दिक्कत आ सकती है और वह सीलिंग एरिया क्या होना चाहिए। पर सीलिंग एरिया मुकर्रर करने का जो क्राइटेरिया हमने प्रोडक्शन पर फिक्स करने का एडॉप्ट किया है, उसके ऊपर अभी माननीय सदस्य बयाना से आये हुए हैं उन्होंने अपनी दिक्कतें पेश कीं। मैं इस बात को मानता हूं कि इसके एरिया को वर्क आउट करने में दिक्कत तो नहीं बल्कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मैं कह देता हूं कि इसके वर्क आउट करने में कोई मुश्किलात पेश करने में नहीं आयेंगी। मैंने आपसे अर्ज किया था कि हम राजस्थान

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के अन्दर सीलिंग का एरिया कोई मुकर्रर करें तो दूसरी जगह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है और हमारे यहां राजस्थान में बारानी एरिया बहुत ज्यादा है और इर्रिगेटेड बहुत कम है। फिर इसके अलावा अलग अलग जगह अलग अलग सोइल और प्रोडक्टिव कैपेसटी है। हर चीज़ यहां की ऐसी डिफरेन्ट है कि हम उसको एप्लाई नहीं कर सकते। पेरेनियल इर्रिगेशन, गंग केनाल और भाखरा के के सिवाय और कहीं पर भी नहीं है। उसको अगर कन्वर्ट करते हैं दूसरी जगह को देख कर और १:३ का रेशो रखते तो बहुत मुश्किल था। बारानी जमीन का जहां तक संबंध है और उसकी पैदावार का जहां तक संबंध है, वह एक जगह से दूसरी बहुत डिफरेन्ट है। अगर हम राजस्थान को डिवाइड करें तो तीन भागों में कर सकते हैं-एक तो फर्टाइल, सेमी फर्टाइल और एरिड। फर्टाइल और एरिड को फिर आगे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि जो डेजर्टेड एरिया हैं उनमें भी जमीन सब जगह एक सी नहीं है। इसलिए हम सिर्फ १:३ का रेशो रख कर कन्वर्टेबल कर दें, पेरेनियल इर्रिगेशन को यह मुमकिन नहीं था। फिर सीलिंग फिक्स करने का बेस सिवाय प्रोडक्शन के ऊपर रखने के और कोई दूसरा नहीं हो सकता कि हम कोई एकड़ कायम करते। कुम्भलगढ़ जो उदयपुर में है, उसमें लैंड बहुत प्रोडक्टिव है पर लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। कन्वर्टेबल में कुछ न कुछ रेशो रखना पड़ता है और इस तरह से लैंड की वहां पर कमी पड़ती और लैंड लैस की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती। बारानी जमीन भी एक जगह ५ मन पैदावार करती है वही बारानी दूसरी जगह सेमी फर्टाइल में ३ मन पर आ जाती है और एरिड में २ मन ही आता है। इसलिए यह मुमकिन नहीं था कि हम उस फार्मूला को एडॉप्ट करते। माननीय सदस्यों ने जो दिक्कत पेश की, बयाना से आने वालों ने, वह एप्रीशियेट करेंगे कि प्रोडक्शन के अलावा और किसी भी चीज के ऊपर सीलिंग को बेस नहीं कर सकते।

दूसरे इसको जहां तक वर्क आउट करने का सवाल है, तो इसके साथ साथ हमें डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड को भी देखना पड़ेगा कि वह किस तरह से होगा। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड में जो हमारे राजस्थान में एजेन्सी है उसने बहुत से गलत अलॉटमेन्ट किये हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि उसने गलत अलाटमेन्ट नहीं किये हों। फिर भी जो गलत अलॉटमेंट हमारे ध्यान में आते हैं उनके लिए हम एक्शन लेते हैं। लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे अलॉटमेंट को एग्जामिन करायें। लेकिन मौजूदा हालत में इससे ज्यादा अच्छी मशीनरी नहीं हो सकती कि जिसके द्वारा हम लैंड अलाट करायें। अलॉटमेंट कमेटी में हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं, पंचायत समिति के पंच और तहसील पंचायत के सरपंच भी हैं और अब तो पंचायत समिति के प्रधान को भी अलॉटमेन्ट कमेटी में एसोशियेट मेम्बर रख दिया है। इसके अलावा भी वक्त वक्त पर जो बुराइयां इसके बारे में हमारे सामने आई हैं उनके अनुसार हमने नियमों में सुधार किया है। जो आखिरी सुधार इस दिशा में किया है वह यह किया है कि मजमे—आम के अन्दर, जनरल मीटिंग के अन्दर तहसील अलॉटमेंट कमेटी पंचायत हेडक्वार्टर

Page No.103

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के ऊपर जाकर जो जो भूमिहीन हैं उन किसानों के नाम पड़ेंगी और वहां पर जिस किसी को भी एतराज हो कि फलां व्यक्ति बोगस किसान बनकर जमीन लेना चाहता है तो उसके एतराज पर गौर किया जायेगा और इस तरह गलत व्यक्ति को जमीन मिलने के चान्सेज नहीं रहेंगे। वर्ना जो पहले तरीका था कि पटवारी की रिपोर्ट के ऊपर भूमिहीन को भूमि मिल जाती थी उसको भी हमने एलिमीनेट करने की कोशिश की है। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जो डिस्ट्रिब्यूशन का तरीका है उसमें ऐसे चान्सेज हैं कि गलत व्यक्ति को जमीन मिल जायेगी तो वह हमें इसके बारे में सुझाव दें और हम उनको और मिनिमाइज करने के लिए कदम उठायेंगे। जो भी सुझाव यहां या सदन के बाहर माननीय सदस्य देंगे मैं उनके ऊपर जरूर अमल करूंगा। जो भी डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन के फलस्वरूप संस्थायें बनी हैं उनको यह अधिकार दे दिये जायें जिससे डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड जस्ट हो और गलत आदमी को नहीं मिले-उस पर आप कोई सुझाव दें तो उसको जरूर ध्यान में लेकर अमल करने की कोशिश करूंगा। अब रहा सवाल इस बात का कि जहां तक अलॉटमेंट के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का एतराज किया है कि हमने इस बिल के अन्दर इस बात का प्रोविजन नहीं किया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही अलॉटमेंट होगा और इन्डिविजुअल्स को नहीं होगा। इसके लिये इसमें कोई रूल्स नहीं रखे, और क्लीयरली गवर्नमेंट ने इन्डीकेट नहीं किया कि किस तरह से अलॉटमेंट करेंगे। तो मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह टिनेन्सी एक्ट का अमेंडमेंट है, और जहां तक टिनेन्सी एक्ट का ताल्लुक है उसके अन्दर अलॉटमेंट के तरीके प्रेस्काइब्ड नहीं किये हैं। उसके लिये एक दूसरा एक्ट है--लैंड रेवेन्यू एक्ट है। उसमें भूमि का अलॉटमेंट किसानों को, किस तरह से हो उसके नियम बनाने का सरकार को अधिकार दिया गया है, और सरकार लैंड अलॉटमेंट के रूल्स, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत में बना रही है। कई माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि भूमिहीन किसानों को अलॉटमेंट करने के लिये, भूमिहीन किसानों को अलॉटमेंट करने में शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के लिए, गोचर भूमि वगैरह के लिए, तथा किस तरह अलॉटमेंट होगा और अलॉटमेंट कमेटी किस तरह से बनेगी--इन सारी की सारी बातों का विस्तार से उन रूल्स के अन्दर प्रोविजन है। उसके बाद में नागपुर सेशन हुआ कांग्रेस का उसके बाद में गवर्नमेंट ने और चैन्जेज करके यह तय कर दिया है कि जितनी भी जमीन सरकार की पड़त होगी या दूसरों से जितनी भी जमीन एक्वायर होगी अथवा गवर्नमेंट एक्वायर करेगी वह सारी कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये लैण्डलैस टिनेन्ट्स को अलॉट की जायेगी, और किसी को नहीं की जायेगी, यह प्रोविजन रख दिया है। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो लैंडलैस टिनेन्ट्स की हैं उनके लिये यह प्रोविजन रख कर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि इसमें कुछ दिक्कतें जरूर हैं उन पर ध्यान दें। आज यदि यह कहें कि जितनी भी जमीन है वह केवल कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए ही देंगे और इन्डिविजुअल फार्मिंग के लिए नहीं देंगे तो सारी जमीन के लिए कोऑपरेटिव फार्म्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे और फिर एक्स्पेक्ट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कर सकते हैं कि उस जमीन पर काश्त हो। लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये जो सोसाइटी बनती है उन सबों को फीड करने की जरूरत है, उनको फाइनेन्स करने की जरूरत है। उनको सर्विस देना जरूरी है, फाइनेन्शियल एड, लोन वगैरह एवरीथिंग देना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से राजस्थान के अन्दर जितनी भी जमीन है उन पर काश्त करने के लिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग करने के लिए सोसाइटी बनाकर करें तो वह गवर्नमेंट के लिये पोसिबल नहीं है और न इतने फाइनेन्स हमारे पास एवेलेबल है। हमारी पॉलिसी अल्टीमेटली यही है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग किया जाय। इसमें दो राय नहीं है। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सके वह बनाई जायं और बाकी जो जमीन पड़त बची रहती है उसके लिये एक्ट में प्रोविजन किया है के अगर जमीन पड़त पड़ी हुई है और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन सकती हैं तो उसके ऊपर टेम्प्रेरी तौर पर एक साल के लिये कल्टीवेशन के लिए वह जमीन दी जा सकती है किसी इन्डिविजुअल को। मगर पर्मानेन्ट अलाटमेंट इन्डिविजुअल के नाम से नहीं होगा यह हमारी निश्चित पॉलिसी है। वह सिर्फ टेम्प्रेरी अलाटमेंट होगा। उसके बाद में वह कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये एवेलेबल होगी। हमारी निश्चित नीति यही है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये कोआपरेटिव सोसाइटी जो लैण्डलैस की होगी उन्हीं को जमीन अलाट की जावेगी, और वही इस जमीन पर काश्त करेंगे, मगर जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जांय, उस वक्त तक लैण्ड पड़ी न रहे उसके लिये टेम्प्रेरी कल्टीवेशन का रूल्स में प्रोविजन करके अलाटमेंट करने के लिये कहा है। वह एक साल के लिये, दो साल के लिये टेम्प्रेरी अलॉटमेंट होगा and then land will be reverted back and will be allotable to co-operative society of landless tenants.

इसलिए इसमें प्रोविजन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके लिये बराबर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के मातहत रूल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट को पॉवर्स थे उन पर ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, और रूल्स में इस बात का प्रोविजन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही लैण्ड का अलॉटमेंट होगा। आयन्दा जाकर उस चीज में रद्दोबदल कर सकते हैं या नहीं, यह बात नहीं। अलबत्ता लैंड अलॉटमेंट कमेटी का जो रूल्स में प्रोविजन है उसमें सुधार किया जा सकता है—जिस प्रकार के सुझाव माननीय सदस्य दें, उस बिना के ऊपर ताकि यह चान्सेज जैसे कि मैंने कहा एलिमिनेट हो जाय, और गलत आदमियों को अलॉटमेंट न हो जाय या कोई लैण्डलैस नहीं है वह कोआपरेटिव सोसाइटी में न घुस जाय। उसको रुकने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

अब तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैन्ड पॉलिसी का सवाल रह गया। इसलिये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैण्ड को पॉलिसी क्लियर है राजस्थान सरकार की और उस पॉलिसी को चैन्ज करने का सवाल पैदा नहीं होता है। वह ऑल इण्डिया की पॉलिसी है कोऑपरेटिव फार्मिंग की। उसके साथ साथ ज्योंही नागपुर रिजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस सेशन में और यहां पर गवर्नमेंट के ऑर्डर इश्यू हो गये थे अलाटमेंट बन्द करने के और कोऑपरेटिव सोसाइटी

Page No.105

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को अलॉट करने के लिये। उसमें तब्दीली करने का सवाल नहीं रहता।

अब तीसरी बात यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का एतराज किया है कि इस बात का प्रोविजन नहीं किया गया है कि जो लैण्डलैस टिनेंट्स हैं और जिसको जमीन दी गई वह फिर से लैण्ड लेस न हो जाय। मैं समझता हूँ कि यह एतराज बिल्कुल माकूल है। यह ठीक है कि जिन लैण्डलैस को जमीन दी तो यह राइट दे रखा है टिनेन्सी एक्ट में कि वह अपनी जमीन को एलाइनेट कर सकता है, बेच सकता है। उसके ट्रान्सफर पर रोक नहीं लगाई गई है। यह हो सकता है कि अलॉटमेंट करने के बाद में वह बेच दे और वापिस लैण्डलैस हो जाय........

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : They don't get the khatedari rights.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am coming to that.

तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि टिनेन्सी एक्ट बनाने के बाद में उसमें एक अमेंडमेंट किया है। वह अमेंडमेंट Perhaps it was in 1957 or 1958. Section 15 was amended on 23. 11. 1957.

१९५७ में इस एक्ट में इस बात का अमेंडमेंट किया है कि जिन लोगों को अलॉटमेंट की जायगी तो जमीन का अलॉटमेंट होने के बाद में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत १०१ सैक्शन के रूल्स में उनको खातेदारी राइट इमीजियेटली एक्रू नहीं होंगे। for a period of ten years वे लोग काश्त करते होंगे उनको सारे राइट्स होंगे। वह जो एप्रिहेन्शन है, डर है कि जिन लोगों को जमीन का अलॉटमेंट करेंगे वह भूमिहीन वापिस हो जायेगा, उसको रोकने के लिये प्रोविजन ऑलरेडी मौजूद है। इसलिये उस डर की आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : By way of devolution जो होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is another point of the Hon'ble Member and I am coming to that.

दूसरा पॉइन्ट जो माननीय सदस्य ने बतलाया कि डिविजन और सब-डिविजन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मैं अर्ज करता हूँ कि यह सीलिंग का लॉ अकेला नहीं है। It is not an independent law. यह टिनेन्सी एक्ट का पार्ट है। और टिनेन्सी एक्ट का जो पार्ट आलरेडी फिफ्थ अमेंडमेंट है जिसमें डिविजन और सब-डिविजन यानी पार्टीशन से डिविजन होता है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। उसमें आलरेडी गजट नोटिफिकेशन है कि different areas के अन्दर कोई सब-डिविजन नहीं होगा। अगर पार्टीशन होना लाजिमी है तो पार्टीशन में एन्टाइटल्ड हैं जमीन के उनमें से एक को-शेयरर उसको ले सकता है, बाकी उसके ऐसे फ्रेगमेन्ट्स नहीं होंगे जो कि अनइकॉनोमिक होंगे कि जिनकी वजह से आयन्दा जाकर एक डिफिकल्टी और हो जायगी कि फ्रेगमेन्ट्स ही फ्रेगमेन्ट्स और हो जायं जो कि काश्त के लिये किसी तरह से फायदेमन्द नहीं है, और बिल्कुल

Page No.106

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ही अनइकॉनोमिक है तो already there is a provision in Section 53 और सेक्शन ५३ के तहत में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू कर रखा है और हरेक एरिया में जमीन नोटीफाइड है इस वक्त कि इसके नीचे कोई सब-डिवेजन या पार्टीशन नहीं होगा। इसलिये यह खयाल माननीय सदस्य का उससे मीट हो जाता है।

दूसरी बात जो इम्प्लीमेन्टेशन की है उसके लिए अर्ज कर दूँ-डिस्ट्रिब्यूशन के लिए मैंने आपसे कह ही दिया। अब कुछ माननीय सदस्यों ने एग्जेम्पशन्स के बारे में भी काफी जोर दिया है और यह बात कही है कि गवर्नमेंट ने जो पॉवर्स लिये हैं, और उनके खयाल से एग्जीक्यूटिव ने पॉवर्स लिये हैं, उन पॉवर्स का मिसयूज हो सकता है। यहां पर कल भी बहस हुई थी इस दोरान में जब कि हम ३० आई को डिस्कस कर रहे थे, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पॉवर के लेने के पीछे यह नहीं है। गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी यही है कि लैण्डलैस पर्सन्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे। जो लैण्डलैस इन्डिविजुअल को देंगे वह एक टेम्प्रेरी होगा, और जिस किसी को जमीन अलॉट की जायेगी उसको ट्रान्सफर के राइट्स १० वर्ष तक नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट लॉ के खिलाफ किसी को अलाटमेंट नहीं कर सकती है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमें पावर रखना इसलिये जरूरी है कि एग्जास्टिव लिस्ट किसी बात की नहीं दी जा सकती है किसी लॉ के अन्दर, जैसे यह कहा जाय कि आर्मी पर्सोनल को उनको गेलेन्ट्री और वेलर के लिए जमीन दी गई, अभी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के आर्मी के चीफ ऑफ दी स्टाफ हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की अटेन्शन इस वक्त ड्रॉ की है कि जो गेलेन्ट्री और वेलर के लिए लैण्ड दी गई है उसके ऊपर सीलिंग लागू नहीं होना चाहिये।

बहुत से एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेज हैं जिनके पास जमीन है, उन पर अगर सीलिंग लागू करेंगे तो बड़ा नुकसान करेंगे। बहुत से ऐसे ट्रस्ट्स हैं, जिनके पास जमीन है उसको एग्जेम्पशन देना जरूरी हो सकता है, उनमें से कुछ को लेना समाज की भावना के विरुद्ध हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इन ट्रस्ट्स को एग्जेम्प्ट करना पड़े। इसी तरह से गौशालाओं का रिप्रजेन्टेशन आया हुआ है। गौशाला के लिये रूल्स भी बने हुए हैं। गौशालाओं को लैंड अलॉट भी करनी पड़ती है और जिनके पास है उनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब हमारे रूल्स ऐसे हैं, लॉ ऐसा है तो उनके खिलाफ किसी को एग्जेम्पशन देने का सवाल पैदा नहीं होता। उनके लिये जुडिशियल डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करना होगा। आर्बीट्रेरी कर देंगे तो वह चीज आज के युग में नहीं रहने वाली है। फिर इस सदन को तो सुप्रीम पॉवर हैं, अगर मिसयूज हुआ तो किसी भी वक्त टेक ओवर कर सकते हैं। प्रेसक्राइब्ड मेनर के बारे में कहा गया लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास मेनर प्रेसक्राइब करने के पॉवर और रूल मेकिंग पावर तो रखने ही पड़ेंगे। गवर्नमेन्ट को रूल मेकिंग पावर्स देने के बाद भी उनके लिए कई रेस्ट्रिक्शन्स हैं। जो रूल्स बनायेंगे उनका प्रीवियस पब्लिकेशन होगा। एक महीने की मियाद देकर ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करने पड़ेंगे और उनको डिस्पोज आफ करने के बाद गवर्नमेंट फाइनली उन्हें एप्रूव करेगी और ज्यों ही नेक्स्ट सैशन ऑफ दि लेजिस्लेचर शुरू होगा, उसके Within 14 days it will have to be on the table of the House. और सदन को अधिकार होगा कि उसमें तरमीम करना चाहे तो कर सकेगा। रूल मेकिंग पॉवर्स भी आर्बीट्रेरी नहीं होती। हर गवर्नमेंट को ये पोवर्स दी जाती है। एग्जेम्पशन के पॉवर्स को एक्सरसाइज करने के लिये कई कंटिनजेन्सीज आयेंगी जिनमें पॉवर्स एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। जहां तक प्रेस्क्राइब्ड मेनर का सवाल है, उसको रखना भी जरूरी है। लेकिन आपको अधिकार है कि गवर्नमेंट के डिसीजन को सेट असाइड कर सकें। लेकिन आखिर कानून को अमल में लाने के लिये रूल मेकिंग पॉवर्स गवर्नमेन्ट को देने पड़ेंगे। किसी भी कानून में ऐसी पॉवर्स गवर्नमेंट के पास रहती हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने, वे आज यहां नहीं हैं, चाही जमीन को बारानी शुमार करने के लिये एतराज किया है। वैसे नजर भी यह आता है कि चाही जमीन को बारानी में शुमार नहीं करना चाहिये। और उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के किसी कोने में ऐसा नहीं होता लेकिन अभी हमारे डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि केरल में वैल इर्रिगेटेड जमीन को बारानी में शुमार किया है। और जगह भी वैल इर्रिगेटेड जमीन को एग्जेम्प्ट करने का सिद्धांत है और आपको मानना पड़ेगा। इसमें दो बातें हैं–एक तो यह कि पूरा इन्वेस्टमेन्ट काश्तकारों का इस पर होता है और दूसरी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उतना होता है और उसकी आमदनी चाही ज़मीन के बराबर हो जाती है। हिसाब लगाकर देखा है। हमें राजस्थान में कुओं के लिये इन्सेन्टिव देना है। राजस्थान में माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन स्थायी इर्रिगेशन का साधन नहीं है और आने वाले समय में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये जितने कुंए खुद सकें, उतना ही अच्छा है, इसलिये इनको एन्करेज करना चाहिये। यही वजह है कि हम कुओं के लिये तकावी देते हैं और एग्जेम्पशन दे रखा है। चाही जमीन में शुमार करने से इन्सेन्टिव नहीं मिलता इसलिये अदर देन चाही जमीन में शुमार करना आवश्यक था।

इसी तरह से कम्पेन्सेशन के लिये बहुत कुछ कहा गया। इस बारे में मैंने अपने विचार, जो क्लॉज पास किया है, उस समय प्रकट किये थे। अंत में मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत योग्यता के साथ इस कानून को पास करने में सहयोग दिया और बहुत कॉन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिये और इतने सामाजिक और सोशियल जस्टिस के कानून को पास करने के लिये मैं आपको धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूँ कि इसे अमल में लाने के लिये भी उसी तरह से सहयोग देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (सिक्स्थ अमेन्डमेंट) बिल, १९५८ को एज अमेंडेड पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

Page No.108

(श्री उपाध्यक्ष)

We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही ४ बजकर ५५ मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक ११-१२-५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार दिनांक १० दिसम्बर, १९५९)

	स्तम्भ		स्तम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१९४३	ग्राम पंचायत गंगवा परदतसर का चुनाव	
उनियारा नगरपालिका का चुनाव		श्रम आयुक्त की विदेश यात्रा पर हुआ व्यय	
लालसोट डिस्पेन्सरी		टोडा निम्हेडा सड़क का निर्माण	
कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसीलों की सड़कों का निर्माण कार्य		मणियारी बांध, पाली	
लूणकरणसर में पीने के पानी की व्यवस्था		अन्य विभागों के स्थानान्तरित व्यक्तियों की यातायात विभाग में नियुक्ति	
पुलिस विभाग में सब-इन्सपेक्टर्स की नियुक्तियां		सार्वजनिक औषधालय मनोहरपुर	
देवली नगरपालिका का चुनाव		गेम्स वार्डन, सेन्चुरी आफिसर्स या रेन्जरों के पदों के लिए विज्ञापन	
बीकानेर जिला के बूल ग्रेडिंग सुपरवाईजर्स का रेशनेलाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन		सतनाम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के ट्रक नं० आर० जे० आर० ८६८ का भीलवाड़ा शहर में गिरफ्तार किया जाना	
नगरपालिका टौंक			
औषधालय, भोपालगंज के वैद्य द्वारा पुस्तकों का अनधिकृत क्रय		भरतपुर जिले में कम्पाउन्डर्स की भर्ती	
राजस्थान इन्डियन मेडिसन बोर्ड की स्थापना		बारां नगर में रेलवे स्टेशन के पास विकास विभाग के क्वार्टर्स का निर्माण	
ग्राम पंचायत देवली (तहसील देसूरी) के सरपंच के विरुद्ध गबन सम्बन्धी काण्ड की विभागीय जांच		करौली में प्रतिग्रह के लिए भूमि की अवाप्ति	
लघु सिंचाई योजना, सिवाना		डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट आफिसर की नियुक्ति	

कृषि सहकारी फार्म्स, कोटा

पार्वती बांध का क्षतिग्रस्त ककोर नाला

सरकारी बसें

नाड़ी तहसील की सहकारी समितियों में जिला सहकारी बैंक, भरतपुर की बकाया रकम

सड़क विकास योजना और सवाई माधोपुर जिले के निमित्त विशिष्ट धनराशि

चीनी का वितरण

आबू में अनुपयोज्य सरकारी बसों का प्रतिस्थापन (Replacement)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत् विकास कार्यों का पूरा होना

विशेषाधिकार-प्रश्न

औद्योगिक परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ को मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से सम्बन्धित श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के विशेषाधिकार प्रश्न को अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार २००१

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया:—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (छटा संशोधन) विधेयक, १९५८ २००२

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज भी खंडशः विचार जारी रहा।

खण्ड ३—धारा ३० जी:—संशोधित रूप में स्वीकार की गई। तत्पश्चात् खंड ३ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और नाम:—स्वीकार किये गये।

Page No.111

स्कम्भ

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, के इस प्रस्ताव पर कि राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया, पारित किया जाय। निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये:—

१. डॉ० बहादुरसिंह

२. श्री मुरलीधर व्यास

३. श्री पी० के० चौधरी

४. श्री मोतीलाल

५. रावल श्री नरेन्द्रसिंह

६. श्री दयाकृष्ण विजय

७. श्री रामचन्द्र

८. श्री सोहनलाल भटनागर

स्कम्भ

९. श्री मोहरसिंह

१०. श्री श्रीमानसिंह

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, के उत्तर के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित किया गया।

शुक्रवार, दिनांक ११ दिसम्बर, ५९ की कार्य सूची

१. वन विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

२. राजस्थान मृत्युभोज निवारण विधेयक १९५९

(खंडश विचार-विमर्श एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५३ का उत्तर देखिये)

उदयपुर डिवीजन के अन्तर्गत कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसीलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ठिकाने वाली सड़कों की सूची।

क्रम संख्या	नाम सड़क	रकम
१	२	३
१.	ग्रेवलिंग रिपेरिंग माइल्स आफ खेरवाड़ा कोटड़ा रोड	१,५२,००० रु०
२.	ग्रेवल रोड फ्राम कोटड़ा टू स्वरूपगंज रोड	५८,००० रु०
३.	ग्रेवल रोड फ्राम गुगरोंद टू पींडवाड़ा रोड सैक्शन	३,६०,००० रु०
४.	पार्टली मेटल्ड पार्टली ग्रेवल रोड फ्राम उदयपुर टू फ्राम वाल्या गोगुन्दा पार्ट वर्क अप टू गोगुन्दा	१,६४,००० रु०
५.	ग्रेवल रोड उदयपुर टू फ्राम वाया झाडोल एंड दोख्यारी एण्ड जा.सेया	६०,००० रु०
६.	ग्रेवल रोड फ्राम गोगुन्दा टू कोटड़ा रिमेनिंग माइल्स.	६०,००० रु०
७.	मैटल रोड फ्राम स्वरूपगंज टू खाम्पारोड़	१,५०,००० रु०

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५६ का उत्तर देखिये)

टौंक म्युनिसिपैलिटी द्वारा निम्न टैक्स वसूल किये जाते हैं।

१. चुंगी कर

२. गाड़ी व जानवरों पर कर व्हील टैक्स

१. साईकिल	१.१२ नये पैसे प्रतिवर्ष प्रति साईकिल
२. पर्देवाली गाड़ी	३.१२ व्हील टैक्स लाइसेन्स फीस १ रु० प्रति वर्ष प्रति गाड़ी कुल ४.१२ नये पैसे।
३. गाड़ी कराची लड़ी पर	३.१२ व्हील टैक्स व लाइसेन्स फीस २ रु० प्रति वर्ष प्रति गाड़ी कुल ५.१२ नये पैसे।
४. घोड़ा तांगे पर	३.१२ व्हील टैक्स लाइसेन्स फीस १ रु० प्रति वर्ष प्रति घोड़ा तांगे पर कुल ४.१२ नये पैसे
५. ठेला कनसी	६.१२ नये पैसा प्रति ठेला प्रति वर्ष।
६. ठेला बरबरदारी	१.१२ नये पैसे व्हील टैक्स व १ रु० लाइसेन्स फीस प्रति वर्ष प्रति ठेला कुल २.१२ नये पैसे

३.	व्यापार व व्यवसाय कर केवल शराब की दुकान पर	५ रु० प्रति माह प्रति दुकान पर
४.	मोटर स्टेन्ड पर	एक आना प्रति सवारी
५.	दुकान कर	चार आना प्रति माह प्रति दुकान
६.	थड़ी टैक्स	छः आने प्रति माह प्रति थड़ी जो दुकान के आगे की सटी हुई भूमि ७ फुट बाई ८ फुट है।
७.	चक्की टैक्स	२० रु० प्रति वर्ष प्रति चक्की।
८.	भट्टा टैक्स	३ रु० प्रति माह प्रति भट्टे पर।

— — —

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६१ का उत्तर देखिये)

प्रश्न संख्या ६३ एल० एल० एम० की सूची

प्रथम बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित थे :

१.	श्री मंगलदास स्वामी जयपुर आयुर्वेद उपाध्याय	चैयरमैन
२.	श्री हकीम मोहम्मद इब्राहीम खां जयपुर	उपसभापति
३.	श्री प्रेमशंकर शर्मा डाइरेक्टर आयुर्वेद विभाग, भिषगाचार्य	सदस्य
४.	श्री जयरामदास स्वामी, प्रिन्सीपल, ग० आयु० कालेज जयपुर	सदस्य
५.	श्री जसराज जोशी लैक्चरार ग० आयु० कालेज जयपुर	सदस्य
६.	श्री माधवप्रसाद शास्त्री आयुर्वेदाचार्य जोधपुर	सदस्य
७.	श्री भवानीशंकर शर्मा, उदयपुर	सदस्य
८.	श्री सीताराम आयुर्वेदाचार्य, जयपुर	सदस्य
९.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, कोटा	सदस्य
१०.	श्री हकीम याहया मियां टोंक	सदस्य
११.	श्रीमती चन्द्रा देवी, बीकानेर	सदस्य
१२.	श्री रामप्रकाश स्वामी, रजिस्ट्रार एवं सेक्रेट्री बोर्ड, भिषगाचार्य, बी० ए० दर्शन शास्त्री, आयुर्वेदवाचस्पति	

वर्तमान बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित हैं :

१.	श्री मंगलदास स्वामी, आयुर्वेद उपाध्याय	चैयरमैन
२.	श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा, बीकानेर आयुर्वेदाचार्य	सदस्य
३.	श्री रामकिशोर शर्मा जयपुर, भिषगाचार्य	सदस्य
४.	श्री गोपालदत्त जयपुर, ,,	सदस्य

५.	श्री नित्यानन्द सारस्वत पिलानी, आयुर्वेदाचार्य	सदस्य
६.	श्री हकीम मोहम्मद इब्राहीम खां, जयपुर	सदस्य
७.	श्रीमती दुर्गादेवी सोलंकी, जोधपुर वैद्यविशारद	सदस्य
८.	श्री प्रेमशंकर शर्मा डाइरेक्टर आयुर्वेद विभाग, भिषगाचार्य	सदस्य
९.	श्री जयरामदास स्वामी प्रिन्सिपल ग० आयु० कालेज भिषगाचार्य	सदस्य
१०.	श्री जसराज जोशी जयपुर, आयुर्वेदाचार्य	सदस्य
११.	श्री याइया मियां टोंक	सदस्य

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF PERSONS WHO HAVE BEEN TRANSFERRED FROM OTHER DEPTTS. TO TRANSPORT DEPTT. FROM 1957 TO 1959.

1957				1958			1959	
S. No.	NAME	Previous Posting.	Transferred To	NAME	Previous Posting.	Transferred To	NAME	Pre Po
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Shri Ram Karan	LDC Agrl. Deptt.	S. I. T., Dholpur.	Shri Gordan Singh	Jagir Commissioner Office,	LDC RTO Jaipur.	Shri Shambhoo Singh	U
2.	„ Bhura Ram	Clerk Agrl. Deptt.	S. I. T., Ajmer.	„ Ram Karan	Literate Constable Police Deptt.	LDC Head office	„ Suresh Chandra Goyal.	L ssi
3.	„ Narain Singh Solanki	Raj. Sectt. Jaipur.	LDC, RTO's Office, Jodhpur.	„ Prem Chand Bhansali.	Election Clerk Election office, Jodhpur.	LDC Head office.	„ Sukhdeo B.A LLB.	C
4.	„ Bishamber Dayal.	LDC Commissioner s Office, Ajmer.	DTC, Jaipur.	„ Ghan Shyam Kumar LDC	L.D.C Raj. State Elec. Board Jaipur.	L. D. C. Head Office.	„ Ghambhi Singh Rathore.	RJ. Btl
				„ Ram Kishore	Mechanic, Underground Water Board, Jodhpur.	Mechanical Inspector, Jaipur.	„ Govind Narain	LD o Jo
5.	„ Shiv Singh.	UDC Raj. Secretariat.	O. S. Transport, Deptt.	„ Sukhram	Translator, Agriculture, Deptt	T. I. Transport Deptt.	„ Mohan Lal	Co J
				„ Madan Kumar	Asstt. Teacher Jodhpur.	Traffic Controller STR, Aburoad	„ Uttam Chand.	Ass GP
				„ Prabhu Peon.	Peon, Registrar High Court, Jodhpur.	Peon, Head Office.	„ Chandra Shekhar.	L B
				„ Kanhaiyalal.	L.D.C. Coop. Deptt.	LDC, RTO. Bikaner	„ Ramraj Purohit.	L St
							„ Mohan Lal UDC.	UD Bo
							„ Girdhar Lal	L
							„ Budharam	Pe of
							„ Kailash Chandra.	A Pr C

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७१ का उत्तर देखिये)

FOR GAME WARDENS

(1) Shri Brij Lal Poonia (Ganganagar) Age:- 31. 8 years.

(Forest Ranger)

B. Sc. III Div. 1950 (Botany & Chemistry) Punjab. D. D. R. (Forest Ranger Course) in 1954 N. V. C. Cadet. Working as Forest Ranger since 2. 4. 54 Now at (Chittor) Has got experience in wild life And Games Supervision for five years. Successfully arranged the big games for H. H. the Maharaj Sahib of Kotah for two years One occassion General Shri Nagesh, C-in-C of India and General Thorat and General Bahadur Singh.

(2) Shri Banwari Lal Sharma (Research Ranger), (Alwar) Age:- 23. 9 years. B. Sc. III Diu. 1954. Rangers Course in 1956 (Dehradun). Working as Research Rangers, Forest Deptt. Rajasthan, since 2. 4. 56. Forwarded. Has good exprience of 3 years of wild life.

(3) Shri Khuman Singh (Ranger). (Kotah) Age:- 32.1 years. B. A. II Div. 46 Rangers Course Exam. (Dehradun) 1949. Worked as Research Ranger for 23 years. Remained I/C of Game Sanctuary Jai Samand for more than one year. Working as Ranger since 1. 1. 47. Forwarded. All certificates required. Lacks 2 years experience in Game Supervision though he is working in the same line (Ranger).

(4) Shri Suraj Pal Singh (Ranger) (Kotah) Age:- 28. 3. years. B. Sc. II Div. 1952. Rangers Course Exam. in 1954. Working as Forest Ranger since 2nd April 1954, Supervised Kotah Zoo for 1 1/2 years. The Conservator of Forests has granted a certificate that he has got 5 years experience in Games Supervision and wild life.

(5) Shri Bhishma Chandra (Sawai Madhopur) Age:- 34. 8 years. Extension Officer (Forests), B. Sc. (Agr.) II Diu. 1944 Forest Rangers Course in 1948. Working as Extension Officer (Forests) since 1950. Forwarded. Ex-Jagir Employee. Sikar Agent experience. Has got some experience in wild life, but no definite duration of the experience is given in the form. Remained in touch with Rural life. Five years with his brother who had an agency.

FOR GAME RANGERS.

(1) Shri Hari Ballabh Bhatia:- Instructor Forest Training School. Age:- 27.6. years. Qualifications:- High School 2nd Div. 1948. Trained at Kota in 1949-50.

Subordinate Service Examin 1950 (Forest Department). Intermediate Exam. II. Div. 1952 Worked as (1) Range Officer attached to Ranger Kotah from 16.11.1950 to 27.10.52 and then at Hindoli and Baaratpur from 28th October, 1952 to 22.4.1957. (2) Assistant Instructor, Forester's Training School, Alwar from 23rd April 1957 to date. States that during the period of service as Assistant Instructor he has visited most of the Game Sanctuaries of Rajasthan and Rajaji Game Sanctuary of U. P. preservation of Games and wild life and thus has got experience of wild life and games Supervision. Duration of experience not shown in the application and may be asked before interview Advance copy.

(2) Shri Madan Lal-Forester (Kota) Age:- 28.4 years.

High School Exam. II. Div. 1948. Inter. III Div. 1952. Subordinate Forest Service Exam. in 1951. Worked as:— (1) Dy. Ranger from 12.11.1951 to 21.3.1953 (2) Since 1.4.1953 working as Forester. States that during this period he has got an experience of about 6 years of Game Supervision and wild life Also supervised Kota Zoo. Has submitted a certificate from Silciculturist, Raj. Kota in proof of his experience. Permanent Forwarded.

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७६ का उत्तर देखिये)

APPENDIX

S. No.	Name of tho person	Date of appointment.	Qualifications.	Experience	Remarks.
1.	Shri Madhav-Dass.	21.1.59	B. Com.	Ministerial experience of over 15 years. Was working as substantive U. D. C. in the Industries (C) Department, Labour Section in the Secretariat at the time appointment.	He is a Scheduled Caste. One vacancy was reserved for Scheduled Castes.
2.	Shri M. L. Joshi.	13.4.59	B. A.	Possesses more then 12 years experience of Government service. He had been serving as a substantive Accountant in the grade of 150-10-250-12 1/2-300 in the Secretariat at the time of his appointment.	Passed the Accountants examination held by the R. P. S. C. in 1954. Was already receiving salary of Rs. 200/- p. m at the time of his appointment as District Employment Officer in the grade of 200-10-280-15-400
3.	Shri S. R. Yadav.	6.7.59	M. A.	No service experiance,	

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७७ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क) उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या ८० ए० टी० एम० रुपया जो राज्य सरकार का बकाया है बाबत
कृषि सहकारी फार्म जिला कोटा

क्रम संख्या	नाम कृषि फार्म	सदस्य संख्या	भूमि जो इस फार्म के पास है	बकाया रुपया	कब से बकाया है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१.	दी मोतीपुरा को० सो० लि०	१६	१७०० बीघा	२६५.०८ रु०	१६–८–४६	यह रिहेबिलीटेशन विभाग द्वारा दिया गया ऋण है वसूली की कार्यवाही जारी है।
२.	दी को० बैटर फार्मिंग सो० लि०	२८	६३० बीघा	२७७०० रु०	२७–२–५०	
३.	सामूहिक कृषि स० स० अशोकपुर लि०	१५	८२७ बीघा ४ विस्वा	२००० रु०	४–३–५७	यह ऋण तहसील बारां से दिया गया है कार्यवाही वसूली जारी है।
४.	सर्वोदय सामूहिक कृषि स० स० लि० रगवाड़ी	२५	—	१०००० रु०	१०–३–५७	
५.	गांधी सामूहिक कृषि स० स० लि० अन्ता	१०	—			
६.	गांधीवाड़ी सामूहिक कृषि स० स० लि० छत्रपुरा	१३	—			
७,	आधुनिक सामूहिक कृषि स० स० लि० दडा	११	—			
८.	श्री शारदा सामूहिक कृषि स० स० लि० बालापुरा	११	१५०			
९.	भवरगढ़ सामूहिक कृषि स० स० लि०	१४	—			
१०	श्री कृष्ण सामूहिक कृषि स० स० लि० देवपुरा	१०	—			
११.	फल्दी सामु० कृषि० स० स० लि० फल्दी	२१	१००० बीघा			
१२.	मांगरौल सामू० कृषि स० स० लि० मांगरोल	१०	—			
१३.	दीगोदा (श्यामनगर) आदर्श सामू० कृषि स० स० लि०	३१	६८७ ।।।			
१४.	पाठेडा सामू० कृषि स० स० लि० पाठेडा	४०	—			
१५.	कपिल धारा ज्वाइन्ट फार्मिंग स० स० लि० छत्रगंज	२०	१६००० बीघा			
१६.	खेड़ा जगपुरा संयुत कृषि स० स० लि० खेड़ा जगपुरा	१५	—			
१७.	नया गांव रैयत कृषि स० स० लि० नयागांव	१८				
१८.	धर्मपुरा रैयत कृषि स० स० लि० धर्मपुरा	११	—			
१९.	रौभड़ी रैयत कृषि सहकारी समिति लि० रौभड़ी	१२				
२०.	रामपुरा रैयत सहकारी समितियां लि० रामपुरा	१५				
२१.	गिरधरपुरा रैयत कृषि सहकारी समिति लि०	१४				

नोट:–जिन समितियों के पास भूमि नहीं है, उनको समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां, राजस्थान,
जयपुर।

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८० का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क) तारांकित प्रश्न संख्या ८५ ए०टी०एम० प्रश्नकर्त्ता डा० बहादुरसिंह (१०) सदस्य राजस्थान विधान सभा।

अब क्या शेष है

क्रम संख्या	नाम समिति	जब से ऋण बकाया है	असल	सूद	ऋण कहां से मिला	ऋण किस कार्य को मिला	विशेष विवरण
१.	२	३	४	५	६	७	८
१.	सामपुर मजरा बीजोली बहु० स० स०	१८–१०–५७	४६१०	५७१	भरतपुर बैंक का है	कृषि कार्य हेतु	
२.	महरौली बहु० सहकारी समिति	२२–६–५८	१६३०४	११७१	”	”	
३.	स्वामीपुरा बहु० सहकारी समिति	१३–६–५६	१०५८४	२६१	”	”	
४.	बहादुरपुर सहकारी समिति लि०	१६–७–५६	१७६७	४७	”	”	
५.	छत्रपुरा को० क्र० सो०	५–६–५६	६३३४	१७४	”	”	
६.	किरी कस्वावाडी को० क्रे० सो०	१६–१–५५	२१	—	”	”	
७.	लालो निहार को० क्रे० सो०	१२–६–५६	१३३३८	३७७	”	”	
८.	अंकुलपुर को० क्रे० सो०	२३–१–५८	२६५४	३१३	”	”	

१	२	३	४	५	६	७	८
९.	नगला दूल्हाराम को० क्रे० सो०	२८-८-५६	१३२३	२०३	भरतपुर बैंक का है	कृषि कार्य हेतु	
१०.	वीलोनी को० क्रे० सो०	१५-१०-५६	१११७	३०	,,	,,	
११.	कंचनपुर को० क्रे० सो०	२२-४-५६	५१४६	१६८	,,	,,	
१२.	गुजरी कलां बहु०	३०-६-५६	६२६	६१	,,	,,	
१३.	गुजरी खुर्द मजरा लदकपुर बहु०	६-११-५८	४६५७	३३२	,,	,,	
१४.	गामरी बहुधन्धी	२१-६-५८	३४०७	२८०	,,	,,	
१५.	हुसैनपुर बहुधन्धी	११-७-५६	७७५५	२३८	,,	,,	
१६.	नगला बीचोर खण्ड	२४-६-५८	८०२१	६३६	,,	,,	
१७.	मावली अम्बर खां बहु० स० स०	३०-६-५८	४७१४	५३८	,,	,,	
१८.	महुआ खेड़ा को० क्रे० सो०	३०-६-५७ (क)	६६८	७६	,,	,,	
१९.	बाड़ी बहुउद्देशीय सहकारी समिति	२४-६-५८	४३३४	२२०	,,	,,	
२०.	महाराजपुर मजरा सदेडी बहुउद्देशीय सं० स०	२४-६-५८	३३०६	१७०	,,	,,	
२१.	कासोटी खेड़ा को० क्रे० स०	१५-१०-५४	६६	६	,,	,,	

१	२	३	४	५	६	७	८
२२.	निजामपुर को० क्रे० स०	३०–६–५७	३१	४	भरतपुर बैंक का है	कृषि कार्य हेतु	
२३.	खोरी विरामपुर बहु० स० स०	११–५–५८	३६०६	३०८	"	"	
२४.	बमिरा बहुउद्देशीय स० स०	५–१०–५६	५४६६	१४६	"	"	
२५.	गुढा सुक्ला को० क्रे०	२७–१–५६	८२	—	"	"	
२६.	जपावली बहु० स० स०	२७–७–५६	६७७४	१८७	"	"	
२७.	जहोनपुर बहु० स० स०	२६–६–५८	१८६२	१३६	"	"	
२८.	बाडी किसान बहु० स० स०	२०–७–५६	१०७१७४६	२८२६	"	"	

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां, राजस्थान,
जयपुर

परिशिष्ट ९

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३७ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF PHYSICAL TARGETS UNDER PLAN SCHEMES.

S. No.	Name of the Scheme.	Item.	Work so far completed.	Expected date of completion.
1	2	3	4	5
1.	Bhakra-Nangal Project.	(i) Rajgarh-Ratangarh Line.	Completed.	—
	(a) Bulk Supply. Schemes.	(ii) Ratangarh-Bikaner Line.	80% work completed.	Dec. 1959—Jan. 1960
		(iii) Rajgarh Grid-Sub-station.	90% work completed.	Dec. 1959—Jan. 1960
		(iv) Sri-Ganganagar Sub-station.	90% work completed	Dec. 1959—Jan. 1960
		(v) Ratangarh Grid Sub-station.	One Transformer Received	Last quarter of 1960

1	2	3	4	5
(b) Local Distribution Schemes.	1)	(a) Sri-Ganganagar-Raisinghnagar.		1960—61 Subject to availability of G. I. earth wire.
		(b) Ganganagar-Suratgarh.	90% work completed.	
		(c) Ratangarh—Sikar.		
		(d) Rajgarh-Chirawa-Jhunjhunu.	50% work completed.	1960—61
		(e) Rajgarh-Bhadra-Nohar.	5% work completed.	1960—61
	[2]	(a) Chirawa—Khetri.	20% "	1960—61
		(b) Raisinghnagar-jetsar-Baijinagar.	75% "	1960—61
		(c) Laxmangarh-Nawalgarh	40% "	1960—61
		(d) Churu—Bissau	40% "	1960—61

1	2	3	4	5
		(e) Hanumangarh-	70% „	1960—61
		(f) Chirawa-Suratgarh.	55% „	1960—61
	Substations :		Transformers ordered & tenders for remaining equipment being invited.	1960—61
	Local distribution of towns.		30% of the local distribution completed. Further work to be taken up on receipt of power at Rajgarh & Sri-ganganagar.	1960--61
2.	Chambal : Transmission Lines.	(1) Gandhisagar-Sawaimadhopur.	Survey completed. 95% equipment ordered.	1960—61
		(2) Sawaimadhopur-Jaipur.	95% equipment ordered. Erection in progress.	1960—61
		(3) Kotah—Ajmer.	Survay completed. Conductor & Ground Cable ordered.	1961—62
		(4) Neemuch-Udaipur.	—do—	1961—62

Page No.127

1	2	3	4	5
	Sub-Stations :	(1) Kotah		
		(2) Sawaimadhopur	95% equipment ordered.	1960—61
		(3) Jaipur.		
		(4) Ajmer.		
		(5) Udaipur.	95% equipment ordered.	1961—62
		(6) Lakheri.		
	Development of Thermal Power Stations.	(1) Installation of s.ts.		
	(a) STEAM.	(1) Kotah	75% work completed.	March 1960
		(2) Alwar	25% work completed.	1960—61
		(3) Bharatpur	20% ,,	1960—61
		(4) Jaipur	50% ,,	1960—61
		(5) Jodhpur	30% ,,	1960—61

1	2	3	4	5
(b) DIESEL :		(1) Bharatpur.	Completed.	
		(2) Alwar		
		(3) Deeg		
		(4) Kishangarh		
		(5) Sagwara		
		(6) Tonk		
		(7) Jaiselmer		
		(1) Jhalawar	Installed to be commissioned.	March 1960
		(2) Karauli		Dec. 1959
		(3) Shahpura		1960—61
		(1) Dungarhpur	Civil work in progress.	1960—61
		(2) Transmission & Distribution.		
		(1) Jaipur-Dudu Makrana.	Sub-station equipment received.	Work may be carried over to III Plan.

1	2	3	4	5
		(2) Jaipur-Dausa-Gangapur	30% work completed.	1960—61
	Urban & Rural Electrification.	(1) Installation of Sets.		
(a)	STEAM.	(1) Jaipur.	3000kW set installed & commissioned.	—
(b)	DIESEL.	(1) Chittorgarh.	Completed.	—
		(2) Nagore 250KW.		1959—60
		(3) Bilara 50kW only		1959—60
		(4) Jalore 200kW	Erected & tests taken.	1959—60
		(5) Rajsmand 200kW		1960—61
		(6) Bilara 200 kW		1959—60
		(7) Sumerpur 200kW	Erected-Under tests.	—do—
		(8) Malpura 125 kW		—do—
		(9) Sumerpur 104 kW	to be erected.	1960—61
		(10) Toda-Bhim 150 kW		

1	2	3	4	5
	Ajmer Plan. Small town.			
	Electrifications.	(1) Kekri.	80% work completed.	1959—60
		(2) Bijainagar.	80% work completed.	1959—60
	Installation of Additional set of 3000 kW at Jodhpur.		Boiler equipment being received. Tenders for turbine being prepared.	1960—61
	Bharatpur—Deeg & Bhilwara-Shahpura & Jodhpur-Bilara		Nil.	Work may be taken up in 1960-61

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १० दिसम्बर, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१९३६	प्रथम से १४	करने क्या	करने के क्या
१९४०	प्रथम से १०	मत्री	मंत्री
१९४४	अंतिम से ९	जिलाधीस	जिलाधीश
१९५०	,, ,, १२	चला रहा है	चला आ रहा है
१९५०	अंतिम से २	सरकार के ने	सरकार ने
१९५१	द्वितीय	नहीं हैं	नहीं है
१९६४	प्रथम से १०	Gemes	Games
१९६६	प्रथमत:	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री रामकिशोर व्यास)
१९६८	अंतिम से १४	(२)	(३)
१९७६	प्रथम	कवालिफाइड	क्वालिफाइड
१९८५	प्रथम से ४	२. अभी तक	२. अभी तक
१९८७	प्रथम से ८	श्री दौलतराम सरण	श्री दौलतराम सारण
१९९२	,, ८	टेक्नीकल	टेक्निकल
१९९५	,, ४	जी हा	जी हाँ
१९९७	अंतिम	जायगा	हो जायगा
१९९८	प्रथम से ९-१०	availabitity	availability
२०११	अंतिम से १४	माकेट	मार्केट
२०१७	प्रथम से ११	कर रह हूँ	कर रहा हूँ
२०२४	प्रथम से १०	अलाना	अलावा
२०२५	अंतिम से १६	वडा	बड़ा
२०३७	,, ५	पार्सेन्ट	पर्सेन्ट
२०३८	अंतिम पंक्ति	गया या कि	गया था कि
२०३९	प्रथम से ७	इसलये	इसलिये
२०४५	अंतिम	उसळ	उसूल

१	२	३	४
२०५१	प्रथम से ३	अध्यत्त मोहदय	अध्यत्त महोदय
२०५२	प्रथम से १०	मैं	में
२०५२	प्रथम से १२	पसन्ट	पर्सेन्ट
२०५५	अंतिम से १०	यद	यदि
२०६०	अंतिम से १६	किस	किसी
२०६२	प्रथम से ४	उन्हींने	उन्होंने
२०६३	अंतिम	ज	जो
२०७०	अंतिम से १२	मन्टीपल	मल्टीपल
२०७०	,, २	पर्टिक्पुलर	पर्टिकुलर
२०७१	,, १५	कन्पेन्सेशन	कम्पेन्सेशन
२०७६	प्रथम से ६	गैंर	गैर
२०७६	,, १०	काफ्री	काफी
२०८३	प्रथम से ७	हां	हों
२०८५	,, २	बाला	वाला
२०६२	अंतिम से ६	वरचु ली	वरचुअली
२०६३	प्रथम से ४	ब्लि	बिल
२०६४	अंतिम से १४	पास कहने जा रहे हैं	पास करने जा रहे हैं
२०६७	प्रथम से ३	सहयंग	सहयोग
२०६७	अंतिम ६-१०	काश्तशार	काश्तकार
२०६६	प्रथम से १२	में	मैं
२१००	,, ८	उद्देश्य	उद्देश्य
२१००	,, ६	किंलअर	क्लिअर
२१००	,, १४	समारा	हमारा
२१०२	,, १५	नहीं ता	नहीं तो
२१०३	अन्तिम से १८	मिलेग ।	मिलेगा
२१०७	,, ,, १४	दिखा	दिखाई
२११३	,, ,, १२	पूणाहुंति	पूर्णाहुति
२१२२	,, ,, ६	मनतव्व	मन्तव्य
२१२३	अन्तिमसे ८	कितने	कितनी
२१२३	,, ,, ६	गवर्नमेंट	गवर्नमेंट
२१३०	,, ,, ६	लंवल	लेवल

१	२	३	४
२१३२	प्रथम से ५	ब्यूरोक्रे सी	ब्यूरोक्रेब्सी
२१३३	अन्तिम से १३	डिस् कंजिंग	डिस्करेजिंग
२१३६	अंतिम	सरी	दूसरी
२१३८	प्रथम से ६	व्याक्त	व्यक्ति
२१४०	,, ,, ६	कोऑपरेवि	कोऑपरेटिव
२१४०	,, ,, १०	सोसाइ ी	सोसाइटी
२१४०	अंतिम से १२	इन्डिविजुअल	इन्डिविजुअल
२१४०	अंतिम से ७	कोआपटिव	कोऑपरेटिव
२१४०	,, ,, ३	बना	बनाई
२१४१	प्रथम से १०	ऑलरेड	ऑलरेडो
२१४१	अंतिम से १२	रकने	रोकने
२१४१	,, ,, ११	कार्याही	कार्यवाही
२१४१	,, ,, ८	किलअर	क्लिअर
२१४१	,, ,, ३	हुआकग्रेस	हुआ कांग्रेस
२१४४	प्रथम से १२	मा नीय	माननीय
२१४४	,, ,, ,,	एग्जे पशन्स	एग्जेम्पशन्स
२१४४	,, ,, १४	पॉ र्स	पॉवर्स
२१४४	,, ,, १७	दारान	दौरान
२१४४	अंतिम से ५	एग्जास्टव	एग्जास्टिव
२१४५	,, ,, १६	ह ारे	हमारे
२१४५	,, ,, १४	जुड	जुडि
२१४५	,, ,, ११	गली	वाली
२१४५	,, ,, ७	एग्जीक्यूटव	एग्जीक्यूटिव
२१४६	,, ,,१२	ारानी	नारानी
२१४६	,, ,,१०	जसीन	जमीन
२१४६	,, ,, ४	शु ार	शुमार
२१४७	प्रथम से १०	इनका	इनको
२१४७	अंतिम से ८	मु ारकवाद	मुबारकवाद
२२५६	अंतिम से ५	वाल्या गोगुन्दा	वाया गोगुन्दा
२२६१	प्रथम से १३	III Diu	III Div.

१	२	३	४
२२६१	अंतिम से ११	Fores	Forest
२२६१	१२	Apiil	April
२२६१	,,	Yeas. Thet	Years. That
२२६१	६	II Diu	II Div.
२१६२	अंतिम से १०	experieace	experience
२१६३	प्रथम से ८	appointment	Of appointment